बृहस्पतिवार,
१९ नवंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

वृहस्पतिवार १९ नवम्बर १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

निष्क्रान्त सम्पत्ति का किराया

*११४. **सरदार हुक्म सिंह:** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या विस्थापित व्यक्तियों की कुछ संस्थाओं ने सरकार को ऐसे अभ्यावेदन भेजे हैं कि निष्क्रान्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किराये के बक़ाया का स्वीकृत दावों से समायोजन किया जाये; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार ने इन अभ्यावेदनों पर विचार किया है तथा कोई फैसले किए हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने प्राथमिकता श्रेणियों वाले ऐसे विस्थापित व्यक्तियों के लिए अन्तरिम क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास अनुदान के भुगतान की एक योजना स्वीकार की है जिनके दावे प्रमापित हो चुके हैं तथा जिन्होंने क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र

दे दिए हैं । ऐसे व्यक्तियों के ज़िम्मे जो किराये का बक़ाया है, उसका समायोजन उनके अन्तरिम क्षतिपूर्ति की राशि से किया जायगा । इसी प्रकार की सुविधा दूसरे विस्थापित व्यक्तियों को भी, उन पर क्षतिपूर्ति योजना लागू होने पर, दी जायगी ।

सरदार हुक्म सिंह: क्या सरकार अनुमानत: बतला सकती है कि इन लाभों को अन्य श्रेणियों पर लागू करने में कितना समय लग जायगा ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन: कोई निश्चित कालावधि नियत करना तो कठिन है, परन्तु यह अधिक लम्बी नहीं होगी ।

सरदार हुक्म सिंह: क्या सरकार को ऐसे शरणार्थियों के बारे में कोई सूचना प्राप्त है जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त वसूली टोलियों द्वारा निकाल बाहिर किया गया है ?

श्री ए० पी० जैन : किसी ठीक ठीक संख्या का बतलाना कठिन है; यहां तहां कुछ मामले हो सकते हैं, अन्यथा इसे लागू नहीं किया गया है ।

सरदार हुक्म सिंह: क्या सरकार को कोई सूचना प्राप्त है कि निकाले गए व्यक्तियों में से अधिकांश के तो दावे भी स्वीकृत हो चुके थे ?

श्री ए० पी० जैन: निकाले गए व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। जैसा कि मैं ने कहा, यहां तहां कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं। इस बारे में हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

इस्पात का कारखाना

*११५. **सरदार हुक्म सिंह:** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या 'क्रुप्स' तथा 'डीमाग' नाम के जर्मन सार्थों के योग से इस्पात समवाय की स्थापना की गई है;

(ख) क्या इन जर्मन सार्थों का कोई अग्रिम दल यहां पहुंचा है; तथा

(ग) यदि ऐसा है तो क्या स्थान को चुन लिया गया है?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) नहीं।

(ख) हां, यह दल १३ नवम्बर, १९५३ को दिल्ली में पहुंचा है।

(ग) नहीं।

सरदार हुक्म सिंह: क्या मैं इन कम्पनियों को परामर्श के लिए दी जाने वाली कुल राशि को जान सकता हूं?

श्री के० सी० रेड्डी: यह सूचना सदन में पहले ही दी जा चुकी है। दो करोड़ रुपये फीस रूप से।

सरदार हुक्म सिंह: मैं जान सकता हूं कि क्या उनके साथ आने वाले विशेषज्ञ उन कम्पनियों के कर्मचारी होंगे या भारत सरकार के?

श्री के० सी० रेड्डी: इस्पात समवाय की स्थापना के बाद वे उसके अधीन काम करेंगे। यह समवाय भारतीय समवाय अधिनियम के अधीन निगमित तथा पंजीकृत होगा।

सरदार हुक्म सिंह: मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन विशेषज्ञों को दिए जाने वाले वेतन तथा भत्ते उस परामर्श शुल्क के अतिरिक्त होंगे जिसका इन कम्पनियों को दिया जाना स्वीकार किया गया है?

श्री के० सी० रेड्डी: इन सब बातों पर यहां आए हुए जर्मन 'कम्बाईन' के प्रतिनिधियों से बात चीत की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय: वह यह जानना चाहते हैं कि क्या इस दो करोड़ रुपये की राशि में वे पारिश्रमिक तथा भत्ते भी शामिल हैं जो उनके द्वारा लाए जाने वाले विशेषज्ञों को दिए जायेंगे।

श्री के० सी० रेड्डी: 'कम्बाईन' अर्थात् उक्त संयुक्त समवाय को एक निश्चित शुल्क मिलेगा तथा, जैसा कि मैं ने कहा, उन्हें कुछ सेवाओं के बदले ४५ लाख डालर दिए जायेंगे। इस मूल शुल्क के अतिरिक्त यह समवाय उनके 'रेज़ीडेन्ट इंजीनियर' और दूसरे प्राविधिक कर्मचारीवर्ग के वेतन भत्तों और यात्रा भत्तों तथा भारत में उनके कार्यालय का व्यय भी स्वयं वहन करेगा।

सेठ गोविन्द दास: प्रश्न के भाग (ग) के बारे में, क्या इस व्यवसाय के लिए स्थान चुनने से पूर्व, ये विशेषज्ञ उपयुक्त स्थान के चुनने के अभिप्राय से विभिन्न राज्यों का दौरा करेंगे?

श्री के० सी० रेड्डी: विचार यह है कि वे सम्भव स्थानों को जा कर देखें तथा अपने मतानुसार आवश्यक छानबीन के बाद अपनी सिफारिश करें।

श्री बंसल: क्या प्रश्न के भाग (ख) के सम्बन्ध में मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार की ओर से कौन कौन से विशेषज्ञ इन व्यक्तियों से बात चीत कर रहे हैं?

श्री के० सी० रेड्डी: कुछ मंत्रालयों के सचिव इस जर्मन कम्बाइन (संयुक्त समवाय) से बात चीत कर रहे हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र: इस प्लांट के लगाने के लिए सरकार के विचाराधीन कौन कौन से स्थान हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी: जैसा कि मैं ने कहा है, सारा मामला विचाराधीन है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी उठे—

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है । मैं यथासम्भव प्रश्न सूची से पूरा करना चाहता हूं । अगला प्रश्न ।

श्री एच० एन० मुकर्जी: हम इस ओर से कोई प्रश्न नहीं पूछ सके । इस प्रकार के प्रश्न पर विरोधी दल को अनुपूरक प्रश्नों के करने का अवसर अवश्य मिलना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय: मैं इसे ध्यान में रखूंगा ।

जापान को भेजा गया सद्भावना मण्डल

*११६. **सरदार हुक्म सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत संसद् की तीन महिला सदस्यों का एक सद्भावना-मण्डल हाल में जापान गया है ;

(ख) क्या उक्त मण्डल वहां जापान के आमन्त्रण पर गया था या यह विचार सर्वप्रथम यहां आरम्भ हुआ था; तथा

(ग) क्या इस मण्डल के ध्यान में किसी निश्चित क्षेत्र में कोई विशेष लक्ष्य भी था ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू): (क). जी हां ।

(ख) भारतीय सद्भावना-मण्डल को जापानी सरकार के आमन्त्रण पर भेजा गया था ।

(ग) नहीं ।

सरदार हुक्म सिंह: मैं जान सकता हूं कि क्या स्वयं आमन्त्रण में ऐसा कुछ प्रकट किया गया था कि इस मण्डल के सदस्य केवल महिलाएं ही हों ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : यह आमन्त्रण केवल महिलाओं के लिए ही था । यदि मैं आपको बतला सकूं तो कुछ मास या एक वर्ष पहले जापानी संसद की महिला सदस्याएं यहां आई थीं । मैं समझता हूं कि उन्होंने लौट कर 'जापानी डाईट' में यहां की संसद की महिला सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल को आमन्त्रित करने का प्रस्ताव रखा था जिसे वहां की सरकार ने स्वीकार कर लिया तथा आमन्त्रण भेजा ।

सरदार हुक्म सिंह: क्या यह मण्डल अपने दौरे तथा मिशन के बारे में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ?

श्री जवाहर लाल नेहरू: जी हां । यह एक सांस्कृतिक मिशन था । उन्होंने हमें अपने अनुभवों के सम्बन्ध में कुछ मौखिक वृत्तान्त दिया है तथा मेरा विचार है कि हमें लिखित में भी कुछ दिया जायगा ।

ब्रिटिश उत्तरी बोर्नियो के लिए भारती कृषक

*११७. **श्री एस० एन० दास:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि ब्रिटिश उत्तरी बोर्नियो की सरकार ने भारत को उस ब्रिटिश उपनिवेश में १०,००० कृषकों के भेजने सम्बन्धी आमन्त्रण को अब औपचारिक रूप से वापिस ले लिया है; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो यह किस परिस्थिति में किया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू): (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) उत्तरी बोर्नियो में जनता के सहयोग के अभाव तथा उत्तरी बोर्नियो की सरकार की इतने व्यय के करने में असमर्थता इस योजना के वापस लिए जाने के कारण हैं।

श्री एस० एन० दास: मैं जान सकता हूं कि क्या इस आमन्त्रण को वापस लेने से पहले वहां की हालत के अध्ययन के लिए कोई प्रतिनिधिमण्डल भेजा गया था, तथा यदि ऐसा है तो क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ?

श्री जवाहर लाल नेहरू): कोई प्रतिनिधि मण्डल नहीं भेजा गया क्योंकि जिस समय हम उन्हें भेजने ही वाले थे, उन्होंने इसके न भेजे जाने की इच्छा प्रकट की।

सीलोन की दुतुगेमुनु गुप्त संस्था

***१२०. डा० राम सुभग सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि सीलोन में एक गुप्त संस्था है, जिसे "दुतुगेमुनु गुप्त संस्था" कहा जाता है और जो भारतीयों को सीलोन से निकालने के लिए काम करती है ; तथा

(ख) क्या यह सत्य है कि इस संस्था ने हाल में उस देश में बहुत से भारतीयों को साइक्लोस्टाइल किये हुए परिपत्र भेजे हैं, जिन में उन से सीलोन से निकल जाने के लिए कहा गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू): (क) तथा (ख) जी हां।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार को इस संस्था के सदस्यों की संख्या ज्ञात है और क्या वह जानती है कि इस संस्था की कार्यवाइयों के प्रति सीलोन की सरकार का रवैया क्या है ?

श्री जवाहर लाल नेहरू: हमें उसके सदस्यों की संख्या ज्ञात नहीं है। हम केवल इतना जानते हैं कि यह एक छोटी सी संस्था है, जिसका कोई अधिक महत्व नहीं और सीलोन सरकार इसे अच्छा नहीं समझती।

श्री बी० एस० मूर्ति: मैं जान सकता हूं कि क्या यह अमेरिका की के० के० के० संस्था के समान है ?

अध्यक्ष महोदय : तुलना करने की आवश्यकता नहीं है।

रबड़

***१२३. श्री अमजद अली:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उपभोग किये जाने वाले रबड़ में से कितना प्रतिशत मलाया और सीलोन से आयात किया जाता है ;

(ख) इस वस्तु में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए यदि कोई पग उठाये गये हैं तो वे क्या हैं ; तथा

(ग) क्या रबड़ उगाने वालों को, रबड़ के उत्पादन की समस्याओं पर आधुनिक अनुसंधान का लाभ प्राप्त कराने के लिए, सरकार ने एक रबड़ विकास योजना बनाने और एक अन्य अनुसंधान संस्था स्थापित करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) १९५३ में कच्चे रबड़ के आयात के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया।

(ख) भारत अब रबड़ के विषय में आत्म-निर्भर है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

चाय

***१२४. श्री अमजद अली :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि (१) आसाम, (२) पश्चिमी बंगाल, (३) मद्रास, (४) मैसूर और (५) त्रावनकोर-कोचीन में (प्रत्येक राज्य में पृथक पृथक) कुल कितनी भूमि में चाय की खेती है ;

(ख) चाय पर से वसूल किये गये उत्पाद कर का कितना प्रतिशत आसाम को आवंटित किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३८]**

(ख) चाय पर वसूल किये गये केन्द्रीय उत्पाद कर का कोई अंश किसी राज्य को आवंटित नहीं किया जाता ।

श्री अमजद अली : प्रश्न के भाग (ख) उत्तर की ओर निर्देश करते हुए, मैं ने हिसाब लगाया है कि भारत में जो चाय पैदा होती है उसका ५/८ अंश आसाम में पैदा किया जाता है । मैं जान सकता हूं कि क्या आसाम का यह दावा कि इस आय का आधा भाग उसे मिलना चाहिए ठीक है ?

श्री करमरकर : जी नहीं, श्रीमान् ।

श्री आर० के० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि इसका आवंटन क्यों नहीं किया जाता ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : ये निर्यात शुल्क या उत्पादन शुल्क किसी विशिष्ट क्षेत्र को आवंटित नहीं किये जाते क्यों कि चाय का उपभोग शेष सारे भारत में किया जाता है और सरकार के लिए हमें किसी क्षेत्र को आवंटित करना संभव नहीं है । इसे इकट्ठा करना और इसे सारे देश के हित के लिए प्रयोग करना केन्द्र का उत्तरदायित्व है ।

बेकारी

***१२५. श्री एस० एन० दास :** क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों की अपने अपने क्षेत्रों में बेकारी दूर करने के लिए ११ सूत्रीय कार्यक्रम पर क्या प्रतिक्रिया हुई है ;

(ख) क्या वे कुटीर उद्योगों के विकास के लिए योजना बना सके हैं ;

(ग) यदि हां, तो उन्हों ने जो योजनाएं अपनाई हैं, वे किस प्रकार की हैं ;

(घ) क्या उन्होंने केन्द्र से सहायता मांगी है ; तथा

(ङ) यदि हां, तो क्या ?

योजना व सिंचाई तथा उद्योग मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ङ). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३९]**

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या राज्य सरकारें वे कारण जिनसे, उनकी राय में बेकारी बढ़ी है, बतला सकी हैं, और यदि हां, तो वे महत्वपूर्ण कारण क्या हैं ?

श्री नन्दा : उन के उत्तरों की सविस्तर जांच हो रही है। बेकारी बढ़ने के कारणों के सम्बन्ध में राज्यों ने अपने कुछ विचार प्रकट किये हैं ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या बेकरी दूर करने के लिए वर्तमान योजनाओं का उचित समन्वय

करने और उन्हें विस्तृत तथा विकसित करने का सुझाव दिया गया है ?

श्री नन्दा : जी हां, श्रीमान् । विवरण के साथ योजनाओं की जो सूची संलग्न है, उस में बतलाया गया है कि वे किस दिशा में योजना में संशोधन करना चाहते हैं ।

श्री दाभी : मैं जान सकता हूं कि क्या अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने कुटीर उद्योगों के लिए कोई योजनाएं बनाई हैं और यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री नन्दा : जहां तक मुझे ज्ञात है उन्होंने एक कार्यक्रम तैयार किया है और इसे वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के पास भेज दिया है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या वे नई योजनाएं जो कि योजना आयोग के प्रतिवर्ष १० लाख लोगों को काम दिलाने के लिए बनाई है राज्यों को भेज दी गई है और क्या राज्यों ने उन पर कोई आलोचना की है ?

श्री नन्दा : इस प्रयोजन के लिए राज्यों को एक पत्र भेजा गया था और उन से कहा गया था कि वे योजनाएँ बनाएं और बतलाएं कि वे केन्द्र से क्या सहायता लेना चाहते हैं ।

श्री ए० एम० टामस : मैं पूछ सकता हूं कि चूंकि योजना के व्यय में १५० करोड़ रुपये से १७५ करोड़ रुपये तक की वृद्धि करने का विचार क्या अन्तिम योजना की तरह जिसे इस सदन द्वारा अनुमोदित किया गया था, संशोधित योजना को भी संसद की स्वीकृति के लिए इस के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ?

श्री नन्दा : निस्संदेह संशोधनों के बारे में सदन को जानकारी दी जायेगी ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जान सकती हूं कि क्या बम्बई सरकार ने एक विशेष जनगणना की है और भारत सरकार से कहा है कि बेकारी केवल नाममात्र है ?

श्री नन्दा : बम्बई सरकार ने अपनी ओर से कोई जनगणना नहीं की । उस ने जनगणना रिपोर्ट का प्रयोग किया है । वहां से कुछ सामग्री ले कर उस के आधार पर उस ने कुछ टिप्पणी की थी । उस ने और कुछ नहीं कहा ।

'आजकल'

***१२६. श्री डी० सी० शर्मा :** (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रति मास 'आजकल' (हिन्दी और उर्दू पृथक पृथक) की कितनी प्रतियां छापी और प्रकाशित की जाती हैं ;

(ख) कितनी प्रतियां निःशुल्क बांटी जाती हैं और कितनी बेची जाती हैं ;

(ग) मुद्रण तथा प्रकाशन का व्यय क्या है ;

(घ) विज्ञापनों और विक्रय द्वारा कितनी राशि वसूल होती हैं ;

(ङ) पत्रिका के स्तर को उठाने और इसकी ग्राहक संख्या बढ़ाने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (घ) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४०]**

(ङ) पत्रिकाओं का स्तर उठाने और ग्राहक संख्या बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयत्न किये जाते हैं । स्तर उठाने के लिए प्रख्यात हिन्दी लेखकों को परामर्श देने के लिए आमंत्रित किया गया है ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि क्या पत्रिकाओं को चलाने से घाटा हो रहा है या इन की वित्तीय स्थिति अच्छी है ?

डा० केसकर : जहां तक हिन्दी संस्करण का सम्बन्ध है, थोड़ा सा घाटा हो रहा है । उर्दू संस्करण इस समय घाटे में चल रहा है ।

श्री डी० सी० शर्मा: मैं जान सकता हूं कि इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक है या जानकारी प्राप्त कराना है ?

डा० केसकर: यह मुख्यत: सांस्कृतिक है ।

श्री डी० सी० शर्मा: मैं जान सकता हूं कि यदि यह सांस्कृतिक है तो देश में प्रकाशित होने वाले इसी प्रकार की अन्य पत्रिकाओं से इसकी अनुचित प्रतिस्पर्धा क्यों है ?

डा० केसकर: बिलकुल नहीं । इन पत्रिकाओं को जारी रखने का एक उद्देश्य यह है कि हिन्दी या उर्दू की एक उच्च कोटि की मासिक पत्रिका की आवश्यकता को पूरा किया जाये । यदि इसका ज़रा भी शक होता कि ये पत्रिकाएं इस प्रकार की अन्य पत्रिकाओं के साथ, जो कि साधारण रूप से प्रकाशित होती हैं मुकाबला कर रही हैं, तो हम इन्हें बन्द कर देते ।

श्री मुनिस्वामी: मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि 'आजकल' की बहुत सी प्रतियां पाकिस्तान में बिकती हैं ?

डा० केसकर: जी हां, उर्दू संस्करण की ।

श्री गिडवानी: प्रति मास कितनी प्रतियां छपती हैं ?

डा० केसकर: हिन्दी संस्करण लगभग ७२००; उर्दू—४३०० ।

श्री गिडवानी: इन में से कितनी बिना मूल्य बांटी जाती हैं ?

डा० केसकर: लगभग ४०० प्रतियां उपहार स्वरूप अथवा अन्यथा बिना मूल्य बांटी जाती हैं ।

बेकारी

*१२७. **श्री तुलसी दास:** (क) क्या **योजना** मंत्री २ सितम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९४४ के उत्तर को ध्यान में रख कर यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उस उत्तर में १८ नगरों में बेकारी की जिस पड़ताल का उल्लेख किया गया था वह पूरी हो गई है ?

(ख) यदि हां, तो उस पड़ताल का फल क्या है ?

(ग) क्या योजना आयोग का विचार है कि बम्बई नगर में भी ऐसी ही पड़ताल कराई जाये ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा): (क) तथा (ख). आंकड़े इकट्ठे करने का काम तथा पड़ताल में इकट्ठी की गई सूचियों की जांच पूरी हो गई है । इस के फलों को सारिणीबद्ध किया जा रहा है । आशा है कि यह काम लगभग १० सप्ताह में समाप्त हो जायगा ।

(ग) जांच का प्रस्तुत कार्यक्रम पूरा हो जाने पर ही इस बात पर विचार किया जायगा कि बम्बई या अन्य स्थानों में बेकारी की समस्या की और क्या पड़ताल की जानी चाहिये ।

श्री तुलसीदास: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि बम्बई जैसे नगर को इन नगरों में क्यों नहीं रखा गया जब कि अन्य बड़े नगरों को सम्मिलित कर लिया गया था ?

श्री नन्दा : प्रारम्भ में कुछ नगरों में यह पड़ताल प्रारम्भ की गई थी, और, जैसा कि मैं ने कहा, इस से हमें जो अनुभव होगा, उस के आधार पर दूसरे बड़े नगरों में भी यह पड़ताल प्रारम्भ की जायगी ।

श्री नानादास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि कुछ चुने हुये क्षेत्रों में खेतिहर मज़दूरों के विषय में भी ऐसी पड़ताल करने का कोई कार्यक्रम है ?

श्री नन्दा : २३ नगरों की यह पड़ताल नमूने की राष्ट्रीय पड़ताल के अधीन विशेष रूप से की गई थी । अब पड़तालों के नियमित सिलसिले में विभिन्न क्षेत्रों के ९६० गांवों तथा ५३ नगरों में रोज़गार तथा बेकारी के सम्बन्ध में आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं । इस प्रकार हमें ग्रामीण क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी जानकारी मिल जायगी ।

बिहार में विकास-खण्ड

***१२८. श्री के० पी० सिन्हा :** क्या **योजना** मंत्री २४ अगस्त, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७७६ के उत्तर को ध्यान में रख कर यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बिहार में १४ नये विकास खण्डों की स्वीकृति देते समय किन मुख्य मुख्य बातों का ध्यान रखा गया था ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : इस की स्वीकृति "राष्ट्रीय विकास सेवा का संगठन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रसार" नामक पुस्तिका, जिस की प्रतियां पुस्तकालय में मिल सकती हैं, में दिये गये कार्यक्रम के अनुसार राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्थापनाओं के आधार पर दी गई थी ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि राज्य सरकारों के अतिरिक्त किसी अन्य संगठन से भी सलाह ली जाती है ?

श्री हाथी : राष्ट्रीय विकास सेवा के लिये राज्य सरकारों से ही सलाह ली गई है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि ये विकास खण्ड किस आधार पर विभिन्न राज्यों को दिये जाते हैं ?

श्री हाथी : खाद्य उत्पादन की योग्यता और क्षेत्र का पिछड़ा हुआ होना—ये दो आधार होते हैं ।

श्री एस० एन० दास : केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों द्वारा दिये गये सुझावों को स्वीकार करते समय किन बातों का ध्यान रखती है ?

श्री हाथी : जहां तक राष्ट्रीय विकास सेवा का सम्बन्ध है केन्द्रीय सरकार तो प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय विकास खण्डों की संख्या नियत करती है । उन खण्डों को चुनने का काम स्वयं राज्य सरकारें करती हैं ?

मैथन परियोजना

***१२९. चौ० रघुवीर सिंह :** (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने अब तक मैथन परियोजना पर कितना खर्च किया है ?

(ख) उस सुरंग पर कितना खर्च आया है जिस में से सर्दी में बाराकर नदी का पानी निकाला जाता है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) सितम्बर, १९५३ के अन्त तक ५,१७,२४,००० रुपये ।

(ख) दिसम्बर, १९५३ तक २७,१५,००० रुपये के खर्च का कार्यक्रम था । वास्तव में कितना खर्च हुआ यह अभी मालूम नहीं ।

चौ० रघुवीर सिंह : इस परियोजना को पूरी करने में कितना समय लगेगा ?

श्री हाथी : इस के १९५४-५५ तक पूरी होने का कायक्रम है ।

चौ० रघुवीर सिंह : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस परियोजना में कितने क्षेत्र के सींचे जाने की सम्भावना है ?

श्री हाथी : लगभग २,७०,००० एकड़ ।

पी वी सी केबल्स (तार)

*१३१. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में पी वी सी (पोलीविनाइल क्लोराइड) के लिपटे हुये तार (केबल) तथा फ्लक्सिबल तार बनाने की कितनी मशीनें अब तक लगाई गई हैं ?

(ख) भारत में ऐसे तार छोटे पैमाने पर बनाने वाले कितने हैं ?

(ग) वर्ष में ऐसे कितने तार की मांग होती है और कितना भारत में तैयार किया जाता है ?

(घ) बड़े पैमाने और छोटे पैमाने के उत्पादकों के मूल्यों में कितना अन्तर है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). मालूम हुआ है कि तीन फ़र्मों के पास इसके लिये मशीनें हैं । परन्तु उन में से किसी को भी छोटे पैमाने का उत्पादक नहीं कहा जा सकता ।

(ग) पी वी सी के लिपटे हुये तथा फ्लक्सिबल तार की मांग का अनुमान ठीक ठीक नहीं लगाया जा सकता क्योंकि रबड़ लिपटा हुआ तार भी इस के स्थान में काम में आ सकता है । उत्पादन के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

	लाख गज़
१९५२	३९·८७
१९५३ (जनवरी-अगस्त)	२६·३१

(घ) सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं पूछ सकता हूं कि इन फ़र्मों को सरकार से ऋण या अनुदान के रूप में कोई सहायता मिलती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे तो पता नहीं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इन फ़र्मों में तैयार किया गया तार विदेश से आये तार जितना अच्छी क़िस्म का होता है या नहीं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इन तीनों फ़र्मों में कितना तार तैयार किया जा सकता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण

*१३२. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के लोगों को उन क्षेत्रों में आम तौर पर होने वाली भारी वर्षा के कारण जो कठिनाइयां होती हैं उन्हें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जाने वाली है ?

प्रधान मंत्री के सभा-सचिव (श्री जे०, एन० हजारिका) : भारी वर्षा के कारण बाढ़ आ जाती है और उस से छोटे से मैदानी क्षेत्र के लोगों को ही कष्ट होता है । अभिकरण का अधिकतर भाग पहाड़ी क्षेत्र है । बाढ़ पीड़ित लोगों को सहायता दी जाती है और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिये निर्माण कार्य शुरू किये गये हैं ।

श्री एम० सी० सामन्त : हाल ही में माननीय वित्त मंत्री ने आसाम में बताया था कि इन क्षेत्रों के लिये ३ करोड़ रुपये के स्थान में दस करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस में से कितनी राशि, भारी वर्षा से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये खर्च की जायगी ?

श्री जे० एन० हजारीका : चालू वित्तीय वर्ष में अब तक सहायता के लिये लगभग १४,०२७–८–० रुपये के खाद्यान्न की मंजूरी दी गई है।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): मैं भी इस सम्बन्ध में कुछ कहूं ? यह प्रश्न बाढ़ तथा वर्षा के सम्बन्ध में है। आसाम की मुख्य समस्या यह है कि भूचाल के कारण वहां बड़ा परिवर्तन हुआ है और यह कि जिन नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया है या बदल रही हैं उन के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी है। यह बहुत बड़ी समस्या है। मेरा विचार है कि वित्त मंत्री ने इस वृहद् समस्या की ओर ही संकेत किया होगा। मैं यह नहीं बता सकता कि इस सम्बन्ध में उपरोक्त राशि का कितना भाग खर्च किया जायगा।

श्री रिशांग किशिंग : क्या मैं पूछ सकता हूं कि बाढ़ पीड़ित लोगों को किस किस रूप में सहायता दी जाती है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू' सच तो यह है, जैसा कि प्रश्न के उत्तर में कहा गया है, वर्षा का प्रभाव पहाड़ी क्षेत्रों पर अधिक नहीं पड़ता। परन्तु जैसा कि मेरे साथी ने अभी कहा, खाद्यान्न के रूप में सहायता भेजी गई है।

निष्क्रान्त सम्पत्ति

*१३३. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि उत्तर प्रदेश में उन निष्क्रान्तों की जो कि पाकिस्तान चले गये हैं कुछ कृषिभूमि अवैधानिक तौर पर अधिकार में है ; और

(ख) क्या वहां निष्क्रान्त कृषिभूमि विस्थापित किसानों को दे दी गई है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

श्री गिडवानी : उत्तर प्रदेश में निष्क्रान्त कृषि भूमि का कुल कितना क्षेत्रफल है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : यह लगभग ३ लाख एकड़ है।

श्री गिडवानी : मैं जान सकता हूं कि क्या सम्पूर्ण निष्क्रान्त भूमि जो अवैधानिक अधिकार में थी पुनः प्राप्त कर ली गई है ?

श्री ए० पी० जैन : उत्तर प्रदेश सरकार से इस प्रश्न पर हम बातचीत कर रहे हैं और एक प्रकार के समझौते पर आ गये हैं, तदनुसार स्थानीय व्यक्तियों को अनुचित रूप से कठिनाई में डाले बिना अधिक से अधिक क्षेत्र जितना कि सम्भव हो सकेगा प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। कुछ मामलों में हम क्षतिपूर्ति लेंगे।

श्री गिडवानी : मैं जान सकता हूं कि क्या पुनः प्राप्त की हुई भूमि, अथवा अन्य प्रकार से प्राप्य भूमि विस्थापितों को दे दी गई है ?

श्री ए० पी० जैन : सम्पूर्ण भूमि जो पुनः प्राप्त की गई है वह विस्थापित व्यक्तियों को दे दी गई है।

श्री बी० एस० मूर्ति : इस भूमि में से कितनी भूमि पहले स्थानीय व्यक्तियों के अधिकार में थी ?

श्री ए० पी० जैन : बिल्कुल ठीक आंकड़े तो मैं नहीं दे सकता किन्तु फिर भी

काफ़ी मात्रा में थी । लगभग एक लाख एकड़ से अधिक भूमि के स्वामी तो बाहर चले गये और स्थानीय व्यक्तियों ने काश्तकार के रूप में उन पर अधिकार कर लिया है ।

औद्योगिक विकास निगम

*१३४. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नये उद्योगों को चालू करने के लिये सरकार ने एक औद्योगिक विकास निगम की स्थापना करने का विचार किया है ?

(ख) यदि हां, तो कब इस निगम के बनने की सम्भावना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). औद्योगिक विकास को प्रशीघ्रता देने के लिये किये जाने वाले बहुत से प्रस्तावों में से औद्योगिक विकास निगम की स्थापना का भी एक प्रस्ताव है जो कि आजकल सरकार के विचाराधीन है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : अनुमानित पूंजी क्या होगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ने बताया कि अभी तो यह केवल एक विचार है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जान सकती हूं कि यदि वह निगम बनेगा तो क्या यह राज्य के स्वामित्व के उद्योगों को ही चलायेगा अथवा निजी उद्योगों को भी भाग लेने के लिये निमंत्रित करेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : निगम अभी बना नहीं है, अतएव में इस प्रश्न का उत्तर अब देने में असमर्थ हूं ।

नैपाल तथा सिक्किम को अनुदान

*१३५. **श्री बी० के० दास :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नेपाल तथा सिक्किम को वहां के आन्तरिक विकास के लिये इस चालू वर्ष में कोई अनुदान दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि का ; और

(ग) किस कार्य के लिये अनुदान दिये गये हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग). सिक्किम को कोई अनुदान नहीं दिया गया है किन्तु कुछ विशेषज्ञ वहां के राज्य अधिकारियों को विकास योजनाओं के तैयार करने, और इसके जंगल के संसाधनों की परिमाप करने, तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी दशाओं की जांच करने में सहायता देने के लिये नियुक्त किये गये हैं ।

सैद्धान्तिक तौर पर भारत सरकार नेपाल में कुछ विकास योजनाओं का खर्चा उठाने के लिये तैयार हो गई है, किन्तु इस सम्बन्ध में ठीक कितना धन व्यय होगा इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया जा सकता ।

श्री बी० के० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या नैपाल को काठमांडू-रक्सौल सड़क बनाने के लिये कोई सहायता दी गई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां । सड़क के बनाने तथा हवाई जहाज़ उतारने की पटरी को विस्तार देने तथा अन्य छोटे छोटे कार्य के लिये उन्हें धन दिया गया है ।

श्री बी० के० दास : क्या इसके लिये कोई धन स्वीकार किया गया है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक सड़क का सम्बन्ध है, अनुमानित खर्चा ९१

लाख रुपया था, किन्तु इन आंकड़ों से अधिक व्यय होने की सम्भावना है, और हवाई क्षेत्र के लिये पिछले वर्ष--बल्कि यों कहिये कि इस वर्ष ७ लाख रुपया स्वीकार किया गया था।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं जान सकता हूं कि यदि ये राशियां नेपाल को दी गई हैं तो क्या ये अनुदान के रूप में हैं अथवा ऋण के रूप में ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : ऋण और वह भी इस प्रकार से कि जो ऋण हम उनको देने वाले हैं उसमें से इसका हिसाब किताब किया जायगा । इसका कुछ भाग कोलम्बो योजना के अन्तर्गत है ।

दामोदर घाटी निगम परियोजना क्षेत्र के विस्थापित व्यक्ति

***१३७. श्री पी० सी० बोस :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री १३ मई, १९५३ को अतारांकित प्रश्न संख्या १४५३ के उत्तर का निर्देश करते हुये बताने की कृपा करेंगे :

(क) दामोदर घाटी परियोजना के कारण अपने घरों तथा भूमि से वंचित हुये विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने में कितनी प्रगति हुई है ? कितने व्यक्ति विस्थापित हुये तथा कितनों को फिर से बसाया गया ?

(ख) क्या इन विस्थापित व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिये इस क्षेत्र में घरेलू उद्योगों को संगठित करने की योजना पूरी हो गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) वांछित जानकारी से सम्बन्धित विवरण जो दामोदर घाटी निगम से मिला है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनबन्ध संख्या ४१]**

(ख) यह योजना विचाराधीन है ।

श्री पी० सी० बोस : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने प्रकार के घरेलू उद्योगों का सुझाव दिया गया है ?

श्री हाथी : बहुत से उद्योगों के बारे में प्रस्ताव किये गये हैं किन्तु वे अभी वाणिज्य मंत्रालय के परामर्श से सरकार के विचाराधीन है ।

श्री पी० सी० बोस : क्या इन घरेलू उद्योगों का विचार उन स्थानों में मिलने वाले कच्चे माल के आधार पर किया गया है ?

श्री हाथी : निश्चय ही, श्रीमान् ।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं जान सकता हूं कि इस योजना के अन्तर्गत बनाये गये सभी मकानों पर अब विस्थापित व्यक्तियों ने अधिकार कर लिया है ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री हाथी : सभी मकान अभी उनके अधिकार में नहीं हैं । कुछ विस्थापित व्यक्ति इन बने हुये मकानों को अधिकार में करना नहीं चाहते ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार को उन व्यक्तियों की यातनाओं के सम्बन्ध में बता दिया है जिनको अपनी भूमि तथा मकानों से अलग किया गया है, एवं जिन्हें अभी तक भूमि तथा मकान आदि नहीं दिये गये हैं ?

श्री हाथी : वास्तव में विस्थापित होने वाले व्यक्तियों के लिये मकान बनाये गये थे । किन्तु विस्थापित व्यक्ति उन मकानों को अपनाने के इच्छुक नहीं हैं, और बिहार सरकार उनको इस बात को मनाने के लिये कि या तो वे मकानों पर अधिकार कर लें अथवा नक़द क्षतिपूर्ति ले लें, तैयार कर रही है ।

श्री झुनझुनवाला : इन मकानों को न अपनाने के लिये उन्होंने क्या कारण दिये थे ?

श्री हाथी : अब वे नक़द रूप में क्षति-पूर्ति मांगते हैं । प्रारम्भ में वे मकान मांगते थे ।

बिजली के छोटे बल्ब

***१३८. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने बिजली के छोटे बल्ब बनाने की योजनाओं को स्वीकार कर लिया है ?

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

(ग) क्या इन योजनाओं को चलाने के लिये किसी विदेशी प्रविधिक सहायता की आवश्यकता पड़ेगी अथवा स्थानीय विशेषज्ञ ही इस कार्य के लिये काफ़ी हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) जी हां । विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे बल्ब बनाने की योजनायें स्वीकार कर ली गई हैं । इन योजनाओं की कोई मुख्य विशेष बातें नहीं हैं, सिवाय इसके कि मोटर में काम आने वाले बल्ब, टार्च के बल्ब, रेडियो के डायल में काम आने वाले बल्ब, टेलीफून स्विचबोर्ड में काम आने वाले बल्ब, साइकिल डाइनुमो के बल्ब आदि बनाने का विचार किया गया है ।

(ग) जहां तक सम्भव हो, वहां तक स्थानीय विशेषज्ञों का उपयोग किया जायगा । कुछ मामलों में कारखाने के निर्माण एवं बाद में भारतीय व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिये विदेशी प्रविधिक सहायता की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन योजनाओं में कितना धन लगेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : लगने वाले धन का मुझे कोई अनुमान नहीं है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को उन स्थानों का पता है जहां इन बल्बों का उत्पादन किया जाना चाहिये ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां । वास्तव में देखा जाय तो ये ठोस योजनायें हैं । कलकत्ता, कानपुर तथा बम्बई में आजकल तीन सार्थ उत्पादन-कार्य कर रहे हैं । दूसरे सार्थ उत्पादन का कार्य फ़रीदाबाद, बंगलौर तथा कलकत्ता में करेंगे ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि देश के प्रविधिक विशेषज्ञ काफ़ी नहीं होंगे इसलिये हमें विदेशों से सहायता लेनी होगी । मैं जान सकता हूं कि किन देशों से यह सहायता ली जायगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ने बताया कि प्रश्न काल्पनिक है, और इसका यही उत्तर है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो सहायता ली जायगी । मेरे पास कोई विस्तृत जानकारी नहीं है कि किन देशों से हमको ये प्रविधिक विशेषज्ञ मिलेंगे ।

हीराकुड परियोजना के प्राक्कलन कर्त्ता

***१३९. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री हीराकुड बांध के प्राक्कलन के सम्बन्ध में १७ सितम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३६८ के उत्तर की ओर निर्देश करेंगे, तथा यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हीराकुड बांध परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये केन्द्रीय जल तथा

विद्युत आयोग द्वारा सर्वप्रथम वे नक्शे कब बनाये गये थे, जिनके आधार पर परियोजना का काम होगा ;

(ख) परियोजना के विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने के लिये प्रविधिक कर्मचारियों की कब आवश्यकता पड़ी थी और वे मिले नहीं थे; तथा

(ग) अपेक्षित कर्मचारी कब प्राप्त हुये और आयोग द्वारा भर्ती किये गये थे ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) इमारतों के आधारभूत नक्शों की तैयारी सितम्बर, १९४८ में, और सहायक बांध, मुख्य बांध, नहरों तथा विद्युत प्राप्त करने की लहर के नक्शों की तैयारी १९५० के शुरू में आरम्भ की गई थी ।

(ख) १९४८ के अन्तिम भाग में ।

(ग) भर्ती मई, १९५० में आरम्भ हुई थी परन्तु कमी अभी हाल तक जारी रही थी ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने प्राक्कलन कर्ताओं की आवश्यकता थी और कितने उपलब्ध हुये ?

श्री हाथी: स्वीकृत पदों की कुल संख्या २३ है और १४ स्थानों की पूर्ति हो गई है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: मैं जान सकता हूं कि क्या एक बिना योग्यता वाले व्यक्ति को पदोन्नत करके एक प्रधान ड्राफ्ट्समैन बना दिया गया है ?

श्री हाथी: इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई सूचना नहीं आई है ।

श्री टी० एन० सिंह: प्रश्न यह था कि नक्शे कब तैयार हुये, न कि नक्शों की तैयारी कब आरम्भ की गई । क्या मैं जान सकता हूं कि इस परियोजना के लिये नक्शे कब तैयार हुये थे ?

श्री हाथी: जैसा कि मैं बता चुका हूं, इमारतों के नक्शों को बनाने का कार्य १९४८ में तथा बांध आदि के नक्शों को बनाने का कार्य १९४९ से आरम्भ किया गया था ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि वे बन कर कब तैयार हुये ।

श्री हाथी: नमूनों के नक्शे बराबर बनते रहते हैं और यह काम १९५१ के आस-पास पूरा हुआ था ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या यह तथ्य है कि प्राक्कलन विभाग में कुछ निरीक्षक (सुपरवाइज़र) प्राक्कलन कर्त्ता के रूप में काम कर रहे हैं ?

श्री हाथी: मुझे इस सम्बन्ध में कुछ भी मालूम नहीं है ।

श्री यू० सी० पटनायक: क्या मैं जान सकता हूं कि अमरीका के अन्तर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग निगम के पास से केन्द्रीय जल, सिंचाई तथा नौवहन आयोग को नक्शे कब प्राप्त हुये थे ?

श्री हाथी: यह प्रश्न स्वयं आयोग द्वारा नमूनों के नक्शे बनाने से सम्बन्धित है, जब कि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में सूचना चाहते हैं कि उन इन्जीनियरों द्वारा तैयार किये गये नक्शे आयोग को कब प्राप्त हुये । मैं समझता हूं कि वे १९५०-५१ के लगभग प्राप्त हुये थे ।

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न ।

श्री यू० सी० पटनायक: मैं जान सकता हूं कि क्या हाल में प्राक्कलन.. ....

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति । अगला प्रश्न ।

ट्रैक्टरों का निर्माण

*१४०. **श्री एल० एन० मिश्र : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत में ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिये कोई कारख़ाना स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस कारख़ाने का (१) नाम (२) उसकी स्थिति तथा (३) उसकी सामर्थ्य क्या है ; तथा

(ग) उसके उत्पादन आरम्भ करने की कब आशा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). ट्रैक्टरों तथा ट्रैक्टर द्वारा चलने वाले कृषि के औज़ारों के निर्माण के लिये समय समय पर सरकार के सामने अनेक प्रस्ताव रखे गये हैं । फ़र्ग्यूसन ट्रैक्टरों को छोड़ कर, जो कि अब सी० के० डी० दशा में आयातित पुर्ज़ों को जोड़ कर भारत में बनाये जाते हैं अन्य कोई भी क्रियान्वित नहीं हुआ है । आशा यह की जाती है कि फर्ग्यूसन ट्रैक्टर में प्रयोग होने वाले स्टैण्डर्ड वैंगार्ड इंजिन के ५० प्रतिशत पुर्ज़े, १९५४ के अन्त तक, मेसर्स स्टैंडर्ड मोटर प्राडक्ट्स, मद्रास द्वारा भेजी गई एक योजना के अनुसार, बनने लगेंगे ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि क्या प्रविधिक सहायता के फलस्वरूप फर्ग्यूसन फर्म को कोई विदेशी सहायता दी गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक मुझे मालूम है, कोई भी सहायता नहीं दी गई है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या सरकार को यह मालूम है कि विदेशों से आयातित ट्रैक्टर सामान्यतः बेकार पड़े रहते हैं, क्योंकि वे कम्पनियां उनके फुटकर पुर्ज़े नहीं भेज पातीं हैं ? क्या इन ट्रैक्टरों के कम से कम फुटकर पुर्ज़ों को बनाने वाला कोई कारख़ाना स्थापित करने का सरकार कोई प्रयत्न कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कोई भी व्यक्ति तब तक ट्रैक्टर आयात नहीं कर सकता है जब तक कि वह १५ प्रतिशत मूल्य के फुटकर पुर्ज़े नहीं मंगाता । यदि इन ट्रैक्टरों के बारे में, जिनके फुटकर पुर्ज़े उपलब्ध नहीं हैं, ब्योरे सरकार को बताये जायें तो हम निश्चय ही भरसक चेष्टा करेंगे कि वे फुटकर पुर्ज़े उपलब्ध हो जायें ।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि उद्योगपतियों के सामने ट्रैक्टर निर्माणकारी कारख़ाने स्थापित करने के मार्ग में वस्तुतः कौन सी कठिनाइयां हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह एक अत्यन्त व्यापक प्रश्न है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : माननीय मंत्री ने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय के पास बहुत सी योजनायें भेजी गई हैं । इन प्रस्तावों के आधीन भारत में पुर्ज़े जोड़ कर एक ट्रैक्टर बनाने का अनुमानित मूल्य क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वह ट्रैक्टर जो कि आजकल इस देश में पुर्ज़े जोड़ कर बनाया जा रहा है, लगभग ७,००० रुपये प्रति ट्रैक्टर के हिसाब से बिकता है । किन्तु क़ागज़ी योजनाओं के अधीन निर्मित होने वाले ट्रैक्टरों का संभाव्य मूल्य मैं नहीं बता सकता ।

उर्वरक

*१४१. **श्री भागवत झा : (क) उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि आजकल उर्वरक के वितरण का जो प्रबन्ध है उसके कारण 'सिन्द्री' में बहुत स्टाक जमा हो गया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार वितरण की किसी नई योजना पर विचार कर रही है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) इस वर्ष के आरम्भ में जो स्टाक अधिक था वह अब काफ़ी घट गया है। वितरण प्रबन्धों में सुधार के द्वारा तथा अन्यथा खाद्य तथा कृषि मंत्रालय इस बात का सतत प्रयत्न कर रहा है कि उर्वरक अधिक मात्रा में उठाया जाये ।

(ख) केन्द्रीय उर्वरक संचय के आधीन वर्तमान वितरण प्रबन्धों को जारी रखने अथवा सिन्द्री फ़र्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड के द्वारा प्रस्तावित वितरण की नई योजना को अपनाने के प्रश्न पर खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

श्री भागवत झा : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार केवल उर्वरक का उत्पादन कर रही है अथवा उसको ग्रामीणों के पास पहुंचाने के लिये उसके पास प्रचार की कोई व्यवस्था भी है ?

श्री के० सी० रेड्डी: राज्यों तथा केन्द्र में कृषि मंत्रालयों द्वारा थोड़ा बहुत प्रचार-कार्य भी किया जाता है ।

श्री भागवत झा : क्या यह तथ्य है कि जो कोटा राज्यों को भेजे गये हैं वे सिन्द्री के गोदामों में रहने के बजाय राज्य के गोदामों में पड़े हुये सड़ रहे हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी: मुझे मालूम नहीं है ।

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : इस वर्ष सारे देश में उर्वरक की खपत दुगनी हो गई है ।

श्री झुनझुनवाला: क्या स्टाक इसलिये नहीं उठाया गया है क्यों कि वितरणकर्ता अभिकरण त्रुटिपूर्ण है अथवा इसलिये कि कृषक इस चीज़ को नहीं चाहते हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : एक रूप से तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं । यह बात नहीं है कि कृषक लोग इस चीज़ को पसन्द नहीं करते । वितरण के प्रबन्ध सम्बन्धित राज्यों द्वारा किये जाते हैं । प्रत्येक राज्य में उसकी अपनी वितरण व्यवस्था होती है और उस कार्य के लिये उसके अपने अभिकरण होते हैं । जैसा कि मैं ने कहा, वितरण प्रबन्धों में सुधार की कुछ गुंजाइश हो सकती है और राज्य अपने भरसक सुधार करने के प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री भागवत झा: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि कृषक लोग उस मौसम में उर्वरक चाहते हैं जब उनके पास कम पैसे होते हैं, क्या सरकार उर्वरक को एक ऋण के आधार पर देने का विचार करती है ?

श्री के० सी० रेड्डी : राज्य सरकारों ने कृषकों को ऋण की सुविधायें पहले ही से दे रखी हैं ।

श्रीमती ए० काले : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूं ।

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न ।

काफी

***१४३. श्री एन० एम० लिंगम:** (क) **क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर १९५३ में मद्रास में काफ़ी बोने वालों तथा मद्रास, त्रावनकोर-कोचीन, कुर्ग और मैसूर की सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच एक सम्मेलन हुआ था ?

(ख) काफ़ी उद्योग के सम्बन्ध में इस सम्मेलन ने भारत सरकार से क्या सिफ़ारिशें की हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) मुझे मालूम हुआ है कि ऐसा एक सम्मेलन मद्रास में हुआ था ।

(ख) इस सम्मेलन के सुझावों का सार, जो मद्रास सरकार ने हमारे पास भेजा है, जताने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४२]**

श्री एन० एम० लिंगम : श्रीमान्, विवरण से यह पता चलता है कि मद्रास सरकार ने काफ़ी के बुनियादी मूल्य, तटकर आयोग द्वारा काफ़ी के उत्पादन की लागत की जांच, काफ़ी के निर्यात तथा काफ़ी बोर्ड में कॉफ़ी प्लांटर्स (बोने वालों) के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में सिफ़ारिशें की हैं । श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने उसमें से कितनी सिफ़ारिशों को मान लिया है ?

श्री करमरकर: श्रीमान्, संक्षेप में मैं यह बता दूं कि बुनियादी मूल्य को नियत करने के सम्बन्ध में हमने एक लागत लेखा पदाधिकारी के द्वारा एक जांच करवाई है और उसका प्रतिवेदन प्राप्त होने पर हम उक्त प्रश्न पर अन्तिम रूप से विचार करेंगे । इसके बाद तटकर आयोग सम्बन्धी बात आती है । जहां तक वर्तमान प्रश्न का सम्बन्ध है हम अभी तक लागत का लेखा तैयार कराने का कोई व्यावहारिक तरीक़ा नहीं ढूँढ पाये हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम कॉफ़ी बोर्ड के विरुद्ध इस बात की शिकायतें की गई हैं कि वह एक वैधानिक एकाधिकार है, जो उपभोक्ताओं के बजाय उत्पादकों के पक्ष में काम करता है । इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार सम्पूर्ण कॉफ़ी उद्योग तथा कॉफ़ी बोर्ड के विक्रय के तरीक़ों को तटकर आयोग को निर्देश करने की सम्भावना पर विचार करेगी ताकि उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके ?

श्री करमरकर: श्रीमान्, मैं समझता हूं कि वितरण के मामले में उपभोक्ता के हित काफ़ी सुरक्षित हैं, और मुझे विश्वास है कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने व्यक्तिगत रूप से जो ज़ोरदार प्रयत्न किये हैं और वह कर भी रहे हैं, वे माननीय सदस्य को मालूम हैं ।

पंचवर्षीय योजना का प्रचार

*१४४. **श्री बुच्चिकोटैय्या** : (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि देश भर में पंचवर्षीय योजना का प्रचार करने के लिये सरकार ने कोई ठोस योजना बनाई है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो अनुमानतः इस प्रचार कार्य पर कितना धन व्यय किया जायेगा ?

(ग) प्रचार की योजना में मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : अनुदानों के लिये अनुपूरक मांगों पर वादविवाद के समय सदन में प्रचार-योजना के विवरणों पर चर्चा हुई थी तथा वे १९५३-५४ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों की पुस्तक में उपलब्ध हैं ।

भील परिवारों का पुनर्वास

*१४६. श्री भीखाभाई : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री दिनांक १५ मई, १९५३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४४७ और १७ सितम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३७४ के उत्तरों की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और यह बतायेंगे कि नई दिल्ली में ठहरे हुये तीन सौ भील परिवार कितने समय से भूमि आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं ?

(ख) उनके पुनर्वास में विलम्ब का क्या कारण है ?

(ग) क्या मध्यभारत में भूमि उपलब्ध करा दी गई है ?

(घ) यदि उक्त बात सही है, तो उन्हें कब भूमि दी जायेगी ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) अगस्त, १९५२ से ।

(ख) भूमि उपलब्ध न होने के कारण ।

(ग) अभी नहीं । यह विषय राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री भीखाभाई : श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली में उनके निवास की क्या अन्तर्कालीन व्यवस्था की गई है ?

श्री जे० के० भोंसले : लगभग २१९ परिवार राजौरी गार्डन अस्थायी झोंपड़ियों में, १०० परिवार राजेन्द्रनगर में और शेष किचनर होस्टल में रह रहे हैं ।

श्री भाखाभाई : श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है, कि नई दिल्ली के म्युनिसिपल अधिकारियों द्वारा उनके मिट्टी के झोंपड़ों को भूमिसात कर दिया गया है ?

श्री जे० के० भोंसले : मुझे मालूम नहीं है । मैं जांच करूंगा ।

श्री गिडवानी : क्या उन्हें मध्य भारत में खेती के लिये भूमि प्राप्त होने की आशा है ?

श्री जे० के० भोंसले : यह विषय मध्य भारत सरकार के विचाराधीन है और मुझे आशा है कि लगभग एक महीने में हमें ठोस उत्तर मिल जायेगा ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि मूल रूप में वे किस राज्य से आये थे ?

श्री जे० के० भोंसले : सिंध ।

श्री यु० एम० त्रिवेदी : वे मध्य भारत से आये अथवा राजस्थान से ?

श्री जे० के० भोंसले : वे दिल्ली के आसपास थे ।

नये कारखाने

*१४९. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उद्योग (विकास और विनियम) संशोधन अधिनियम, १९५३ के अन्तर्गत अभी तक कुल कितने नये कारखानों को अनुज्ञप्तियां दी गई हैं और इन कारखानों का सम्बन्ध किन किन उद्योगों से है ?

(ख) इन में कुल कितनी पूंजी लगाई गई है तथा इन में सम्मिलित होने वाले विदेशी समवायों का संख्या और नाम ?

(ग) अभी तक अनुज्ञप्ति प्राप्त कारखानों में (१) केन्द्र, और (२) राज्य सरकारों से सम्बन्धित कितने विशुद्ध राज्य-समवाय हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). एक विवरण पत्र सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४३]**

श्री के० सी० सोधिया : विदेशी पूंजी कुल कितनी है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, यथार्थ स्थिति यह है कि यह प्रश्न अनुज्ञप्ति देने से सम्बन्धित है और जब तक वास्तव में पूंजी का विनियोग नहीं किया जाता तब तक हमारे लिये यह कहना कठिन है कि कुल पूंजी का कितनी है अथवा उसमें विदेशी पूंजी का क्या अनुपात है ?

श्री के० सी० सोधिया : विदेशी समवाय किन देशों से सम्बन्धित है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, जैसा मैं ने कहा था यह प्रश्न अनुज्ञप्तियां देने से सम्बन्धित है और मैं ने विवरण पत्र में इस को संक्षेप में दिया है । विस्तृत जानकारी लगभग २० पृष्ठों पर है और मुझे खेद है कि उक्त कार्य के स्वरूप का विश्लेषण अभी सम्भव नहीं है ।

श्री के० सी० सोधिया : जिन समवायों में उक्त विदेशी सार्थ भाग ले रहे हैं क्या वे निजी समवाय हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, यह स्पष्ट है । यदि वे हैं भी तो वे निजी समवाय हैं ?

श्री के० सी० सोधिया : क्या उनकी घोषित पूंजी और लाभांश प्रतिवेदित नहीं हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह अनुज्ञप्ति देने का प्रश्न है और स्वयं पूंजी का प्रश्न अनुमानित है । समवायों ने कार्य आरम्भ नहीं किया है और लाभांश प्राप्त नहीं हो सका ।

श्री एस० वी० रामास्वामी : प्रार्थनापत्र की तिथि और अनुज्ञप्ति दिये जाने के बीच लगभग कितना समय लगता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह अलग-अलग मामलों पर निर्भर है । मैं स्थिति के विषय में सामान्य बात कहने और उत्तर देने में समर्थ नहीं हूं । साधारण तया अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाली समिति की बैठक हर महीने होती है ।

विशाखापटनम् में जहाज़ का कारखाना

*१५०. **श्री के० सुब्रह्मण्यम् :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विशाखापटनम् नौ-प्रांगण की बस्ती में कर्मचारी-वृन्द और श्रमिकों कि बच्चों के लिये किन किन शिक्षा-सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : जहाज़ के इस कारख़ाने में एक निम्न प्रारम्भिक पाठशाला है जहां निःशुल्क शिक्षा दी जाती है । मालूम हुआ है कि संचालक बोर्ड ने इस वर्ष उच्च प्रारम्भिक पाठशाला बनाने का निर्णय किया था किन्तु विद्यार्थियों की संख्या पर्याप्त न होने से अभी उच्च प्रारम्भिक पाठशाला आरम्भ नहीं की गई है ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : श्रीमान्, क्या यह सच नहीं है कि जहाज़ के इस कारख़ाने की बस्ती से ७० या ८० विद्यार्थी बस्ती के बाहर नगर की माध्यमिक पाठशालाओं में जाते हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : नहीं, श्रीमान् । यह सही नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बस्ती के पाठशाला जाने वाले बालकों के सम्बन्ध में गणना की गई है ?

श्री आर० जी० दुबे : जहां तक मुझे स्मरण है, लगभग ३० विद्यार्थी पाठशाला जाते हैं और लारी के यातायात का लाभ उठाते हैं, नाव से आने जाने वालों के लिये २४ पास दिये गये हैं, किन्तु केवल १६ पासों का ही उपयोग किया गया है ?

श्री नानादास : क्या सरकार के पास उक्त क्षेत्र के पाठशाला जाने वाले बालकों की गणना आदि करने के लिये कोई प्रस्ताव है ?

श्री आर० जी० दुबे : नहीं, श्रीमान्, मुझे इस तरह की किसी गणना की जानकारी नहीं है ।

डा० लंका सुन्दरम्: श्रीमान्, क्या यह सच है कि पाठशाला में नियोजित कर्मचारीवृन्द में समुचित योग्यता के अभाव के परिणाम-स्वरूप ही कर्मचारियों के बालक वहां नहीं जा रहे हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): मैं प्रश्न में बताये गये आरोप को स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम्: श्रीमान् क्या यह सच नहीं है कि श्रमिकों द्वारा माध्यमिक पाठशाला खोलने की अनवरत मांग किये जाने पर भी प्रबन्धकर्ता केवल प्रारम्भिक पाठशाला खोलने के लिये ही तैयार हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी: संचालक-बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार कर्मचारी-वृन्द और श्रमिकों की ओर से एक माध्यमिक पाठशाला खोलने की मांग प्रस्तुत हुई थी । संचालकों ने उच्च प्रारम्भिक पाठशाला बनाने का निश्चय कर लिया था किन्तु कतिपय प्रतिकूल कारणों से अभी यह शुरू नहीं किया गया है ।

डा० लंका सुन्दरम् मैं जानना चाहता हूं, श्रीमान्, कि वे प्रतिकूल कारण क्या हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी: श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि हमारी चर्चा अत्यधिक विस्तृत रूप धारण कर रही है । शीघ्र ही माध्यमिक पाठशाला खोलने में एक अलग भवन की आवश्यकता है तथा अन्य दूसरे कारण हैं जिन से संचालक बोर्ड का कार्य आगे बढ़ने से रुक गया है ।

श्री नानादास: मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा पाठशाला को कितना अनुदान स्वीकृत किया गया है ?

श्री के० सी० रेड्डी: मैं नहीं समझता कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस तरह की कोई सहायता दी गई है ।

विशाखापटनम् के जहाजी कारखाने की बस्ती

*१५१. **श्री के० सुब्रह्मण्यम्:** (क) **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस तथ्य से परिचित है कि विशाखापटनम् जहाजी कारखाने की बस्ती में अकुशल श्रमिकों के लिये बनाये गये मकान और उनकी नालियां असन्तोषजनक हैं ?

(ख) यदि यह सही है तो सरकार इस स्थिति के उपचार हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे): (क) और (ख). जहाजी कारखाने के प्रबन्धकों से निश्चित रूप से यह मालूम कर लिया गया है कि जहाजी कारखाने की बस्ती में अकुशल श्रमिकों के लिये बनाये गये मकान उसी कोटि के कर्मचारियों के लिये अन्यत्र बनाये गये मकानों और सरकारी सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अधीन मानदण्डों से किसी भांति कम नहीं हैं । मौनसून की ऋतु में नालियों में कीचड़ भर जाने से कई स्थानों पर नालियों के द्वार बन्द हो जाने पर भी नालियों की ओर निरंतर ध्यान दिया जाता है और नालियों को स्वच्छ रखने के लिये प्रत्येक उपाय किया जाता है । फिर भी सरकार स मामले की ओर जांच करने के लिये जहाजी कारखाने की कम्पनी से कहेगी और देखगी कि उनमें क्या सुधार किये जा सकते हैं ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम्: श्रीमान्, क्या यह सच नहीं है कि श्रमिकों के क्वार्टरों की वर्ष में एक बार भी पुताई नहीं होती है ?

श्री आर० जी० दुबे: नहीं, उनकी वर्ष में दो बार पुताई होती है ।

श्री बी० एस० मूर्ति: मैं जाना चाहता हूं कि मकानों की उपयुक्तता के विषय में

विशाखापटनम् नगरपालिका के स्वास्थ्य पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त करने का कोई प्रयास किया गया है ?

श्री आर० जी० दुबे : स्वास्थ्य पदाधिकारी ने सिफारिशें प्रस्तुत की हैं । उन्होंने केवल एक ही सुझाव रखा है कि अधिक पानी डाल कर उन्हें बार बार साफ कर देना चाहिये।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या मंत्री महोदय इस तथ्य से अवगत हैं कि अकुशल श्रमिकों के लिये प्राप्त होने वाले अधिकांश क्वार्टर्स में दीवारें नहीं हैं किन्तु कोनों के बीच की खाली जगहें चटाई मढ़ कर जिन में बांस की चटाइयां भी सम्मिलित हैं, पूरी कर दी जाती हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : क्या माननीय सदस्य का अभिप्राय उन अनधिकृत क्वार्टरों से है जो धीरे धीरे वहां खड़े कर दिये गये हैं ?

डा० लंका सुन्दरम् : मेरा प्रश्न ठीक बस्ती में बनाये मकानों के सम्बन्ध में है । विशेष रूप से उड़ीया श्रमिकों द्वारा बसाये गये क्वार्टरों की ओर मेरा संकेत है ।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): श्रीमान्, मेरे पास सूचना नहीं है ; मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री पी० सी० बोस : श्रमिक क्वार्टरों का विशेष विवरण क्या है ?

श्री आर० जी० दुबे : उनकी तीन किस्में हैं, स्थायी और अर्द्धस्थायी क्वार्टर ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सिगरेट

*११८. **श्री हेडा :** (क) **क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय भारत में सिगरेट बनाने वाले कारखानों की संख्या उनका उत्पादन और मूल्य क्या है ?

(ख) क्या छोटे पैमाने की मशीनें भी इस कार्य में प्रयुक्त हैं, अर्थात् ऐसी मशीनें जिनमें सिगरेट बनाने में १० से कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है ?

(ग) यदि हां, तो उनकी क्या संख्या है ?

(घ) मूल्य और संख्या की दृष्टि से पिछले तीन वर्षों में पूर्ण उपभोग का कितना प्रतिशत आन्तरिक उत्पादन से पूरा होता है ?

(ङ) क्या उत्पादन बढ़ाने और देश को आत्मभरित करने के लिये कोई कार्यक्रम है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): वर्तमान में १६ कारखाने उत्पादन में लीन हैं। वर्ष १९५२ में २०,११० लाख सिगरेट का कुल निर्माण हुआ है । १९५२-५३ में भारत में निर्मित सिगरेटों का शुल्करहित कुल मूल्य ३०.२४ करोड़ रुपये था ; और शुल्क मिलाकर यह मूल्य ३७.५९ करोड़ रुपये होता है ।

(ख) हां, श्रीमान् । मालूम हुआ है कि सिगरेट निर्माण करने वाली मशीन को चलाने में सामान्यतया २ या ३ व्यक्तियों की आवश्यकता होती है ।

(ग) सिगरेट निर्माण करने वाली मशीनों की कुल संख्या के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) व्यावहारिक रूप में देश के भीतरी उत्पादन से ही यहां के उपभोग की मांग पूरी हो जाती ह । पिछले तीन वर्षों में केवल प्रतीकात्मक रूप में आयात की अनुमति दी गई है ताकि स्वदेशी सिगरेटों का मूल्य और बढ़ियापन बने रहें ।

(ङ) निकट भविष्य में ही ऐसा करने की कोई भी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

दामोदर घाटी निगम

*११९. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **सिचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम जांच समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये इस में भाग लेने वाली सरकारों का हाल में कोई सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने समिति की सिफारिशों पर अपने निश्चय कर लिये हैं ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) हां, श्रीमान् । यह सम्मेलन २६ और २७ अक्तूबर १९५३ को हुआ था ।

(ख) इस में भाग लेने वाली सरकारों ने सम्मेलन में जो विचार प्रकट किये थे उन्हें ध्यान में रखते हुए सरकार समिति की सिफारिशों पर विचार कर रही है। अन्तिनम निश्चय शीघ्र ही किया जायेगा ।

कानपुर की कपड़ा मिलें

*१२१. **श्री तुषार चटर्जी :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कानपुर की किसी कपड़ा मिल ने भारत सरकार नें से मिल बन्द करने की अनुमति मांगी है ?

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). केवल एक मिल ने यह सूचना दी थी कि उसे बन्द करना पड़ेगा । इस का कारण कोयले की कमी था । इस मिल को कोयला पहुंचाने की व्यवस्था करदी गई और यह फिर से चलने लगी ।

२. स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर ने कपड़े के इकट्ठा हो जाने के कारण १६ नवम्बर १९५३ से तीसरी पारी बन्द करने की सूचना दी है । सरकार स्थिति का ध्यान रख रही है

अहमदाबाद की कपड़ा मिलें

*१२२. **श्री तुषार चटर्जी :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि अहमदाबाद की कई कपड़ा मिलों ने हाल में अपनी रात की पारी बन्द कर दी है ?

(ख) यदि हां, तो किन किन मिलों ने ऐसा किया है ?

(ग) इस के बन्द होने से कितने श्रमिक बेकार हो गये हैं ?

(घ) इन श्रमिकों को और कोई काम दिलाने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४४]**

(घ) सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दिया है जिस में 'काम छूटे हुए' या छंटनी में आये हुए श्रमिकों की सहायता के लिये उपबन्ध कर दिया गया है ।

सुपारी के आयात की अनुज्ञप्तियां

*१३६. **श्री हेडा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ सितम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२५८ के उत्तर को निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार का उन २९ सार्थों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है जिन्होंने कि गलत बातें कह कर सुपारियों के आयात के लिये अनुज्ञप्तियां प्राप्त कर ली थीं ?

(ख) क्या सरकार की जांच के अनुसार ये अनुज्ञप्तियां देने में किसी सरकारी पदाधिकारी का हाथ है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) सब के सब २९ सार्थों को कारण बताने के नोटिस दे दिये गये थे। जिन तीन सार्थों ने नोटिसो का उत्तर नहीं दिया था उन को दी हुई अनुज्ञप्तियां रद्द कर दी गई हैं और उन्हें आगे के लिये अनुज्ञप्तियां देना बन्द कर दिया गया है। २३ सार्थों के, जो कि एक न एक बहाने के कारण अपनी बिक्री की पुष्टि के लिये आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके, आगे और अनुज्ञप्तियां लेने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। शेष तीन मामलों की अभी पड़ताल की जा रही है।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

काश्मीर में कजाक शरणार्थी

*१४२. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** काश्मीर में कजाक शरणार्थियों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) उन की अभिरक्षा और प्रशासन के लिये कौन उत्तरदायी है ?

(ग) क्या उन्हें हाल ही में काश्मीर से किसी और देश में स्थानान्तरित कर दिया गया है और यदि हां, तो कहां और क्यों ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग). १९५१ में ३७५ कजाक शरणेार्थी सिंकियांग से काश्मीर में प्रविष्ट हुए थे। इन में से २५ मर गये हैं, २६९ तुर्की में स्थायी रूप से बसने के लिये स्वेच्छा से वहां चले गये हैं और ८१ अब भी काश्मीर में हैं।

इन कजाकों को मानवता के नाते अस्थायी रूप से भारत में शरण दी गई थी। जम्मू और काँश्मीर की सरकार भारत सरकार की ओर से उन की देख-भाल कर रही है।

कपड़ा और चीनी मिलें

*१४५. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन अधिनियम, १९५३ की धारा १५ के अधीन किन किन कपड़ा और चीनी मिलों की जांच की गई है और उस जांच का फल क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। पुस्तकालय में रख दिया गया है। **[देखिये अनुक्रमणिका संख्या एस० १६६/५३]**

संसद् सदस्यों के फ्लैट

*१४७. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का नये फ्लैटों के समान नार्थ और साउथ एवेन्यू में संसद् सदस्यों के पुराने फ्लैटों के चारों ओर बाड़ लगवाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो यें कब तक तैयार हो जायेंगी ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) लगभग पांच मास में।

विद्युत शक्ति परिमाप

*१४८. **श्री रघवय्या** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने कहां कहां विद्युत शक्ति का परिमाप पूरा कर लिया है और कहां कहां अभी तक यह पूरा करना शेष है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री हाथी) : एक विवरण जिसमें वे क्षेत्र दिये हुए हैं जिन में कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग और इस के पूर्वाधिकारियों ने गत ८ वर्षों में विद्युत शक्ति का परिमाप किया है, सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४५]**

प्रश्न के उत्तर भाग के सम्बन्ध में मैं यह बतलाना चाहता हूं कि किसी क्षत्र विशेष में विद्यत शक्ति के परिमाप का काम केन्द्रीय जल तथा विद्यत आयोग द्वारा सम्बद्ध राज्य सरकार की विशेष प्रार्थना पर किया जाता है।

आयोग के पास इस समय केवल राजस्थान सरकार की प्रार्थना आई हुई है जिस में उस ने विद्युत शक्ति के व्यय में वृद्धि होने की आशा से १९५० में आयोग द्वारा किये गये विद्युत शक्ति के परिमाप के पुनरीक्षण के लिये कहा है।

टीन की चादरें

५९. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ में भारत के काजू के कारखानों को प्रयोग के लिये कितनी टीन प्लेटें दी गई ?

(ख) क्या सरकार सदन पटल पर एक ऐसा विवरण रखेगी जिस में निम्नलिखित बातें दी हुई हों :—

(१) कितनी टीन की चादरों के लिये आवेदन किया गया ;

(२) कितनी चादरें दी गई ; और

(३) त्रावनकोर-कोचीन राज्य के काजू के कारखानों को कितने मूल्य की चादरें दी गई ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) १,११३ टन।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४६]**

जिप्सम्

६०. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सिन्दरी के उर्वरक के कारखाने में १९५१-५२ और १९५२-५३ में जिप्सम् की कितनी खपत हुई ?

(ख) क्या जोधपुर में भारत सरकार को जिप्सम् निकालने की कानें हैं ?

(ग) यदि हैं, तो ये कहां स्थित हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) :

(क)	१९५१-५२	६७,५४७ टन
	१९५२-५३	३,६०,७७५ टन

(ख) तथा (ग). जी नहीं, किन्तु सिंदरी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड ने जोधपुर के निकट कवास और उतरलई में जिप्सम निकालने वाले क्षेत्र उधार पट्टे पर ले लिये हैं।

कपड़ा उद्योगों के श्रमिक

६१. **श्री वी० पी० नायर :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्रमशः १ जनवरी, १९५३ तथा १ नवम्बर, १९५३ को कपड़ा उद्योगों (सूत, कपड़ा, पटसन, ऊनी माल और पट्टे) में कितने श्रमिक काम पर लगे हुए थे ?

(ख) उपरोक्त विभिन्न शाखाओं में श्रमिकों की औसत मासिक आय कितनी होती है ?

(ग) १९५०-५१ से १९५२-५३ तक उन्हें कुल कितना बोनस दिया गया ?

(घ) इन उद्योगों का कितना प्रतिशत उत्पादन प्रबन्ध अभिकर्त्ता सार्थों के नियंत्रण में है और विभिन्न प्रबन्ध अभिकर्त्ता सार्थों का इन पर कितने प्रतिशत नियंत्रण है ?

(ङ) १९५० से १९५३ तक प्रति वर्ष इन उद्योगों को कितना लाभ हुआ, इस के साथ प्रबन्ध अभिकर्त्ता और न प्रबन्ध अभिकर्त्ता की व्यवस्था के अलग आंकड़े बतलाये जायें ?

(च) उक्त अवधि में इन उद्योगों से प्रति वर्ष कुल कितना आय-कर प्राप्त हुआ ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (च). यह जानकारी, जहां तक सम्भव हो, इकठ्ठी की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

धातु उद्योग

६२. श्री वी० पी० नायर : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, १९५३ के उद्योग तथा व्यापार पत्रिका में, आंकड़ों सम्बन्धी विभाग में पृष्ठ १००५ पर 'धातु उद्योगों' के शीर्षक के अधीन रखे गये भारतीय धातु उद्योगों में अब तक कितनी पूंजी लगाई गई है ;

(ख) १९५० से १९५३ के वर्षों में इन उद्योगों में कितने श्रमिक सेवायुक्त थे ;

(ग) श्रमिकों की प्रति वर्ष की मध्यमान आय क्या है और उन्हें प्रति वर्ष कितना लाभांश मिला है ;

(घ) उपरोक्त कालावधि में इन उद्योगों ने वार्षिक क्या लाभ प्राप्त किया और इस कालावधि में उन्होंने कितना आय-कर दिया ;

(ङ) प्रबन्धक अभिकरण सार्थों द्वारा नियंत्रित उद्योगों के उत्पादन की प्रतिशतता, यदि कोई है, तो क्या है ;

(च) इन प्रबन्धक अभिकरणों ने उपरोक्त कालावधि में कुल कितना लाभ प्राप्त किया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) मशीन के पेचों और फैली धातु के उद्योगों में लगाई पूंजी का विवरण उपलब्ध नहीं । अन्य उद्योगों में लगाई गई पूंजी लगभग ३.६ करोड़ रुपये है ।

(ख) १९५३ में सेवायुक्त श्रमिकों की संख्या ८,००० है । १९५०, १९५१ तथा १९५२ के लिये आंकड़े उपलब्ध नहीं ।

(ग), (ङ) तथा (च) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं ।

(घ) सम्बन्धित वर्षों के आयकर राजस्व आंकड़ों के विवरण सं० ४ में वह जानकारी दी गई है जो सरकार के पास उपलब्ध है । उक्त प्रकाशन की प्रतियां संसद् सचिवालय के पुस्तकालय में प्राप्य हैं ।

रबड़ उद्योग

६३. श्री वी० पी० नायर : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, १९५३ के उद्योग तथा व्यापार पत्रिका के पृष्ठ १०१० में 'रबड़ उद्योग' के शीर्षक अधीन दिये गये भारत के रबड़ उद्योगों में अब तक कुल कितनी पूंजी लगाई गई है ;

(ख) इस समय उद्योगों में कितनी विदेशी पूंजी लगी हुई है ;

(ग) उक्त उद्योगों में विदेशी पूंजी को १९५०-५१ से १९५२-५३ में लाभ प्राप्ति हुई ;

(घ) उक्त उद्योगों ने उपरोक्त वर्षों में कितना आय-कर दिया ;

(ङ) उपरोक्त वर्षों में इन उद्योगों में कितने श्रमिक लगाये गये ;

(च) उपरोक्त कालावधि में इन उद्योगों का कुल मज़दूरी का बिल क्या है ;

(छ) (१) मज़दूरी और (२) लाभांश के रूप में श्रमिकों की मध्यमान वार्षिक आय क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) लगभग १३ करोड़ रुपये ।

(ख) तथा (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और जो जानकारी प्राप्त होगी उचित समय पर सदन पटल पर रखी जायेगी ।

(घ) प्राप्य आंकड़ों के अनुसार अधिकर सहित ये आंकड़े हैं :

	रुपये
१९५०-५१	३२,१४,७०९
१९५१-५२	२,०३,३५,७२१
१९५२-५३	तैयार की जा रही है ।

(ङ) इस समय लगभग १८,००० रुपये ।

(च) तथा (छ). जानकारी उपलब्ध नहीं ।

रसायन उद्योग

६४. **श्री वी० पी०** नायर : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री कृपया जुलाई, १९५३ के उद्योग तथा व्यापार पत्रिका के पृष्ठ १००७ पर आंकड़ों सम्बन्धी विभाग के विवरण ७ की ओर ध्यान देंगे और बतायेंगे कि :

(क) अब तक रसायन उद्योग में कुल कितनी पूंजी लगाई गई है ;

(ख) १९५०-५१ से १९५२-५३ तक के वर्षों के लिये उद्योगों में कितने श्रमिक लगाये गये ;

(ग) इन उद्योगों में उपरोक्त कालावधि के लिये (१) कुल मज़दूरी का बिल (२) श्रमिकों की वार्षिक मध्यामान मज़दूरी और (३) उन के लाभांश क्या हैं ;

(घ) प्रबन्धक अभिकरण सार्थों द्वारा नियंत्रित उत्पादन की प्रतिशतता और उपरोक्त कालावधि में उन द्वारा प्राप्त किये गये लाभ क्या हैं ;

(ङ) उपरोक्त वर्षों में उद्योगों ने कुल कितने लाभ प्राप्त लिये और कितना आय-कर दिया ; तथा

(च) इसमें कितनी विदेशी पूंजी, यदि कोई हो तो, लगी हुई है, और ऐसी पूंजी पर उपरोक्त कालावधि में कितना लाभ प्राप्त हुआ ?

वाणिज्य तथा उद्योगमंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) (लगभग) ३७२७.५८ लाख रुपये ।

(ख) से (ङ). जानकारी उपलब्ध नहीं ।

(च) लगाई गई विदेशी पूंजी लगभग ८४ लाख रुपये है । लाभ सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं ।

मशीनरी उद्योग

६५. **श्री वी पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई १९५३ के उद्योग तथा व्यापार पत्रिका के पृष्ठ १००५ में जो भारत के मशीनरी उद्योग "मशीनरी" (सिवाए बिजली की मशीनों के) शीर्षक के अधीन रखे गये हैं उन में अब तक कुल कितनी पूंजी लगी गई है ;

(ख) वर्ष १९५०-५१ से १९५२-५३ तक इन उद्योगों में कितने श्रमिक नियुक्त किये गये ;

(ग) इन उद्योगों में श्रमिकों ने कितने मध्यपान वार्षिक वेतन और लाभांष प्राप्त किये ;

(घ) प्रबन्ध अभिकरणों द्वारा नियंत्रित उत्पादन की प्रतिशतता यदि कोई हो तो क्या है, और प्रबन्धक अभिकरणों को कुल कितना लाभ प्राप्त हुआ;

(ङ) उपरोक्त कालावधि में इन उद्योगों ने कुल कितना लाभ प्राप्त किया और कुल कितना आयकर दिया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) डीज़ल इंजन और पम्प बनाने वाले कारखानों में लगाई गई पूंजी का विवरण उपलब्ध नहीं। उन उद्योगों में लगाई गई पूंजी ७·०८ करोड़ रुपये है ।

(ख) डीज़ल इंजन और पप्प उद्योग में लगाये गये श्रमिकों की संख्या उपलब्ध नहीं। अन्य उद्योगों में नियुक्त किये गये श्रमिकों की संख्या १९५२-५३ में १२ हज़ार थी, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ के आंकड़े उपलब्ध नहीं ।

(ग) से (ङ). सरकार के पास कोई जानकारी नहीं ।

लोहेतर धातु उद्योग

६६. श्री वी० पी० नायर : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई १९५३ के उद्योग तथा व्यापार पत्रिका के पृष्ठ १००६ पर निर्देशित लोहेतर धातु उद्योग में कितनी पूंजी लगाई गई और उसमें कितनी विदेशी पूंजी है ;

(ख) वर्ष १९५०-५१ से १९५२-५३ तक में उद्योग में कितने श्रमिक नियुक्त किये गये ;

(ग) श्रमिकों की मज़दूरी और लाभांश के रूप में पृथक पृथक मध्यपान वार्षिक आय क्या है ;

(घ) उपरोक्त कालावधि में उद्योग ने कितना लाभ प्राप्त किया और कितना आय कर दिया ;

(ङ) प्रबंधक अभिकरण सार्थों द्वारा नियंत्रित उद्योग में उत्पादन की प्रतिशतता क्या है और उन्होंने यदि कोई लाभ प्राप्त किया हो तो वह क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क), (ख) तथा (ड़). एक विवरण संलग्न हैं। **(देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४६)**

(ग) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं ।

(घ) जहां तक जानकारी सरकार के पास उपलब्ध है वह सम्बंधित वर्षों के आयकर राजस्व आंकड़ों के विवरण ४ में दी गई है। इस प्रकाशन की प्रतिलिपियां संसद सचिवालय के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

विद्युत उद्योग

६७. श्री वी० पी० नायर : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई १९५३ के उद्योग और व्यापार पत्रिका के पृष्ठ १००६ और १००७ में "विद्युत उद्योगों" के शीर्षक के अधीन रखे गये विद्युत उद्योगों में कुल कितनी पूंजी लगाई गई और उस में कितनी विदेशी पूंजी का भाग है ;

(ख) १९५०-५१ से १९५२-५३ तक के वर्षों में इन उद्योगों में कितने श्रमिक लगाये गये ;

(ग) उपरोक्त वर्षों में मज़दूरी और लाभांश के रूप में श्रमिकों की मध्यमान वार्षिक आय क्या थी ;

(घ) प्रबन्धक अभिकरणों द्वारा नियंत्रित उद्योगों में उत्पादन की यदि कोई प्रतिशतता हो तो वह कितनी है और उपरोक्त कालावधि में प्रबंधक अभिकरणों को क्या लाभ प्राप्त हुआ ;

(ङ) उपरोक्त कालावधि मे इन उद्योगों को कुल क्या लाभ प्राप्त हुआ और उन्होंने उपरोक्त वर्षों में कितना आय-कर दिया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) विद्युत पैदा करने और तरन बहाव की नालियां बनाने के उद्योगों में लगाई गई कुल पूंजी का विवरण उपलब्ध नहीं। अन्य उद्योगों में लगाई गई पूंजी लगभग १८·४७ करोड़ रुपये है जिसमें विदेशी पूंजी लगभग ४·७७ करोड़ रुपये है ।

(ख) विद्युत पैदा करने में लगाए गए श्रमिकों सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं। अन्य उद्योगों में नियुक्त किये गये श्रमिकों की संख्या १ अगस्त १९५३ को लगभग २२,००० थी। १९५०-५१, तथा १९५१-५२ के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं ।

(ग) तथा (घ). सरकार के पास कोई जानकारी नहीं ।

(ङ) प्राप्य जानकारी सम्बन्धित वर्षों के आय-कर राजस्व आंकड़ों के विवरण सं० ४ में दी गई है। प्रकाशन की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में प्राप्य हैं ।

औषधियों का आयात

६८. डा० अमीन : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में भारत में विदेशी सार्थों को ऐसी औषधियों की आयात के लिये कुल कितने मूल्य की अनुज्ञप्तियां प्रति वर्ष जारी की गई, जिनका चिकित्सा सम्बन्धी मूल्य देश में बनाई गई औषधियों के लगभग बराबर है ; और

(ख) उन सार्थों के नाम क्या हैं जिन्हें ये अनुज्ञप्तियां जारी की गई और इस कालावधि में प्रत्येक सार्थ को प्रति वर्ष कुल कितने मूल्य के आयात की अनुज्ञप्ति दी गई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). जानकारी उपलब्ध नहीं ।

औषधियों का आयात शुल्क

६९. डा० अमीन : (क) क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि सल्फा औषधियों के तैयार माल, विटेमन की औषधियों और रंगाई के माल पर, बहुत से कच्चे माल आयात शुल्क की अपेक्षा कम शुल्क है ;

(ख) यदि ऐसा है तो उन पदों के नाम क्या हैं जिन पर आयात शुल्क कम है और शुल्क की कम दर रखने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). जब कि यह सत्य है कि उपरोक्त तैयार माल की अपेक्षा कच्चे माल पर कम शुल्क है क्योंकि शुल्क मूल्यानुपातेन भारित किया जाता है और क्योंकि तैयार माल का मूल्य प्रयोग की गई आयात कच्ची सामग्री से बहुत अधिक होता है यह समझना ठीक नहीं कि तैयार माल पर वस्तुतः भारित शुल्क कच्ची सामग्री पर भारित शुल्क से कम है। सल्फा औषधियों और विटेमन औषधियों पर मानवता के नाते शुल्क की दरें कम रखी गई हैं और रंगाई के माल पर इस लिए कम रखी गई हैं क्योंकि उनका कपड़ा उद्योग में महत्व है। मांगी गई विस्तृत सूची का तैयार करना संभव नहीं।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग (भर्ती)

७०. **श्री एस० एन० दास :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने कस्तूरभाई लालभाई समिति की सिफारिशों के अनुसार आगणक, नकशाकार तथा क्लर्क आदि जैसे समस्त निम्न श्रेणी के स्थानों के लिये भरती करने का ढंग, योग्यतायें तथा नौकरी की अन्य शर्तों के संबंध में निश्चित भर्ती नियम बना लिये हैं ; तथा

(ख) यदि नहीं, तो इन स्थानों के लिये नियुक्ति करने की वर्तमान प्रक्रिया क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) नियमों का प्रारूप बना लिया गया है और वह विचाराधीन है ।

(ख) इन स्थानों के लिये भर्ती सरकार के गृहकार्य मंत्रालय के आदेशानुसार होती है । कुछ तो काम दिलाऊ दफ्तरों द्वारा अथवा खुले विज्ञापन के पश्चात् होती है और कुछ विभागीय पदोन्नत्ति द्वारा होती है ।

सुपारी

७१. **सेठ गोविंद दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सुपारी अब ५ रुपये प्रति सेर बिकती है ; तथा

(ख) सन् १९३३, १९४३ तथा १९५३ में क्रमशः सुपारी का मूल्य प्रति सेर क्या रहा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री करमरकर): (क) हां, श्रीमान्, उत्तम प्रकारों के लिये परन्तु सस्ते प्रकार भी हैं।

(ख) एक विवरण नत्थी किया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४८]**

नई दिल्ली स्थित ट्रावन्कोर हाउस के क्वार्टर हटमेंट्स

७२. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली स्थित ट्रावंकोर हाउस के कितने क्वार्टर सरकार के अधिकार में हैं और उनका स्थल-क्षेत्रफल कितना है ?

(ख) इन क्वार्टरों में भारत सरकार ने कुल कितना धन लगाया है ?

(ग) इन क्वार्टरों से भारत सरकार को कितनी आय होती है ?

(घ) इन क्वार्टरों के रक्षण पर कितना वार्षिक व्यय होता है ?

(ङ) क्या इन क्वार्टरों का प्रयोग करने के लिये भारत सरकार ट्रावनकोर-कोचीन राज्य सरकार को कुछ देती है ?

(च) यदि हां, तो १९५० से १९५३ तक कितना धन दिया है ?

निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) (१) विवाहित पदाधिकारी क्वार्टर–२२, स्थल क्षेत्रफल ३७७०५ वर्ग फीट ।

(२) नौकर क्वार्टर–६८, स्थल क्षेत्रफल १४२५२ वर्ग फीट ।

(३) दफ्तर स्थान, स्थल क्षेत्रफल ३२४१६ वर्ग फीट ।

(ख) ९,८६,००० रु०

(ग) ४५,३०० रु० प्रति वर्ष ।

(घ) २५,००० रु० ।

(ङ) नहीं । क्वार्टर भारत सरकार के हैं ।

(च) उत्पन्न नहीं होता

सस्ते मकान

७३. श्री वी० पी० नायर : (क) **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सस्ते मकानों के निर्माण में कच्ची लकड़ी का प्रयोग करने के लिये क्या कोई प्रयत्न किये गये हैं ? यदि हां तो उनमें कितनी सफलता प्राप्त हुई ?

(ख) क्या सरकार इस दिशा में अपनी कार्यवाहियों का एक संक्षिप्त विवरण सदन पटल पर रखेगी ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हां, श्रीमान्, सस्ते मकानों के लिये कच्ची लकड़ी का प्रयोग किया जा रहा है और यह सीमित क्षेत्र में सन्तोषजनक सिद्ध हुई है ।

(ख) केन्द्रीय निर्माण विभाग इस किस्म की लकड़ी अधिकतर विस्थापित व्यक्तियों के लिये सस्ते मकानों तथा दुकानों में प्रयोग करता है । आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत बनने वाले छोटे छोटे क्वार्टरों में भी कच्ची लकड़ी के प्रयोग की अनुमति है ।

उत्प्रवासियों के लिये पारपत्र

७४. श्री वी० पी० नायर : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२ तथा १९५३ में १ अक्टूबर १९५३ तक दिल्ली में मुख्य आयुक्त के कार्यालय से उत्प्रवासियों को कितने पारपत्र दिये गये हैं ?

(ख) दिल्ली राज्य प्रशासन द्वारा इच्छुक उत्प्रवासियों की पार पत्रों के लिये प्रार्थनाओं के अस्वीकृत करने पर भारत सरकार को कितनी अपील प्राप्त हुई हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख). 'उत्प्रवासियों' की श्रेणी के अन्तर्गत पारपत्र प्रार्थनाओं का कोई भिन्न अभिलेख न रखे जाने के कारण, यह सूचना देना सम्भव नहीं है ।

कुटीर उद्योग

७५. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुटीर उद्योग के विकास के लिये केन्द्र ने पंजाब को कितना धन दिया है ; तथा

(ख) यह किन किन संघों द्वारा दिया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). एक विवरण नत्थी किया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४९]**

तिलैया योजना

७६. चौ० रघुवीर सिंह : (क) **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (१) तिलैया जलाशय, (२) जल विद्युत-गृह, तथा (३) जनन कुलकों पर कितना व्यय हुआ ?

(ख) इस बांध से किस क्षेत्र की सिंचाई होगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) ३० सितम्बर १९५३ तक हुआ व्यय निम्नानुकूल है :

(१) बांध तथा उपावद्ध निर्माण पर २,८८,४०,९१५ रु० ।

(२) जल-विद्युत-गृह पर १८,९०,९९९ रुपया ।

(३) जनन कुलकों पर १२,७९,४९८ रुपया ।

(ख) इस बांध से रबी फसल में ७५,००० एकड़ तथा खरीफ फसल में २४,००० एकड़ भूमि अर्थात् ९९,००० एकड़ भूमि की प्रति वर्ष सिंचाई हो सकेगी ।

चाय

७७. **श्री अमजद अली:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २६ नवम्बर १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७११ के दिये गये उत्तर का निर्देश करने तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि उस समय आसाम चाय के बगीचों के बंद होने से चाय का कुल उत्पादन किस सीमा तक प्रभावित हुआ ?

(ख) १९५२-५३ में चाय से कृषि संबंधी तथा सामान्य कितना आयकर प्राप्त हुआ ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) १९५२ में आसाम में कुछ बगीचों के बंद हो जाने के परिणामस्वरूप उत्पादन में हुई क्षति के सम्बन्ध में ठीक सूचना प्राप्य नहीं है। इन सब बातों के बावजूद १९५२ में आसाम उत्पादन १९५१ की अपेक्षा कुछ अधिक थी।

(ख) आयकर के उद्योगों के हिसाब से संकलित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। १९५२-५३ में चाय उद्योग पर आयकर की मांग के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

१९५१-५२ में ऐसी मांग निम्न थी :

आयकर	२१६ लाख रु०
अधिकर	१८६ लाख रु०

राजघाट

७८. **श्री अजित सिंह : निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री राजघाट, नई दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि के निर्माण के सम्बन्ध में अतारांकित प्रश्न संख्या २८९ का १४ अगस्त १९५३ को दिये गये उत्तर का निर्देश करने तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय निर्माण विभाग के वे ठेकेदार किस श्रेणी के हैं जिन्होंने इंजिनियरी का काम किया था और वे इस श्रेणी में कब सम्मिलित किये गये;

(ख) विभिन्न ठेकों की राशियां, अन्तिम भुगतानों की राशियां तथा कार्य में अतिरिक्त कर क्या थे ;

(ग) क्या निर्माण में प्रयोग किये गये सीमेंट मारटर तथा कंकरीट की निर्माण-माल में जांच की गई थी ; तथा

(घ) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या थे ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) १३ ठेकेदारों में से ८ ठेकेदारों का नाम केन्द्रीय निर्माण विभाग के पास रजिस्टर था। एक पंजाब सिंचाई विभाग में रिजस्टर था और चार ठेकेदारों के नाम रजिस्टर न थे। रजिस्टर हुए ठेकेदार श्रेणी २ से ५ तक के थे तथा चार छोटे कामों के अतिरिक्त, जो रजिस्टर न हुए ठेकेदारों कों दिये गये थे, सारे काम उन्हें दिये गये थे। केन्द्रीय निर्माण विभाग में रजिस्टर हुए ठेकेदारों के नाम १२ सितम्बर १९३४ तथा २ सितम्बर १९४९ के बीच रजिस्टर किये गये थे।

(ख) (१) समझौता धन ४,२८,१८४ रु०

(२) (१) के लिये अन्तिम भुगतान ४,२३,३१९ रु०

(३) अतिरिक्त मदें ३०,९८१ रु०

(ग) नहीं श्रीमान्।

(घ) उत्पन्न ही नहीं होता।

कपड़ा (उत्पादन)

७९. **श्री दाभी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ५ सितम्बर १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०४५ के दिये

गये उत्तर का निर्देश करने तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२-५३ में देश में मिल, खादी तथा हथकरघा या विद्युत से चलने वाले करघा, के कपड़े का उत्पादन (गज़ों में) कितना था ;

(ख) उपरोक्त काम (क) में जिन किस्मों के कपड़े का निर्देश किया गया है उनमें से प्रत्येक किस्म का कितना कपड़ा सरकार ने सरकारी विभागों तथा अस्पतालों के लिये मोल लिया था ;

(ग) प्रत्येक किस्म का कितना कपड़ा विदेशों को भेजा गया ; तथा

(घ) प्रत्येक किस्म का कितना कपड़ा देश में प्रयोग हुआ ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : (क) अनुमानित उत्पादन निम्न लिखित है :—

मिल का बना कपड़ा ४,७६१,०००,००० गज ।

विद्युत से चलने वाले करघा से बना कपड़ा २१५,०००,००० गज़ ।

हाकरघा का कपड़ा १,१६७,०००,००० गज़ ।

खादी—सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रखी जायेगी ।

(ख) १९५२-५३ में वस्त्रायुक्त, बम्बई ने सरकारी विभागों, अस्पतालों आदि की मांग पर निम्नलिखित कपड़ा मोल लिया :

मिलका बना गपड़ा २७,८३०,००० गज ।

हथकरघा का कपड़ा २,६६४,००० गज़

खादी कपड़ा ८,००० गज़ ।

(ग) १९५२-५३ में मिल तथा हथकरघा के कपड़े का भारत से निर्यात निम्नानुकूल हुआ :

मिल का बना कपड़ा ५६०,२६५,५२२ गज़ ।

हथकरधा का कपड़ा ५४,३५३,५७९ गज़ ।

खादी और विद्युत से चलने वाले करघे के कपड़े के भिन्न भिन्न आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) देश में कितना मिल का बना कपड़ा, हथकरघा का कपड़ा, विद्युत से चलने वाले करघा का कपड़ा तथा खादी प्रयोग हुआ, ठीक नहीं बताया जा सकता है ।

सरकारी कर्मचारियों के लिये रहने के मकान

८०. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों को मकान दिलाये जाने की व्यवस्था की बिल्कुल हाल की स्थिति क्या है ?

(ख) सितम्बर, १९५३ के अन्त तक कितने व्यक्तियों को श्रेणीवार या वर्गवार मकान मिल चुके हैं ?

(ग) सितम्बर, १९५३ के अन्त तक कितने व्यक्ति अभी भी प्रतीक्षक-सूची में हैं ?

(घ) क्या यह सच है कि कर्मचारियों को 'विना बारी' मकान दिये जाते हैं ?

(ङ) यदि हां, तो विना बारी मकान मिलने के नियम क्या हैं तथा, इस योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को मकान दिये गये हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण जिसमें दिल्ली तथा नई दिल्ली के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५०]**

(घ) तथा (ङ) । जी हां, श्रीमान् । इस प्रकार बिना बारी के मकान पाने वालों

के लिये एक सीमित संख्या में रहने के मकान अलग रखे गये हैं जो उस वर्ग के पदाधिकारियों को जो उनके स्तरोपयुक्त भी नहीं और न अनुपयुक्त हैं, दिये जायेंगे ; चुनांचि इन कर्मचारियों से परिनियत अभ्यावेदन पत्र भराये जाते हैं और उनकी छानबीन करने के लिये विशेष रूप से एक पदाधिकारी समिति बनाई गई है जो इस प्रकार के आवंटन के लिये किये गये प्रत्येक दावे के गुणागुण पर विचार करती है ; इस विचार के बाद उन अभ्यर्थियों को मकान दिये जाते हैं जिनके समक्ष वास्तव में भारी कठिनाइयां हों । ३०-९-१९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में ५०० रुपया मासिक वेतन से कम पाने वाले ५६९ पदाधिकारियों और ५०० रुपया या इससे अधिक मासिक वेतन पाने वाले १९४ पदाधिकारियों को इस प्रकार के मकान दिये गये ।

निकोटीन

८१. **श्री सी० आर० चौधरी :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रति वर्ष विदेशों से निकोटीन की कितनी मात्रा का औसत आयात किया जाता है ?

(ख) सत्तर स्वतंत्रता अवधि में इसके आयात का कितना मूल्य रुपयों में दिया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). बहि:शुल्क प्राप्ति में निकोटीन के आयात को अलग से नहीं दिखाया गया है । इसका आयात यहां की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है, और यह अनुमान किया जाता है कि प्रति वर्ष औसत एक टन निकोटीन का आयात होता है जिसका अनुमानित मूल्य २५,००० रुपये है ।

नदी घाटी परियोजनाओं में लगाये गये अभारतीय

८२. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विविध नदी घाटी परियोजनाओं में लगाये गये अभारतीयों की संख्या कितनी है, उनकी क्या अर्हतायें हैं तथा उन्हें कितना वेतन मिलता है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): एक विवरण जिसमें केन्द्रीय नदी घाटी परियोजनाओं के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना दी गई है, संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५१**] राज्यों के दायित्व में आने वाली परियोजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सदन पटल पर रखी जायेगी ।

सामुदायिक परियोजनायें

८३. **श्री एन० एम० लिंगम :** (क) क्या योजना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक परियोजनाओं पर का इस वर्ष का कुल आय व्ययक क्या है और अब तक इन पर कितना धन व्यय किया जा चुका है ?

(ख) व्यय किये जाने वाले कुल धन में (१) केन्द्र, (२) राज्य सरकारें (३) वैदेशिक सहायता, तथा (४) सार्वजनिक अंशदानों का कितना कितना अंश है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) ३ वर्ष की परियोजना अवधि के लिये सामुदायिक परियोजनाओं के हित आय व्ययकों को सी० पी० ए० द्वारा स्वीकृति दी जाती है । प्रत्येक वर्ष के व्यय का वास्तविक ब्योरा राज्य सरकारों द्वारा तैयार होता है । राज्य सरकारों द्वारा क्रमश: अपने अपने आय व्ययकों में किया गया इस वर्ष का प्रावधान उपलब्ध नहीं है । ३०-६-५३ तक का कुल व्यय १,२०,६२,८०५ रुपये है ।

(ख) अनुमान लगाया जाता है कि इन परियोजनाओं पर ३ वर्षों में ३६९८·१९ लाख रुपये (ऐच्छिक अंशदानों रहित) का व्यय किया जायेगा, जिसका ब्योरा नीचे दिया जाता है :

(१) केन्द्र द्वारा—२६८३·६२ लाख रुपये (१४१४·२८ रुपये के ऋणों सहित)

(२) राज्य सरकारों द्वारा— ६३०·७९ लाख रुपये ।

(३) वैदेशिक सहायता के अन्तर्गत डालर व्यय—३८३·७८ लाख रुपये ।

(४) कोई भी प्राक्कलन नहीं बनाया गया है । ३०-६-५३ तक, वास्तव में, लगभग १०९ लाख रुपये का अंशदान प्राप्त हुआ ।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा

८४. **श्री० आर० एन० एस० देव** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में विस्तार सेवा कामकरों के प्रशिक्षण की संस्थाओं की संख्या कितनी है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५२**]

सत्यमेव जयते

बृहस्पतिवार,
१९ नवंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
18.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

वृहस्पतिवार, १९ नवम्बर १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिए भाग १)

२–२२ म० प०

स्थगन प्रस्ताव

कायामकुलम सभा में बल का प्रयोग

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है । जिस में कहा गया है कि १७ नवम्बर को कायामकुलम, त्रावणकोर-कोचीन राज्य में जनता पर पुलिस तथा गुंडों के प्रहार के परिणामस्वरूप जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उस पर चर्चा करने के लिये सदन की बैठक स्थगित की जाये ।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि मामले की वास्तविकता क्या है ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): श्रीमन्, मेरे सहयोगी गृह मंत्री इस समय दिल्ली में नहीं हैं, अन्यथा हम इस मामले पर चर्चा करते ।

जहां तक मुझे मालूम है, हमें किसी विशेष बात का पता तो नहीं लगाना है ।

मैं ने समाचार पत्रों में किसी प्रकार की गड़बड़ के बारे में खबर पढ़ ली है जिस का कि राज्य सरकार निवारण करती है । स्पष्टतय: इस प्रस्ताव में निर्वाचन आन्दोलन का केवल इसलिये ज़िक्र किया गया है कि इसे सदन में एक प्रकार का दर्जा मिले । निर्वाचन की तारीख नियत नहीं की गई है । यह तीन महीने बाद होना है । निस्सन्देह कोई भी बात 'निर्वाचन' के नाम से की जा सकती है, परन्तु यहां किसी विशेष चुनाव आन्दोलन का कोई उल्लेख नहीं । दुर्भाग्यवश देश के विभिन्न भागों में एक प्रकार की गड़बड़ फैल रही है, छात्रों की गड़बड़ तथा इसी प्रकार की और भी बातें । इस मामले के बारे में मेरी राय यह है कि यह छात्रों की गड़बड़ के प्रश्न का एक हिस्सा है, जो कि निन्दनीय है । श्रीमन्, मुझे तथ्यों की जानकारी नहीं तथा मेरे विचार में इस का सदन के काम से कोई सम्बन्ध नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इस बात का पता लगाया जाना चाहिये कि वास्तविकता क्या है । यह काम यथासम्भव शीघ्र होना चाहिये । मैं इस प्रस्ताव की ग्राह्यता पर अग्रेतर विचार उपस्थगित करने के लिये तैयार हूं । सरकार कितना समय ले लेगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : सोमवार तक श्रीमन् ।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु सोमवार को हमें सारे तथ्य निश्चित रूप से मिलने चाहियें।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जितनी भी सूचना मिल सके, हम प्राप्त करेंगे ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : श्रीमन्, हमें श्री ए० के० गोपालन से एक तार मिला है जिस में कि सारा वृत्तान्त दिया गया है । यह एक महत्वपूर्ण मामला है विशेषकर जब कि त्रावणकोर-कोचीन में इस समय कोई भी विधान मंडल नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह बात नहीं होती तथा गृह मंत्री ने हाल ही में उस इलाके का दौरा नहीं किया होता तो मैं इस प्रस्ताव को सीधे रद्द कर देता ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : श्रीमन्, मेरे पास इस सम्बन्ध में काफी सूचना है जो कि वहां के स्थानीय पत्रों में दी गई हैं । मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप सरकार से इस प्रकार का एक आश्वासन प्राप्त करें कि हम इस मामले पर यथासम्भव शीघ्र ही चर्चा कर सकेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव की अनुमति देने से पहले यह मांग करना कि इस पर चर्चा हो एक बड़ी बात है । परन्तु मैं माननीय सदस्य को सदन के समक्ष अपने तथ्य रखने का अवसर दे दूंगा । उन की अपनी पार्टी के नेता वहां गये हैं, वह तथ्य प्राप्त कर सकते हैं । अखबारी समाचारों पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं ।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल) : किन्तु प्रधान मंत्री ने बताया कि निर्वाचन का कार्यक्रम अभी निश्चित नहीं किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर बाद में चर्चा होगी । पहले हम सभी तथ्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : सभी तथ्य जिन का कि सम्भवतः इस प्रस्ताव से सम्बन्ध हो ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने अपने प्रस्ताव में कारण निश्चित रूप से दिये हैं। मैं ने भी बताया है कि मैं इस प्रस्ताव की ग्राह्यता पर क्यों अग्रेतर विचार करना चाहता हूं । कुछ भी हो हम इस मामले पर सोमवार को चर्चा करेंगे ।

सदन पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय तटकर अधिनियम का संशोधन

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं भारतीय तटकर अधिनियम १९३४ की धारा ४क की उपधारा (२) के अन्तर्गत वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय अधिसूचना नम्बर एम० २५७७-टी/५३ दिनांक १० अक्तूबर १९५३ की एक प्रति सदन पटल पर रख देता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए नम्बर एस—१५६/५३]**

कैलशियम लेक्टेट से सम्बन्धित तटकर आयोग की रिपोर्ट तथा इस पर सरकारी संकल्प

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं तटकर आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सदन पटल पर रख देता हूं :—

(१) केलशियम लेक्टेट उद्योग पर संरक्षण जारी रखने से सम्बन्धित तटकर आयोग की रिपोर्ट, १९५३ ।

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय संकल्प नम्बर ८ (५) टी० बी०/५३ दिनांक ३१ अक्तूबर, १९५३ ।

(३) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के ऊपर उल्लिखित संकल्प का शुद्धिपत्र नम्बर ८ (५)–टी० बी०/५३ दिनांक ७ नवम्बर, १९५३ ।

पुस्तकालय में रखे दिये गये । देखिये नम्बर एस––१५७/५३]

जन-प्रतिनिधान (संशोधन) विधेयक

प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट पेश करने की अवधि में वृद्धि

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"जन प्रतिनिधान अधिनियम, १९५० तथा जन प्रतिनिधान अधिनियम, १९५१ का अग्रेतर संशोधन करने वाले और भाग 'ग' राज्य शासन अधिनियम, १९५१ में कुछ आनुषंगिक संशोधन करने वाले विधेयक से सम्बन्धित प्रवर समिति की रिपोर्ट पेश करने की अवधि मंगलवार, १ दिसम्बर, १९५३ तक और बढ़ा दी जाये ।"

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट लगभग तैयार है । इसे केवल अन्तिम रूप दिया जाना बाकी है । हमें आशा है कि हम इसे १ दिसम्बर से पहले ही पेश कर सकेंगे ।

अध्यक्ष महोदय ने उक्त प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखा तथा सदन ने इसे स्वीकृत किया ।

नारियल जटा उद्योग विधेयक---समाप्त

खंड १२.––(निर्यात का नियंत्रण आदि)

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ४ की पंक्ति ४२-४४ में

"No coir yarn or coir products shall be imported otherwise than under a general or special authorization granted by the Board in the prescribed manner."

["कोई भी नारियल जटा धागा अथवा नारियल जटा उत्पाद निर्यात नहीं किया जायगा सिवाय एक ऐसे साधारण अथवा विशेष प्राधिकरण के अन्तर्गत जो कि बोर्ड ने निश्चित विधि के अनुसार दिया हो"]

के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :––

"No coir fibre, coir yarn or coir products shall be exported otherwise than a license issued by or on behalf of the Board in the prescribed manner."

["कोई भी नारियल जटा का रेशा धागा अथवा उत्पाद निर्यात नहीं किया जायगा सिवाय एक ऐसी लाइसेंस के अन्तर्गत जो कि बोर्ड की ओर से निश्चित विधि के अनुसार जारी की गई हो ।"]

अध्यक्ष महोदय ने उक्त प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा तथा सदन ने इसे स्वीकृत किया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड १२, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १२, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया गया ।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन]

खंड १३.––(शल्क का आरोपण आदि)

श्री करमरकर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

पृष्ठ ५ में, १२ से ले कर १७ तक की पंक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :––

"13. *Imposition of a duty of customs on export*

[श्री करमरकर]

of coir fibre, coir Yarn and coir products.—(1) With effect from such date as may be specified by the Central Government by notification in the Official Gazette, there shall be levied and collected as a cess for the purposes of this Act a duty of customs on all coir fibre, coir yarn and coir products which are exported, at such rate not exceeding one rupee per hundredweight as the Central Government may, by the same or a like notification from time to time, fix."

"एक ऐसे दिनांक से, जिसे कि केन्द्रीय सरकार सरकारी गजट में एक अधिसूचना द्वारा निश्चित करेगी, निर्यात किये जाने वाले नारियल जटा के समस्त रेशे, धागे तथा उत्पाद पर इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए ऐसी दर पर एक उपकर लगाया जायगा जो कि एक रुपया प्रति हंड्रडवेट से अधिक न होगी तथा जिसे केन्द्रीय सरकार इसी अधिसूचना अथवा ऐसी ही एक अधिसूचना द्वारा समय समय पर निश्चित करेगी।"

उपाध्यक्ष महोदय ने उक्त प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा तथा सदन ने इसे स्वीकृत किया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड १३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड १४ से ले कर १६ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १७.—(लेखा तथा लेखा परीक्षा)

श्री वल्लाथरास (पुदुकोटै) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ५ में खंड १७ के स्थान पर निम्नलिखित आदिष्ट किया जाये :

"17. *Accounts and Audit.*—(1) The board shall maintain proper accounts of the receipts and expenditure and relevant records, and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

(2) The accounts of the Board shall be audited annually by the Comptroller and Auditor General of India and the expenditure incurred by him in this behalf shall be payable by the Board to the Comptroller and Auditor General of India.

(3) The accounts of the Board as certified by the Comptroller and Auditor General of India or by any other person appointed by him in this behalf together with the audit report thereon shall be forwarded

annually to the Central Government and that Government, shall cause the same to be laid before the House of the People.

["**लेखा तथा लेखा परीक्षा.**—(१) बोर्ड आय तथा व्यय तथा संगत अभिलेखों का समुचित हिसाब रखेगा तथा ऐसे ढंग से एक वार्षिक लेखा-विवरण तैयार करेगा जो कि केन्द्रीय सरकार नें भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के मशवरे से निश्चित किया हो ।

(२) इस बोर्ड के लेखों का लेखा-परीक्षण भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक द्वारा प्रतिवर्ष हुआ करेगा तथा इस सम्बन्ध में उसे जो कुछ खर्च होगा वह इस बोर्ड द्वारा भारत के नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक को अदा किया जायेगा।

(३) भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक द्वारा अथवा उस की ओर से नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित बोर्ड के लेखे लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सहित प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार को भेज दिये जायेंगे तथा सरकार उन्हें लोक-सभा के पटल पर रखने की व्यवस्था करेगी "।]

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं माननीय सदस्य के संशोधन के उप-खंड (३) को स्वीकार करने तथा इसे खंड १७ के उप-खंड (४) के रूप में रखने के लिये तैयार हूं । इस से यह बात सुनिश्चित होगी कि महालेखापरीक्षक अपना प्रमाण पत्र देगा तथा इसे सदन पटल पर रखने की व्यवस्था की जायेगी ।

जहां तक लेखे रखने की विधि निश्चित करने का सम्बन्ध है, स्वभावतः महालेखा-परीक्षक यह निश्चित करेगा क्योंकि उसे प्रमाण पत्र देना होगा ।

श्री वल्लाथरास : मुझे यह स्वीकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो मैं माननीय सदस्य के संशोधन के पहले दो भागों का लोप करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय ने संशोधन का भाग (३) सदन के समक्ष रखा तथा सदन ने इसे स्वीकृत किया ।

खंड १७, संशोधित रूप में, पास किया गया तथा विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड १८ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड १९.—(रिपोर्ट तथा आंकड़े)

श्री करमरकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ६ में १२ से ले कर १५ तक की पंक्तियोंके स्थान पर निम्नलिखित आदिष्ट किया जाये :—

"19. *Report and returns.* —(1) The Board shall submit to the Central Government and such other authority as may be prescribed, a half yearly report in every six months and an annual report in every year on its activities and the working of this Act for the preceding six months and the preceding year respectively: and a copy of every such report shall, as soon as may be after it is received by the Central Government, be laid before both Houses of Parliament."

[श्री करमरकर]

"१९. **रिपोर्ट तथा आंकड़े**.—(१) बोर्ड केन्द्रीय सरकार को तथा ऐसे अन्य प्राधिकार को जिसे कि निश्चित किया गया हो अपनी गतिविधियों तथा इस अधिनियम के कार्य संचालन के सम्बन्ध में प्रत्येक महीने में एक छमाही रिपोर्ट तथा प्रत्येक वर्ष में एक वार्षिक रिपोर्ट क्रमशः पूर्व छ माही के लिये तथा पूर्व वर्ष के लिये पेश करेगा; तथा प्रत्येक ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त करने के तुरन्त बाद ही संसद् के दोनों सदनों में पेश की जायेगी"

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस संशोधन में "in every six months" [प्रत्येक छमाही में] तथा "in every year" [प्रत्येक वर्ष में,] शब्दों का लोप किया जाय। 'प्रत्येक छमाही में छमाही रिपोर्ट' तथा 'प्रत्येक वर्ष में वार्षिक रिपोर्ट' शब्दों से भ्रांति उत्पन्न होने की आशंका है। यह शब्द फालतू हैं तथा इसलिये इन का लोप किया जाये।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल) : इस बात की क्या गारंटी है कि किसी छमाही की रिपोर्ट दो वर्ष के बाद पेश नहीं की जायेगी? इस लिये यह शब्द वहां रहने चाहियें।

श्री करमरकर : मैं निवेदन करता हूं कि यह सदन सावधान है और कोई भी छमाही बिना किसी रिपोर्ट के नहीं बीत सकती है। "within the six months after the half-year is over" ["छ-माही समाप्त होने के बाद छै महीनों के अन्दर"] शब्दों से हानि पहुंच सकती है क्योंकि फिर तो कोशिश यह रहेगी कि पांच महीने और २९ दिन के बाद ही रिपोर्ट पेश की जाये। फिर भी, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं। स्वभावतः, हम यह आशा करेंगे कि प्रत्येक छमाही रिपोर्ट समुचित समय में पेश हो।

उपाध्यक्ष महोदय : "and the working of this Act for the preceding six months and the preceding year respectively" ["तथा इस अधिनियम के कार्यसचालन के सम्बन्ध में क्रमशः पूर्व छमाही तथा पूर्व वर्ष के लिये"] शब्दों को देखते हुए यह अनावश्यक दीख पड़ता है। कुछ भी हो मैं "in every six months" ["प्रत्येक छमाही में"] तथा "in every year" ["प्रत्येक वर्ष में"] शब्दों का लोप कर के इस संशोधन को मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा।

इस के पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय ने उल्लिखित शब्दों का लोप कर के उक्त प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा तथा सदन ने इसे स्वीकृत किया।

खंड १९, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड २०.—(शस्तियां)

सदन ने श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) का यह संशोधन अस्वीकृत किया कि पृष्ठ ६ की पंक्ति २२ में शब्द "five hundred" ["पांच सौ"] के स्थान पर शब्द "one thousand" ["एक हजार"] रखे जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड २० विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २० विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड २१ से ले कर २४ तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड २६.—(केन्द्रीय सरकार का नियम बनाने का अधिकार)

श्री करमरकर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ८ में, ८ से १० पंक्तियों के स्थान पर यह आदिष्ट किया जाय :

"(k) the registration of coir spindles and looms for the manufacture of coir products as also the registration of manufacturers of coir products and the conditions for such registration; the grant or issue of licences under this Act; the fees to be levied in respect of such registration and licences; and the suspension and cancellation of such registration and licences;"

["(त) जटा की वस्तुओं के निर्माण के लिये तकलियों तथा करघों का रजिस्ट्रेशन तथा जटा की वस्तुओं के निर्माताओं का भी रजिस्ट्रेशन एवं इस रजिस्ट्रेशन की दशायें; इस अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंसों का प्रदान किया जाना; उक्त रजिस्ट्रेशन तथा लाइसेंसों के सम्बन्ध में लगाया जाने वाला शुल्क; और उक्त रजिस्ट्रेशन अथवा लाइसेंसों को मुअत्तिल अथवा रद्द करना।"]

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव रखा गया और स्वीकृत हुआ ।

संशोधन किये गये :

(१) पृष्ठ ८ पंक्ति ११ में, "Licences and Authorizations" ["लाइसेंस तथा अधिकार"] के स्थान पर "Registration and Licences" ["रजिस्ट्रेशन तथा लाइसेंस"] आदिष्ट किया जाये ।

(२) पृष्ठ ८ में, पंक्ति १६ के पश्चात् यह आदिष्ट किया जाये :

"All rules made under this Act shall as soon as they are made be laid before both Houses of Parliament."

["इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित समस्त नियमों को, बनते ही, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा ।"]

—[श्री करमरकर]

खंड २६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड २७ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड १ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

पूरा नाम

श्री माड्या गौडा (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पूरे नाम में, "control" ["नियंत्रण"] के पश्चात् "and development" ["और विकास"] निविष्ट किया जाये ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस में हम ने संविधान की सूची १ की अनुसूची ७ के मद ५२ की भाषा का अनुसरण किया है । इस में कुछ और जोड़ना उक्त मद के परे जाना होगा । मैं समझता हूं कि संविधान की शब्दावली के अनुसार चलना ही श्रेयस्कर होगा ।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : श्रीमान्, मैं एक बात कहना चाहता हूं । मनोवैज्ञानिक कारणों से मेरा विचार है कि इस विधेयक का नाम "नारियल जटा विकास विधेयक" रखा जाए । "नियंत्रण" एक

[श्री डी० सी० शर्मा]

ऐसा शब्द है जो देश में बहुत ही लोक-अप्रिय हो गया है और भारतीय आर्थिक तंत्र में इसे अच्छे अर्थों में नहीं देखा जाता। जब आप किसी चीज के नियंत्रण की बात करते हैं तो उस का अर्थ होता है कि वह समाप्त हो जायेगी अथवा उसे किसी प्रकार के अनुशासन के अन्तर्गत रक्खा जा रहा है। उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण से भी यह विदित होता है कि इस का मुख्य प्रयोजन जटा उद्योग का विकास ही है, नियंत्रण नहीं। इसलिये मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा होगा यदि शब्द "नियंत्रण" के स्थान पर "विकास" रख कर हम इस विधेयक का नाम नारियल जटा विकास विधेयक कर दें।

प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"पूरा नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बना लिये गये।

विधेयक, संशोधित रूप में, पास हुआ।

श्री बी० के० दास (कोन्टाई) : इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पूर्वी भारत के जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, पश्चिमी बंगाल, आसाम और उड़ीसा, वे ऐसे क्षेत्र हैं जहां नारियल खूब पैदा होता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति करते समय वह इन क्षत्रों का भी अवश्य ध्यान रक्खेंगे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि त्रावणकोर-कोचीन में मामला ठीक हो जाने पर माननीय मंत्री जी शीघ्र ही अन्य क्षेत्रों की ओर ध्यान देंगे। मेरा निवेदन है कि यह उद्योग बंगाल तथा अन्य पड़ौसी प्रांतों में कुटीर उद्योग के रूप में बड़ी अच्छी तरह विकसित किया जा सकता है। बढ़ती हुई बेकारी तथा बातों को देखते हुए, मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस का ख्याल रखेंगे कि त्रावणकोर-कोचीन के बाद शीघ्र ही इन प्रान्तों में भी इसे कुटीर उद्योग के रूप में विकसित किया जायगा।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री वी० पी० नायर : जटा उद्योग के सम्बन्ध में सरकार का दृष्टि-कोण ही गलत है। कुछ देशों में हमारी जटा की मांग की कमी इसलिये हुई कि वहां का व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता जा रहा था न कि इस लिये कि हमारे जटा उद्योग में कुछ आंतरिक खराबी आ गई है। इसलिये इस उद्योग में आये हुए संकट का निवारण सरकार द्वारा अपना दृष्टिकोण बदलने से हो सकता था।

उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में कहा गया है कि इस विधेयक का एक उद्देश्य उद्योग के अवांछित तत्वों का उन्मूलन करना है। किन्तु वे अवांछनीय तत्व कौन हैं? तथ्य यह है कि जटा उद्योग कुछ एकाधिकारियों के नियंत्रण में है। कुछ बड़ी बड़ी विदेशी फर्में हैं जो इस पर अपना एकाधिकार जमाये हुए हैं। कुछ ५०० जटा फैक्टरियों में से लगभग १०० बड़ी विदेशी फैक्टरियां ही सारे उद्योग को नियंत्रित किये हुए हैं। ये ही विदेशी फैक्टरियां वास्तव में अवांछनीय तत्व हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह इन अवांछनीय तत्वों का

उन्मूलन करने को तैयार हैं ? यदि हां, तो मैं उन से सहमत हूं और उन्हें अपना समर्थन दूंगा। यदि जटा उद्योग को उचित आधार पर रखना है तो सब से पहले आप को इस विदेशी पूंजी का परिसमापन करना होगा ।

इस उद्योग से लगभग १२ लाख व्यक्ति अपनी जीविका अर्जित करते हैं और प्रति व्यक्ति की औसत सवा चार आने है। मैं समझता हूं कि संसार में किसी भी उद्योग में लगे हुए लोगों की औसत आय इतनी कम नहीं है । सरकार इस विषय में क्या करने जा रही है ? यह काम बोर्ड स्थापित करने से नहीं हो सकता । इस उद्योग के पुनरुद्धार के लिये १२ लाख रुपये की राशि समुद्र में बूंद के समान है। इस से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये मैं कहता हूं कि सरकार समस्या की वास्तविकता को नहीं समझी है ।

एक और भी पहलू है । ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की यह धारणा है कि गुण-प्रकार के नियंत्रण से जटा उद्योग को सहायता मिल सकती है । लेकिन मैं पूछता हूं कि गुण-प्रकार पर नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है ? जटा का सूत हजारों घरों में काता जाता है । क्या इन हजारों घरों के लिये कोई मापदण्ड निर्धारित करना सरकार के लिये सम्भव है ?

श्री वी० पी० नायर : बात यह है कि मैं ने प्रवर समिति को निर्देश करने के लिये एक प्रस्ताव भेजा था और चूंकि मेरा विचार था कि माननीय मंत्री उसे मान लेंगे, अतः मैं सदन का समय न ले कर संक्षेप में ही इस की आवश्यकता समझा देना चाहता था ।

उपाध्यक्ष महोदय : पर यही बात बोर्ड के बनने से सम्बन्धित खंड पर भी कही जा सकती थी ।

श्री वी० पी० नायर : पर वही बात नहीं है । श्री एच० एन० मुकर्जी के उत्तर में श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने कहा था कि जो व्यक्ति सन्तुष्ट नहीं होना चाहते, हम उन्हें सन्तुष्ट नहीं कर सकते । हम उन से बार बार कहते रहे हैं कि व्यापार को विशेष गुट में सीमित न रख नारियल जटा के सामान उनको अन्य देशों में भी भेजने चाहियें। कल श्री करमरकर ने कहा था कि यदि संबंधित व्यक्ति ये सामान अन्य देशों को नहीं भेजना चाहते तो हम क्या करें ? पर ये ब्रिटिश पूंजीपति ऐसा कभी न करेंगे । वे जानते हैं कि भारत सरकार उन का कुछ न करेगी । और उन का एकस्व बना रहेगा। सरकार का रवैया ही ऐसा रहा है । हां, बाद में अवश्य नारियल उत्पादकों को प्रतिनिधित्व दे कर उस ने भूल सुधार ली ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कही जा चुकी बातें ही दुहरा रहे हैं ।

श्री वी० पी० नायर : कल की कार्यवाही तो मेरे पास नहीं है । पर यदि आप कृपया एक भी पुनरुक्ति बता दें, तो मैं बैठ जाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कह लें। पर कही जा चुकी बातें दुहराने से कोई लाभ नहीं है।

श्री वी० पी० नायर : संकट टालने के लिये बोर्ड बनाने का ही प्रश्न नहीं है। उद्योग पर बहुत भारी संकट आया हुआ है। १९५२-५३ में नारियल जटा की चटाइयां २५-३० प्रतिशत कम दामों पर बाहर गई हैं। यह उत्पादन के प्रकार की गिरावट के कारण या मजदूरों के बिगड़ जाने के कारण नहीं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण हुआ है । इस समस्या के समाधान के लिये पहला कदम ब्रिटिश पूंजी को जब्त कर लेना है । अन्यथा बोर्ड कुछ न कर सकेगा । शायद माननीय मंत्री भी समझते हैं कि यह विधेयक

[श्री वी० पी० नायर]

विशेष कुछ न कर सकेगा, और तभी इसे प्रवर समिति को नहीं सौंपना चाहते ।

हम इस विधेयक को छोड़ नहीं देना चाहते ; जहां तक नारियल जटा उद्योग का सम्बन्ध है, यह सर्वथा अहानिकारक है । पर इस के लिये सरकार की सराहना करने वाले माननीय सदस्यों की बात सुन मुझे उन छः अंधों की कहानी याद आ गई, जो हाथी को देखने गये थे और एक ने उस का कान देख कर हाथी को पंखे जैसा माना था । यदि हमें वस्तुतः इस उद्योग की सहायता कर के इसे फिर से बसाना है, तो ऐसे काम न चलेगा । हमें गम्भीरतापूर्वक कुछ करना होगा, अन्यथा शीघ्र ही बोर्ड के भ्रष्टाचार और स्वजनपोषण आदि की शिकायतें सदन को सुनने को मिलेंगी ।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : नारियल आसाम में बहुत होते हैं। और वहां कहावत है कि बंदर नारियल का मूल्य नहीं जानता .....

उपाध्यक्ष महोदय : पर बन्दर नारियल के रेशे को जानता है । वही प्रस्तुत प्रसंग है ।

श्री आर० के० चौधरी : पर वहां बन्दर सुकोमल नारियलों को ही खा लेते हैं और रेशे बन ही नहीं पाते ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो आसाम में बन्दर भी बहुत होते हैं ?

श्री आर० के० चौधरी : हां, पर वे और स्थानों के बन्दरों जैसे उपद्रवी नहीं होते । पर इस परिहास को छोड़ आज मैं कुछ गम्भीर बात कहना चाहता हूं ।

मुझे यह कहना है कि आसाम में, जहां नारियल बहुत होते हैं, लोग रेशों का उपयोग नहीं जानते और वे बरबाद जाते हैं । वहां नारियल का उत्पादन बढ़ भी सकता है । बाहर से भी वहां बहुत नारियल आते हैं और उन के रेशे भी बरबाद जाते हैं । अतः मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं ।

बोर्ड में सरकारी सभापति रहना ठीक नहीं है । जिस बोर्ड में संसद् सदस्य हों, उस का सभापति या तो एक संसद् सदस्य या कोई मंत्री बने । केन्द्रीय रेशम बोर्ड की बैठक वर्ष में एक ही बार होती है, अतः इस बोर्ड का सभापति बनना माननीय मंत्री के लिये कठिन न होगा । फिर जिस प्रकार रेशम बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में एक भी संसद् सदस्य नहीं है, उसी प्रकार इस बोर्ड में भी बहुमत असंसद् सदस्यों का होने के कारण वे स्थायी समिति में किसी संसद् सदस्य को न चुनना चाहेंगे । अतः इस के लिये भी कुछ नियम होना चाहिये कि कम से कम एक संसद् सदस्य बोर्ड की कार्यकारिणी का सदस्य अवश्य होगा ।

फिर बोर्ड की प्रति वर्ष कम से कम दो तीन बैठकें अवश्य होनी चाहियें । चूंकि यह उद्योग अभी पनप नहीं रहा है अतः यह रेशम उद्योग की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण भी है, और इस कारण इसे विशेष महत्व देना चाहिये । और माननीय मंत्री को स्वयं बोर्ड की बैठकों का सभापति बनना चाहिये । रेशम बोर्ड की साधारण बैठक नवम्बर से १ दिसम्बर के लिये और फिर १९ दिसम्बर के लिये इसी कारण स्थगित हुई है कि माननीय मंत्री उपस्थित होना चाहते । मैं इसे ठीक समझता हूं और इस कारण माननीय मंत्री इस बोर्ड के सभापति बनें ।

श्री करमरकर : चूंकि विवाद में बहुत अधिक नई बातें नहीं उठाई गई हैं, मैं संक्षेप में ही अपनी बात कहूंगा । खेद है कि माननीय

मित्र श्री नायर इस समय उपस्थित नहीं हैं। इस कारण भी मैं उन के शब्दों में उन के भावावेशपूर्ण पहलू को संक्षेप में निपटाऊंगा।

सरकारी पक्ष वाले हम लोग सदैव यह ध्यान रखते हैं कि विवाद की कोई महत्वपूर्ण बात छूट न जाये, पर सदन के प्रति भी हमारा कर्त्तव्य है कि हम उस का आवश्यकता से जरा भी अधिक समय न लें।

अपनी बातों के छोड़ दिये जाने की बारम्बार शिकायत करने वाले माननीय सदस्य के भाषण में मुझे एक ही बात संगत लगी थी और मैं ने उस का पहले संक्षेप में निर्देश भी किया था, वह यह कि हाल में हमारा निर्यात विश्व के एक भाग विशेष में गिर गया है। मैं बता चुका हूं कि निर्यात के विषय में हम गंतव्य स्थान को नियंत्रित नहीं करते, और उसे व्यापार के ऊपर ही छोड़ देते हैं—केवल इस देश के व्यापार के ही ऊपर नहीं, बल्कि उन के द्वारा निर्दिष्ट देशों में व्यापार के ऊपर भी। आयात करने वाले देशों को भी चिन्तित होना चाहिये। स्वभावतः व्यापारी तो चिन्तित रहते ही हैं, पर यदि बहुत समय तक किसी देश के लिये कुछ भी निर्यात न हो, तो इस का अर्थ यही है कि वह देश उस पदार्थ को नहीं चाहता। पर इस का अर्थ यह नहीं है कि सरकार सभी दिशाओं में निर्यात बढ़ाने के लिये भरसक चेष्टा न करे। हम यथासंभव सर्वश्रेष्ठ रूप में ऐसा करने का यत्न करते रहे हैं।

वस्तुतः उन के द्वारा निर्दिष्ट अनुच्छेद विश्लेषण के ही रूप में लिया गया अनुच्छेद था और मुझे भरोसा है कि और कुछ न सही तो उस जानकारी के ही लिये जिस पर उन्हों ने अपने तर्क आधारित किये, उन को इस अनुच्छेद का आभारी होना चाहिये। वह निरपेक्ष रूप से विविध देशों की दशा बताता है, जिस से व्यापार के सम्बन्धित अंग उस से लाभ उठा सकें। उदाहरणतः यह बताता है कि संयुक्त राजतन्त्र (बृटेन) में चटाइयों पर आयात शुल्क नहीं है, पर अन्य बातें हैं और अन्य पदार्थ बाजार में स्पर्द्धा करते हैं। और यदि दशायें मुश्किल हों, तो हम दुनिया से शिकायत नहीं कर सकते। हमें अपने आप को परिस्थिति के अनुरूप सुधारना होगा और परिस्थिति के अनुसार यथासंभव सब कुछ करना होगा।

मेरे माननीय मित्र को यह भी विदित है कि गत तीन वर्षों की तुलना में निर्यात का मूल्य और मात्रा दोनों ही कम हुए हैं। हमें भय है कि ये गिरते ही रहेंगे। मेरे माननीय मित्र ने इन के निःशेषी आंकड़े बताये हैं। वे प्रायः मेरे पास रहते हैं और यदि मैं यथा-समय अपने आंकड़े बता दूं जो मैं प्रायः अपने साथ रखता हूं, तो यह उन को विशेष प्रिय न लगेगा। पर मैं बताये बिना नहीं रह सकता। आंकड़े यों हैं। यदि अप्रैल, १९५० से मार्च १९५१ तक के १२ महीनों में हमारे निर्यात का कुल मूल्य ७ करोड़ रुपये था, तो १९५२-५३ में यह ४ करोड़ रुपये के लगभग था। यह बात सूत के विषय में है। नारियल जटा और उस के उत्पादों के विषय में यदि निर्यात का मूल्य १९५०-५१ में मोटे रूप से ११ करोड़ रुपये से कुछ कम था, तो १९५२-५३ में यह ७ करोड़ रुपये से कुछ ऊपर था।

स्वभावतः दामों की कमी हमारे नियंत्रण के बाहर के बहुत से कारणों के फलस्वरूप है। पदार्थ विशेष की आवश्यकता न होने पर भी उस के दाम गिर जाते हैं। यदि दुनियां की स्थिति के कारण साधारणतः गिरने वाले दामों के फलस्वरूप—जिस का अपने आयात से सम्बन्धित कुछ बातों में हम स्वागत करते हैं—हमारे निर्यात के भी कुछ पदार्थों के दाम गिर जाते हैं, तो हम इस परिवर्तन के लिये शिकायत नहीं कर सकते। यदि माननीय मित्र अप्रैल से सितम्बर, १९५३ तक के गत छः

[श्री करमरकर]

महीनों के आंकड़े देखें, तो उन को पता चलेगा कि यदि अप्रैल, १९५३ में नारियल जटा और उस के उत्पादों का निर्यात ८७,००० हंड्रडवेट था, तो सितम्बर में यह संख्या क्रमश: बढ़ती हुई १,१०,००० हंड्रडवेट, और १,१८,००० हंड्रडवेट से बढ़ कर १,२५,००० हंड्रडवेट तक पहुंच गई। आज की स्थिति में हमारे निर्यातों का बढ़ना निश्चय ही उत्साह-वर्द्धक है। मूल्य में भी हमारा निर्यात अप्रैल, १९५३ के ४७ लाख रुपये के लगभग से बढ़ कर जून में ६७ लाख रुपये और सितम्बर में ६२,८५,००० रुपये हो गया। मैं माननीय सदस्य से पूर्ण सहमत हूं कि दाम पहले जैसे नहीं हैं और इसी कारण हमें एक तो उद्योग को उचित रूप में विकसित करने के लिये और दूसरे निर्यात का प्रचार करने के लिये और भी प्रयत्न करना चाहिये। पर इस प्रकार के विधेयक का अकारण विरोध निश्चय ही नारियल जटा उद्योग को विकसित करने वाला पग नहीं है। आखिर कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर निरपेक्ष भाव से विचार करना होगा। कुछ प्रश्न एक प्रचार का अंग बन जाते हैं, पर जब इस प्रकार का एक विशुद्ध आर्थिक प्रस्ताव हमारे सामने आता है तो निश्चय ही हमें निरपेक्ष भाव से विचार करना चाहिये कि क्या वर्तमान परिस्थिति में इस उद्योग का नियंत्रण किया जाये या नहीं और एक बोर्ड बनाया जाय या नहीं। माननीय मित्र बोर्ड का मनचाहा मूल्य आंकें, पर हमारे पास एक दूसरा मूल्य है और वह यह है कि ये बोर्ड आवश्यक हैं। स्वभावत: जब हमें रेशम उद्योग जैसे एक उद्योग का नियंत्रण करना होता है, तो हम कुछ सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते हैं। अब हमारा विचार है कि जब तक हम इस उद्योग का नियंत्रण करने के लिये अपेक्षतया अधिक शक्तियां ग्रहण नहीं करते, जब तक हम बोर्ड को अपेक्षतया अधिक शक्ति नहीं देते, तब तक किसी भी उद्योग का समुचित विकास नहीं हो सकता। इसी दृष्टि से हम ने इस बोर्ड को काफी शक्तियां देते हुए खड़ा किया है, और साथ ही बोर्ड की कार्यविधि को नियंत्रित करने के लिये पर्याप्त शक्ति स्वयं सरकार के हाथ में रखी है।

जब यह विधेयक प्रस्तुत किया गया था उस समय श्री टामस ने कहा था कि किसी बोर्ड के न होने की अपेक्षा किसी बोर्ड का होना अच्छा है और वाद विवाद के अन्त में उन्हों ने कहा कि किसी बोर्ड के होने से तो बोर्ड का न होना अच्छा है। मैं समझता हूं कि उन का अभिप्राय यह नहीं होगा अपितु वह इस बात पर जोर देना चाहते थे कि हम इस मामले में और अधिक प्रयत्न करें। यद्यपि वाद विवाद के दौरान में उन्हों ने कुछ ऐसी बातें कहीं थीं जो मेरे विचार से इस वाद-विवाद की दृष्टि से असंगत थीं, तो भी मैं समझता हूं कि वह नारियल जटा उद्योग के समुचित विकास तथा इस के प्रोत्साहन और जटा की बनी वस्तुओं की अधिक बिक्री और इन के निर्यात के मामले में हमारी तरह ही उत्सुक हैं। किन्तु इस के साथ मेरा यह भी विचार है कि वह उन व्यक्तियों में से हैं जो कभी यह नहीं कहेंगे कि सरकार ने कोई अच्छा काम किया है। ऐसे व्यक्ति यह समझते हैं कि यदि वे सरकार की प्रशंसा करेंगे तो सरकार अधिक उत्साह से कार्य नहीं करेगी। किन्तु उन का यही अभिप्राय था कि इस उद्योग का सब प्रकार से विकास किया जाय और इसे प्रोत्साहन दिया जाय।

सरकार के विरुद्ध यहां जो भी बातें कही जाती हैं उन पर हम विशेष ध्यान देते हैं। श्री वी० पी० नायर ने जो बातें वाद विवाद के दौरान में पिछली बार कहीं थीं उन को मैं ने ध्यान से सुना था। इस बार भी उन्हों ने केवल

एक नई बात को छोड़ कर वे ही बातें फिर कही हैं । अतः मैं उन सब बातों का उत्तर देकर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता ।

मेरे पुराने कार्य बन्धु श्री आर० के० चौधरी ने भी एक और बात कही । उन्हों ने आसाम के विषय में कहा था । इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय यह एक प्रादेशिक मामला है । सदन इस बात को भली भांति समझ सकता है कि त्रावणकोर-कोचीन तथा मलाबार आदि स्थानों के लिये यह प्रश्न अधिक महत्व का है, क्योंकि जैसा कि मैं ने कल कहा था, यह वहां की अत्यधिक आर्थिक महत्व की समस्या है । मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि श्री आर० के० चौधरी के प्रयत्नों से आसाम में इस दिशा में अधिक कार्य किया जाय । आसाम में इतनी अधिक और अच्छी फस्लें होती हैं कि वहां लोग छोटे उद्योगों की ओर ध्यान नहीं देते : त्रावनकोर-कोचीन के मुकाबले में आसाम के मजदूरों में बेरोजगारी कम है । मुझे विश्वास है कि जब सरकार इस विधेयक को कार्यान्वित करेगी तब यह केवल त्रावणकोर-कोचीन तथा मलाबार का ही ध्यान नहीं रखेगी अपितु उन सभी स्थानों का ध्यान रखेगी जहां नारियल जटा से चीजें बनाई जा सकती हों । मेरे माननीय मित्र ने कहा कि सरकार को आसाम का भी ध्यान रखना चाहिये । किन्तु हम इस प्रश्न पर बाद में विचार करेंगे, क्योंकि यह केवल समय की सापेक्षता का प्रश्न है । अन्ततोगत्वा, सरकार इस पूरे उद्योग को यथाशीघ्र अपने नियंत्रण में लेना चाहती है और निस्सन्देह इस में सब से पहले वे स्थान आते हैं जहां यह उद्योग अच्छी हालत में नहीं है और जिन स्थानों के निवासियों की आर्थिक दशा के बारे में हम चिन्तित हैं । किन्तु जहां तक इस विधेयक के प्रवर्त्तन का सम्बन्ध है, हम इस पूरे नारियल जटा उद्योग का विकास करना चाहते हैं, चाहे यह रत्नगिरि, या पश्चिमी बंगाल या आसाम मे हो । इस का यह अर्थ नहीं है कि यह उद्योग आसाम में खूब अच्छी प्रकार से चल सके, इसलिये बोर्ड में आसाम का सदस्य होना चाहिये । जो दो मन्त्री पूरे नारियल जटा उद्योग की देख भाल कर सकते हैं जब कि वे आसाम के न भी हैं, तो मैं समझता हूं कि यह आवश्यक नहीं कि बोर्ड में आसाम का एक सदस्य होना आवश्यक है ।

श्री आर० के० चौधरी : मैं ने तो यह नहीं कहा ।

श्री करमरकर : आप ने नहीं कहा किन्तु मैं यह बता रहा हूं कि बोर्ड के लिये नामनिर्देशन के मामले में हम प्रादेशिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते । यदि कभी ऐसा हो कि किसी विशेष प्रान्त के सदस्य का नामनिर्देशन न हो तो इस से यह बात नहीं समझ लेनी चाहिये कि सरकार को उस क्षेत्र की ओर का ध्यान है ।

अब और ऐसी बातें नहीं हैं जिन के लिये मैं सदन का समय लूं । हमारा सम्बन्ध तो बोर्ड के कार्य सम्पादन से है । यहां यह भी कहा गया था कि इस में अवांछनीय व्यक्तियों को न रखा जाय। सट्टेबाज तथा मुनाफाखोर आदि बहुत से अवांछनीय व्यक्ति हैं । किन्तु ऐसे व्यक्तियों का भी एक छोटा सा भिन्न दल है—मैं इन्हें अवांछनीय व्यक्ति तो नहीं कहूंगा — जो सरकार द्वारा किये गये हर अच्छे कार्य के मार्ग में रोड़े अटकाते हैं । मैं किन्हीं अन्य अवांछनीय व्यक्तियों का निर्देश नहीं कर रहा हूं किन्तु हमारे देश में ऐसे लोगों का एक दल है अतः हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस विधेयक से जनता को लाभ हो ।

इन शब्दों के साथ में इस वाद विवाद के दौरान में जो सुझाव रखे गये हैं उन का

[श्री करमरकर]

तथा जिस ढंग से यह वाद विवाद किया गया है उस की प्रशंसा करता हूं । यद्यपि इस में मेरे माननीय मित्र ने आलोचना की, मेरे विचार में वह इस के प्रसंगानुकूल नहीं थी ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान और अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) संशोधन विधेयक

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान और अवशष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) अधिनियम, १९५१, में संशोधन करने के हेतु रखे गये विधेयक पर, जिस रूप में, इसे राज्य-परिषद् द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाय ।"

यह एक छोटा सा विधेयक है जिस का उद्देश्य प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान और अवशेषों की सूची में परिवर्त्तन करना है। सदन को मालूम है कि संविधान के अनुच्छेद २४६ के अन्तर्गत सदन को सप्तम अनुसूची की सूची १ में उल्लिखित मामलों के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार है । सप्तम अनुसूची की संघ सूची १ की मद संख्या ६७ में इसी विषय का उल्लेख है जिस पर कि इस समय यहां चर्चा हो रही है और जिस के लिये मैं ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है । इस के अनुसार किसी स्मारक या ऐतिहासिक अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व की वस्तुयें घोषित करने के लिये सरकार को संसद् की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है । और प्रत्येक ऐतिहासिक स्मारक तथा स्थान, जिसे सरकार अपने संरक्षण में लेगी, के लिये सदन की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है । इसीलिये यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है ।

यह संशोधन विधेयक पहले राज्य-परिषद् में प्रस्तुत किया गया था, उस समय से सरकार ने कुछ स्मारकों तथा स्थानों के बारे में विचार किया और इस सम्बन्ध में ये संशोधन हमारे सामने प्रस्तुत हैं । मैं ने इन संशोधनों को प्रस्तुत किये जाने की सूचना दे दी है और वे यथासमय प्रस्तुत किये जायेंगे । इस प्रकार का अनुसन्धान कार्य तथा जांच करना, एक लगातार किया जाने वाला काम हो गया है । उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में यह कहा गया है कि कुछ और स्मारकों, स्थानों तथा अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाना है । अतः १९५१ के अधिनियम की अनुसूची में और अधिक स्मारक आदि सम्मिलित किये जाने हैं । इसलिये मुझे आशा है कि इस संक्षिप्त विधेयक पर अधिक समय नहीं लगेगा और इन संशोधनों पर भी अधिक समय नहीं लगेगा । मैं उन संशोधनों को भी प्रस्तुत करूंगा जिन की सूचना माननीय मंत्री ने दी है ।

श्री गोविन्द दास : जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इस से किसी को विरोध नहीं हो सकता । परन्तु यह विधेयक जिस प्रकार से यहां पर लाया गया है और इस में जो इतने अधिक सुधार पेश किये गए हैं, उस के कारण इस में एक सैद्धान्तिक प्रश्न उठ खड़ा होता है । यह देश बहुत बड़ा देश है । और इस देश का इतिहास भी बहुत पुराना इतिहास है । इस देश में ऐसे अनेक

स्थल हैं कि जिन की रक्षा होना नितान्त आवश्यक है, और इसीलिये हम ने देखा कि इस विधेयक में आने के बाद यहां पर इतने सुधार शिड्यूल में रखे गये । जहां तक मुझे याद है हमारे वर्तमान संविधान के पास होने के पहले इस प्रकार के यदि कोई ऐतिहासिक स्थान रहते थे तो उन को सरकार अपनी रक्षा में एक विज्ञप्ति के द्वारा ले सकती थी । मैं यह चाहता हूं कि फिर से इसी प्रकार की व्यवस्था हो सके कि जिस में हम को बार बार इस प्रकार के विधेयक भिन्न भिन्न ऐतिहासिक स्थानों के लिये न लाने पड़ें । मुझे मालूम हुआ कि हमारे संविधान की एक धारा इस प्रकार की है कि जिस के कारण सरकार किसी विज्ञप्ति के द्वारा इस प्रकार के कोई ऐतिहासिक स्थानों को अपनी रक्षा में नहीं ले सकती । मैं समझता हूं कि जिस समय हम ने संविधान स्वीकार किया उस समय इतनी अधिक बातें हमारे सामने थीं कि इस प्रकार की बातों की ओर हम अधिक ध्यान नहीं दे सके । मुझे यह भी मालूम हुआ कि वर्तमान संविधान के रहते हुए भी कुछ लोगों का यह मत है कि इस विधेयक में इस प्रकार का सुधार किया जा सकता है कि जितने भी ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं उन को एक विज्ञप्ति के द्वारा रक्षा में लिया जा सके । मैं कोई वकील नहीं हूं और मैं नहीं जानता कि यह दोनों मत, एक यह कि हम अपने संविधान को वर्तमान अवस्था में रखते हुए, इस प्रकार के ऐतिहासिक स्थानों को अपनी रक्षा में नहीं ले सकते, और दूसरा यह कि वर्तमान संविधान के रहते हुए भी इस प्रकार के स्थान रक्षा में लिय जा सकते हैं, जो प्रस्तुत किये जाते हैं, इन में से कौन सा मत ठीक है । लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह निवदन करूंगा यदि इस प्रकार के स्थान वर्तमान संविधान के रहते हुए सुरक्षा में नहीं लिये जा सकते तो संविधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता है । संविधान में जब और भी अनेक परिवर्तन होने की आवश्यकता हमें जान पड़ती है, तो इस प्रकार का परिवर्तन भी होना चाहिये, नहीं तो समय समय पर इस प्रकार के विधेयक हमारे सामने आयेंगे और उन में लोक सभा का बहुत सा समय जायगा । जैसा मैंने अभी आप से निवेदन किया, यह बहुत पुराना देश है और इस में बहुत ऐतिहासिक स्थान हैं और इन की सूची शैतान की आंत के सदृश लम्बी होती जाती है । मेरा आप से यह निवेदन है कि यदि वर्तमान संविधान के रहते हुए भी किसी विज्ञप्ति के द्वारा ऐसे स्थानों को रक्षा में लिया जा सके तो इस विधेयक में ऐसा परिवर्तन किया जाय । यदि ऐसा नहीं हो सकता तो संविधान में ऐसा परिवर्तन किया जाय कि विज्ञप्ति के द्वारा जिन स्थानों को उचित समझा जाय उन को रक्षा में लिया जाय और इन के लिये बार बार इस प्रकार के विधेयक इस लोक सभा में लाने की जरूरत न पड़े । मैं इस विधेयक का तो समर्थन करता हूं लेकिन मैं इस के साथ यह निवेदन अवश्य कर देना चाहता हूं ।

श्री आर० के० चौधरी : आसाम एक पुराना देश है और इस के समान कोई दूसरा देश नहीं है । इस का पुराना नाम कामरूप था । इस का छै हजार वर्ष पूर्व महाभारत में भी उल्लेख किया गया है । आसाम में महाभारत के समय की एक मील लम्बी सड़क है । किन्तु उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । देश के हर भाग से हिन्दू यात्री कामाख्या मन्दिर के दर्शन के लिये आते हैं । इस सड़क की अच्छी प्रकार से रक्षा की जानी चाहिये । आसाम के किसी भी महत्व के स्थान का इस विधेयक या १९५१ के विधेयक में उल्लेख नहीं है । मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं कुछ ऐसे प्राचीन स्मारकों के उदाहरण

[श्री आर० के० चौधरी]

दूं जिन की ओर कुछ ध्यान नहीं दिया गया है। इस से पूर्व मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि आसाम प्रान्त में पुरातत्व सम्बन्धी स्थानों की खोज का कोई ऐसा प्रयत्न नहीं किया गया है जैसा कि कई अन्य स्थानों में।

अजायब घरों तथा अन्य स्थानों में यदि आप देखें तो आप को आसाम की बहुत सी वस्तुएं मिलेंगी। परन्तु यह सारी वस्तुएं निजी व्यक्तियों द्वारा संग्रह की गई हैं। सरकार ने भूतल से किसी चीज की खोज नहीं की है। कामाख्या पहाड़ी के निकट एक पोखर है जिस का कुछ समय के लिये निजी उद्यम द्वारा संरक्षण किया गया। आसाम पर कभी मुगलों या पठानों ने विजय नहीं पाई, यद्यपि उन्हों ने १४ बार प्रयत्न किया। फिर भी जब थोड़े से समय के लिये मुगल वहां रहे उन्हों ने कामाख्या जाने वाली सड़क के आरम्भ में स्थित एक स्थान पर कई शिलालेख तैयार किये। सतरह मील आगे एक प्राचीन तालाब भी है परन्तु इन स्मारकों के संरक्षण का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। गौहाटी से १५ मील परे एक मुसलमानों का तीर्थ भी है जिस को भी मुगलों ने ही बनाया था। ऐसे ही अन्य स्मारक हैं। परन्तु इन के संरक्षण के लिये सरकार ने कुछ नहीं किया है। १९४७ से पूर्व अंग्रेजी सरकार द्वारा कुछ न किया जाना तो समझा जा सकता है परन्तु मुझे यह नहीं समझ आती कि राष्ट्रीय सरकार भी इन स्मारकों में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं लेती।

उपाध्यक्ष महोदय : आसाम का यह इतिहास तो रुचिकर है, परन्तु हमें साधारण बातों तक ही अपने को सीमित रखना चाहये। मध्य प्रदेश आदि में भी बहुत से प्राचीन स्मारक हैं। यदि हम उन स्मारकों की सूची पढ़ने लगें जो इस में सम्मिलित किये जाने चाहियें तो यह अन्तरहित मामला बन जायगा। माननीय सदस्यों को चाहिये कि सरकार से पत्र व्यवहार करें और इन स्मारकों को सम्मिलित करायें।

श्री के० डी० मालवीय : उन्हों ने कोई विशेष सुझाव नहीं दिया है। मैं उन को यह बताना चाहता हूं कि आसाम के ५९ स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किया गया है।

श्री आर० के० चौधरी : क्या आप एक या दो नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री के० डी० मालवीय : वह १९०४ के अधिनियम को देख लें।

श्री आर० के० चौधरी : उन दिनों अंग्रेजी सरकार के अधीन यह विभाग संगठित नहीं था। मैं माननीय मंत्री को चुनौती देता हूं कि एक बार भी अब तक खोज नहीं की गई है।

श्री के० डी० मालवीय : दुर्भाग्य यह है कि हाल ही में ऐसा नहीं हुआ है।

श्री आर० के० चौधरी : श्रीमान् इस भारी चूक को प्रकट करने पर आप मेरी आलोचना करते हैं।

श्री श्यामनन्दन सहाय (मुजफ्फरपुर मध्य) : जब आप इस विभाग के मंत्री थे तब खासी पहाड़ियों में कुछ खोज हुई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन में यह सब बातें छेड़ने में कोई लाभ नहीं। यदि माननीय मंत्री को पहले यह बातें सूझतीं तो वह यही महत्व के स्मारकों में कुछ और जुड़वा सकते थे।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मेरे विचार में सरकार पुरातत्व

के साथ सौतेली मां का सा व्यवहार करती है । यदि हम अपने प्राचीन इतिहास पर नज़र डालें तो हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पुरातत्व सम्बन्धी स्मारक ही मिलेंगे । हमारी प्राचीन सभ्यता के सबसे बड़े चिह्न इन्हीं स्थापत्यों में मिलेंगे । फिर भी, सरकार को पुरातत्व विभाग पर जितना ध्यान देना चाहिये वह उतना नहीं दे रही है । मैं जानता हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ संवैधानिक कठिनाइयां हैं । परन्तु मैं चाहता हूं कि सरकार प्राचीन व ऐतिहासिक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थानों और अवशेषों की देखभाल के सम्बन्ध में कोई ठोस योजना हमारे सामने रखे । मैं चाहता हूं कि सरकार को इस बात का अधिकार प्राप्त हो कि वह जिस प्राचीन स्मारक या अन्य ऐसी ही चीज़ को चाहे राष्ट्रीय महत्व की चीज़ घोषित कर दे । क्योंकि अनुसूचियों में बार बार कहां तक संशोधन किया जा सकता है । यह बात तो पुरातत्व विभाग पर और यदि जरूरत हो तो उससे सम्बद्ध एक विशेषज्ञ कमेटी पर छोड़ देनी चाहिए ।

मैं पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को इस बात के लिये दोषी नहीं ठहराता कि वे काम ठीक से नहीं कर रहे हैं । वास्तव में, सरकार उन्हें इतना रुपया ही नहीं दे रही है जिससे वे देश के विभिन्न भागों का दौरा करके राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें ढूंढ सकें । पुराने अवशेषों को खोदने में हमारा पुरातत्व विभाग जिन तरीकों को प्रयोग में लाता रहा है वे अब बेकार हो गये हैं । हमें नये उपकरणों की आवश्यकता है । हम चाहते हैं कि सरकार इस सम्बन्ध में एक व्यापक योजना तैयार करे तथा इस विभाग पर अधिक से अधिक रुपया व्यय करे । मुझे यह जान कर दुःख हुआ कि १९५२–५३ के लिये जब बजट में ४४ लाख रुपये मंजूर किये गये थे तो केवल ३८.५४ लाख रुपये ही कैसे व्यय हुए । पता लगा है कि सरकार ने ही यह रुपये घटा दिये थे । यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है । बढ़ाने की बजाय सरकार रुपये घटा रही है । ऐसा नहीं होना चाहिये ।

भाग 'ख' राज्यों में पुरातत्व सम्बन्धी स्मारकों की देखभाल करने के लिये कुल ५.०५ लाख रुपये मंजूर किये गये हैं । देशी रियासतों में पुरानी इमारतों आदि पर इससे चार या पांच गुना रुपया खर्च किया जाता था । परन्तु अब तो कुछ और ही स्थिति हो गई है । इलौरा या अजन्ता का ही मामला ले लीजिये । जिन व्यक्तियों ने इन गुफाओं को पहले देखा था और जो अब देख रहे हैं उनका कहना है कि अब इन गुफाओं की देखभाल ठीक से नहीं हो रही है । जब इन गुफाओं की देखभाल का प्रबन्ध निज़ाम सरकार के हाथ में था तो इनकी अच्छी देखभाल होती थी, फिर अब, क्या हो गया है ? क्या हमारी राष्ट्रीय सरकार अपने पुरातत्व सम्बन्धी स्मारकों की देखभाल का भी उचित प्रबन्ध नहीं कर सकती ?

पुरातत्व सम्बन्धी स्मारकों, स्थानों तथा अवशेषों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको एकीकृत करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या किया है ? पाकिस्तान के पुरातत्व विभाग से सम्पर्क बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ? क्योंकि सिन्धु घाटी सभ्यता के नाम से याद किये जाने वाले काल के अधिकतर अवशेष, जैसे मोहेंजोदड़ो, हड़प्पा आदि, पाकिस्तान में ही हैं । भारत में बीकानेर, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान के कुछ ऐसे भाग हैं जहां सिन्धु घाटी सभ्यता के अवशेष पाये जाते हैं । इस सभ्यता का और आगे पता लगाने के सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है ?

कोनरक मन्दिर की भी हालत खराब है । यद्यपि उसमें मरम्मत करने के लिये कमेटी ने अनेक सिफारिशें की थीं किन्तु अभी तक उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया है और यदि

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

किया भी गया है तो धीरे धीरे जिससे कोई विशेष लाभ नहीं हो सका है । जैसा कि सर्व-विदित है यह मन्दिर स्थापत्य कला का अपूर्व नमूना है । यदि यह मन्दिर नष्ट हो जाता है तो देश को अपार हानि उठानी पड़ेगी । यही हाल नालन्दा का है । उसके बारे में भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । जो कुछ खुदाई का काम हुआ था वह भी धन न रहने के कारण बन्द कर देना पड़ा है । कौशाम्बी, महाबलि-पुरम् आदि अनेक ऐसे ही स्थान और हैं जिन पर सरकार उचित ध्यान नहीं दे रही है ।

मैं आपका ध्यान विशेषकर नागार्जुनी-कौन्डा के अवशेषों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । यह कहा जाता है कि यदि आन्ध्र देश में नन्दीकौन्डा परियोजना कार्यान्वित की गई तो यह अवशेष बह जायेंगे । एक सुझाव यह रखा गया है कि जो कुछ भी अवशेष मिले हैं उन्हें एक अजायबघर बना कर वहीं पर रख दिया जाये । परन्तु ऐसा तभी हो सकता है जब वित्त मंत्रालय कुछ रुपया और दे । रुपया मिलने पर नन्दीकौन्डा परियोजना में कुछ हेर फेर किया जा सकता है जिससे नागार्जुनी-कौन्डा के अवशेषों को भी हानि नहीं पहुंचेगी । इस मामले पर उच्च से उच्च स्तर पर विचार किया जाना चाहिये क्योंकि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं । इनके लिये धन का प्रबन्ध होना ही चाहिये ।

अनेक विदेशी हमारे देश से कला की वस्तुएं उठा ले गए हैं । मैं चाहता हूं कि उन वस्तुओं को हमारे देश में वापस मंगवा लिया जाना चाहिये । हम जानते हैं कि ब्रिटिश म्यूज़ियम तथा अमेरिका के बोस्टन म्यूज़ियम में अनेक भारतीय बहुमूल्य कलात्मक वस्तुएं रखी हुई हैं । मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार इन देशों से अपने मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का लाभ उठा कर उन वस्तुओं को देश में फिर से मंगवा ले ।

एक दूसरी बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह है ब्रिटिश वायसरायों और प्रधान सेनापतियों की मूर्तियां या चित्र । मुझे यह देख कर खेद होता है कि इन चित्रों आदि को आज भी राष्ट्रपति भवन में स्थान मिला हुआ है । मेरे विचार में इनको शीघ्र से शीघ्र वहां से हटा दिया जाना चाहिये । यह हमारे लिये एक लज्जा की बात है ।

अन्त में, मैं यही कहना चाहता हूं कि पुरातत्व सब से अधिक राष्ट्रीय महत्व का विषय है क्योंकि इसी के सहारे हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं । पुरातत्व सम्बन्धी स्थानों और अवशेषों की देखभाल करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है । मेरा निवेदन है कि सरकार इस विभाग के लिये अधिक से अधिक धन का प्रबन्ध करे तथा एक ठोस योजना प्रस्तुत करके जिसके अनुसार सुचारु रूप से काम किया जा सके । हम इस विभाग के लिये रखे जाने वाले अनुदान को सहर्ष स्वीकार करने के लिये तैयार हैं ।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : जहां तक इस विधेयक के प्रारूप का सम्बन्ध है मैं पहले ही एक संशोधन की सूचना दे चुका हूं जिसके अनुसार सरकार गज़ट में अधिसूचना देकर किसी भी प्राचीन स्मारक या पुरातत्व सम्बन्धी स्थान या अवशेष के बारे में राष्ट्रीय महत्व की घोषणा कर सकती है ।

१९०४ के अधिनियम के लागू होने से पहले प्रान्तीय सरकारें ऐतिहासिक स्मारक आदि की देखभाल किया करती थीं । परन्तु १९०४ के अधिनियम के बाद इस काम के लिये एक विभाग बना दिया गया । १९५० में संविधान लागू हो जाने के बाद प्राचीन स्मारकों तथा ऐतिहासिक स्थानों की देख-भाल संघ को दे दी गई तथा साथ ही यह भी व्यवस्था कर दी गई कि केवल वही स्मारक या स्थान राष्ट्रीय महत्व के समझे जायेंगे जिनके

बारे में संसद् विधान पारित कर दे । यही कारण है कि अनेक संशोधनों की सूचना दी गई है । सभी सदस्य अनुसूची में किसी न किसी स्थान को शामिल करवाना चाहते हैं । परन्तु यह काम सदस्यों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये क्योंकि वे लोग किसी ऐतिहासिक, पुरातत्व सम्बन्धी या स्थापत्य सम्बन्धी स्मारक या अवशेष को उतनी अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं जितना कि विशेषज्ञ । अतएव, इस सम्बन्ध में सरकार को उचित व्यवस्था करनी चाहिये ।

क्या पुरातत्व विभाग का काम केवल यहीं तक सीमित रखा जाये कि वह ऐतिहासिक या पुरातत्व सम्बन्धी स्थानों या अवशेषों की देखभाल किया करे या उसे पुरानी चीज़ों को पुराने ढंग से बनाने का भी काम दिया जाये ? इस सम्बन्ध में मुझे सोमनाथ के मन्दिर से काफी अनुभव प्राप्त हुआ है । यदि आप छानबीन करें तो आप को ऐसे व्यक्ति अब भी मिल जायेंगे जो पुरानी इमारतों को उसी रूप में बना कर खड़ा कर सकते हैं जिस रूप में वे पहले बनाई गई थीं । कोनरक तथा दक्षिण के अनेक मन्दिरों को ध्यान में रखते हुए मेरे विचार में पुराने स्थानों या अवशेषों या इमारतों को पुराने ढंग पर बनाने का काम भी पुरातत्व विभाग को ही सौंप दिया जाना चाहिये ।

द्वारका के मन्दिर की देखभाल पहले गायकवाड़ के महाराजा करवाया करते थे । परन्तु जब से बड़ौदा बम्बई राज्य में मिलाया गया है तब से उस मन्दिर की साधारण मरम्मत के लिये भी रुपया नहीं दिया जा रहा है । इस ओर मैंने केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया है ।

ये स्थान स्थापत्य कला के अच्छे नमूने होने के अलावा ऐतिहासिक महत्व भी रखते हैं । इनसे लोगों को प्रेरणा मिलती है । अतः सरकार को चाहिये कि वह इस विभाग पर और अधिक ध्यान दे । जैसा कि श्री मुकर्जी ने बतलाया सरकार इस विभाग पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दे रही है किन्तु अब अधिक समय तक ऐसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका सम्बन्ध हमारी सभ्यता तथा संस्कृति तथा साथ ही शिक्षा से भी है ।

जहां तक इस विधेयक के रूप का सम्बन्ध है मैं एक संशोधन की सूचना दे चुका हूं । मेरा अनुमान है कि "विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व वाला घोषित किया गया" इन शब्दों का अर्थ इस प्रकार नहीं लगाना चाहिये कि हम शक्ति का प्रत्यायोजन कर सकते हैं । शक्ति का प्रत्यायोजन किस प्रकार किया जाये यह तो ऐसा विषय है जिसमें इस सदन की अनुमति की आवश्यकता है ; क्योंकि हो सकता है कि अनेक अवसरों पर यह सदन कार्यपालिका को शक्ति प्रत्यायोजित करना पसन्द न करे । परन्तु यह ऐसा मामला है जिसमें शक्ति के प्रत्यायोजन से कोई हानि नहीं होगी वरन् बहुत से लाभ होंगे । एक खण्ड का छोटा सा विधेयक भी बनाना हो तो उसे अनेक मंत्रालयों से होकर जाना पड़ता है जैसे चौरासी योनि पार करने पर मनुष्य का जन्म मिलता है । छोटे से छोटे विधेयक के लिये भी सरकार को पांच हजार रुपये से कम नहीं व्यय करना पड़ता होगा जैसे छोटे से छोटे प्रश्न पर सरकार के लगभग सौ रुपये खर्च हो जाते हैं । खुदाई हो ही रही है तथा इस प्रकार के संशोधन तो हर वर्ष आवेंगे और आते ही रहेंगे । इस प्रकार तो इतिहास रचने के स्थान पर हम इतिहास का पता ही अधिक लगाते हैं । इसलिये हमें चाहिये कि इस सम्बन्ध में अपने खर्चे को कम करें और सदन का अधिक समय इस कार्य में नष्ट न करें क्योंकि कुछ ऐसी बातों के लिये सदन के समय की आवश्यकता है जो देश के जीवन तथा कार्यों से अधिक सम्बन्ध रखती हैं ।

[श्री एच० ए० मुकर्जी]

श्रीमान् जब मैं अपना संशोधन रक्खूंगा तब इसके वैधानिक पहलू पर बोलूंगा।

अनेक माननीय सदस्य खड़े हो गए—

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य को केवल दस मिनट लेना चाहिये तथा उन्हें अपने को उन्हीं स्मारकों तक सीमित रखना चाहिये जो तालिका में सम्मिल्लित हैं। और भी बहुत सी बातें हो सकती हैं जिनके सम्बन्ध में वे सामान्य रूप से कह सकते हैं।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं आया हूं उस पर मुझे गर्व है, वह ऐतिहासिक स्मारकों से भरा पड़ा है तथा जो युद्ध हमने देश के उस भाग में किये हैं उन्हीं के कारण हम जीवित हैं। दिल्ली और आगरा के ऐतिहासिक स्मारकों की तो रक्षा की जाती है परन्तु जहां तक चित्तौड़ के स्मारकों का सम्बन्ध है उनकी देख रेख का कोई भी प्रबन्ध नहीं किया गया है। १९५१ में हमने चित्तौड़ के सारे क़िले को अपने अधिकार में लिया था परन्तु अभी तक हमने वहां का कोई भी प्रबन्ध नहीं किया है यहां तक कि पवित्र स्थान भ्रष्ट किये जा रहे हैं और कोई उनकी देख भाल करने वाला नहीं है। इसका कारण यह है कि अभी तक महाराजा की ओर से उनकी देखभाल की जाती थी परन्तु अब हमारा राज्य धर्मातीत हो गया है।

श्री गाडगिल का सुझाव है कि हम इस विधि को संशोधित कर दें परन्तु मेरा अनुमान है कि यह संशोधन संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध होगा।

[**श्री पाटस्कर** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

मेरा संशोधन पिछले सत्र में भी रक्खा गया था और यह बहुत समय से सरकार के सामने है परन्तु अभी तक न तो सरकार ने इस संशोधन को स्वीकार किया ह और न माननीय मंत्री ने इस संशोधन को स्वीकार करने का सुझाव रक्खा है। पुरातत्व सम्बन्धी स्थानों तथा अवशेषों की एक तालिका दी हुई है। परिरक्षक भी वहां पर नियुक्त हैं। मैंने जो तालिका बनाई है वह, उदयपुर के परिरक्षक तथा इतिहास के एक प्रोफ़ेसर से, जो ऐतिहासिक पत्र आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं, तथा और भी कई व्यक्तियों से, परामर्श करने के पश्चात् तय्यार की है फिर भी सरकार अभी तक निश्चय नहीं कर पाई है कि वह मेरे संशोधन को स्वीकार करेगी या नहीं। यही हालत अन्य सदस्यों के संशोधनों की है। शायद माननीय मंत्रियों को इतना समय नहीं मिलता है कि वे इन स्थानों को जाकर देख सकें। मेरे माननीय मित्र श्री बलवन्त सिन्हा मेहता द्वारा भी, 'जावार' को एक प्राचीन स्मारक घोषित करने के सम्बन्ध में, एक संशोधन की सूचना दी गई है। यदि आप 'जावार' के ऐतिहासिक महत्व से रूचि नहीं रखते हैं तो भी 'जावार' एक अत्यन्त रोचक तथा मनोरम स्थान है। 'जावार' का किला संसार में अद्वितीय है। सारे भारत में तथा संसार के किसी भी भाग में आप देखेंगे कि घर मिट्टी, गारे तथा पत्थरों के बनते हैं। परन्तु 'जावार' की इस उजड़ी हुई बस्ती के सभी मकान एक प्रकार की भुरभुरी मट्टी के बने हुए हैं।

आप इन स्मारकों की रक्षा पर अड़तीस लाख व्यय करने जा रहे हैं जबकि केवल महाराना अकेले मेवाड़ में लगभग पांच लाख व्यय करते थे, राजस्थान की और रियासतों की तो कोई बात ही नहीं है। हम आपका ध्यान ऐसे स्थानों की ओर दिलाना चाहते हैं जैसे चित्तौड़, बिहोलिया, मेनसरोगढ़ जहां मुग़लों के साथ किये जाने वाले सारे ही युद्ध किये गये हैं वहां के यह सारे स्मारक

वीरान पड़े हैं तथा कोई भी उनकी देख रेख करने वाला नहीं है। छै वर्ष हुए हमने स्वतन्त्रता प्राप्त की थी। संघ सरकार ने तीन वर्ष हुए इन रियासतों का शासन अपने हाथ में लिया था। मेरी प्रार्थना है कि केवल राजस्थान के स्मारकों की रक्षा के लिये आगामी वर्ष के आयव्ययक में कम से कम पचास लाख रुपये का उपबन्ध किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपना व्याख्यान समाप्त करता हूं।

श्री भागवत झा (पूर्निया व सन्थाल परगना) : इस विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के देखने से पता लगता है कि इसकी तालिका में राष्ट्रीय तथा ऐतिहासिक महत्व के कुछ स्थान सम्मिलित करने के लिये यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया है। परन्तु तालिका को देखने से जान पड़ता है कि इस तालिका में अनेक स्थान छूट गये हैं परन्तु, उनमें सबसे प्रमुख विक्रमशील विश्वविद्यालय है। मैं जिस स्थान से आया हूं उससे कुछ ही मील के फासले पर यह स्मारक स्थित है।

इस विश्व विद्यालय के सम्बन्ध में एक प्रश्न इस सदन में पूछा गया था और सरकार की ओर से उत्तर दिया गया था कि पुरातत्व विभाग द्वारा उसकी रक्षा की जा रही है। जिन क्षेत्रों में विक्रमशील विश्व विद्यालय स्थित था उनमें सबसे महत्व पूर्ण स्थान बटेश्वर पर्वत की चोटी है। कितने बड़े बड़े इतिहासकार निर्णय कर चुके हैं कि विक्रमशील विश्व-विद्यालय का क्षेत्र केवल बटेश्वर पर्वत के आसपास वाले क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था वरन् उसका सबसे प्रमुख स्थान बटेश्वर पर्वत की चोटी है। वे केवल बटेश्वर पर्वत के तीन सौ फ़ीट तक ऊंचाई के क्षेत्रों की रक्षा कर रहे हैं। परन्तु उसकी चोटी की कोई रक्षा नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है विश्वविद्या-लय का स्थान इसी स्थान तक सीमित है, इसके आगे नहीं है।

इसी बीच नहीं मालूम, क्या बात हुई और बंगाल की एक कम्पनी पर्वत की चोटी पर खुदाई करने के लिये आ गई। इसको रोकने के लिये एक समिति बनाई गई तथा कितने ही आदमियों पर १४४ धारा आरोपित की गई हमने घर घर से पैसा इकट्ठा करके इसका सामना किया और न मालूम कितना आन्दोलन किया तब जाकर इसकी खुदाई रुकी। एक बार फिर उन्होंने खुदाई आरम्भ कर दी। सरकार के पास हार्डिंग, इरविन, महारानी विक्टोरिया के स्मारकों की रक्षा करने के लिये धन है जो उन क्रूर काण्डों तथा अत्याचारों के प्रतीक हैं जो स्वतन्त्रता के युद्ध में हमारे देशवासियों पर किये गये थे। क्या यह तथ्य नहीं है कि पुरातत्व विभाग पटना के सुपरि-टेण्डेण्ट, श्री कृष्णदेव, जिन्होंने इसकी खुदाई करवाई हैं, उनके प्रतिवेदन से इन अवशेषों की प्राचीनता प्रमाणित होती है और यह पता चलता है कि बटेश्वर पर्वत की चोटी की रचना 'पाल' युग की है; यह कि यह चोटी बहुत बड़े स्तम्भ का अवशेष है, यह कि खुदाई से निकलने वाले एक कमरे में भाले का एक फल मिला था तथा उत्तर भारतीय भूरे रंग के ऐसे बरतन मिले थे जिनसे प्रमाणित होता है कि यह अवशेष ईसा से पूर्व के हैं?

इन अवशेषों के सम्बन्ध में अनेक मत हैं। कुछ का कहना है कि यह अवशेष 'पाल' युग के हैं। कुछ कहते हैं कि यह 'सेन' युग के है तथा कुछ कहते हैं कि यह अवशेष ईसा के बाद के हैं परन्तु सबसे महत्वपूर्ण तथा निश्चित मत यह है कि यह अवशेष विक्रमशील विश्व-विद्यालय के हैं। परन्तु इस सबकी अवहेलना कर के कह दिया गया कि यह सब यहां पर निवास करने वाले 'हावर्ड' नाम के एक अंग्रेज के नौकर के क्वार्टर थे।

मेरे कथन की पुष्टि प्रख्यात इतिहासकार श्री मजूमदार तथा उस समय के राज्यपाल श्री अणे द्वारा होती है।

[श्री भागवत झा]

इन तथ्यों से यह बात स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है, जैसा कि मेरे संशोधन में कहा गया है, कि बटेश्वर पर्वत की चोटी विक्रमशील विश्वविद्यालय में सम्मिलित की जानी चाहिये।

उस सम्बन्ध में भारत सरकार के साथ जो हमारा पत्र व्यवहार हुआ था उसका परिमाण बहुत अधिक है। एक दफे तो उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया। आगे चल कर फिर उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार करने से इंकार कर दिया। माननीय मंत्री से मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यदि आप राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की तालिका में कुछ स्थान बढ़ाने जा रहे हैं तो कृपा कर के इस विक्रमशील विश्वविद्यालय को भी बढ़ा लीजिये जिसको हमारे सरकारी अधिकारी इतने तिरस्कार तथा अवहेलना की दृष्टि से देखते रहे हैं।

मुझे आशा है कि इस पर भी विचार किया जायगा।

डा० राम सुभग सिंह (शाहाबाद--दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में.....

सभापति महोदय : क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूं ? कितने ही माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, तथा लगभग सारे देश में पुरातत्व सम्बन्धी स्मारक स्थित हैं। अतः यदि प्रत्येक सदस्य अपनी ही बात तक सीमित रहे तो अच्छा है।

डा० राम सुभग सिंह : मुझे इस बिल के बारे में केवल दो चीजें कहनी हैं। पहली चीज़ यह है कि जिन महाशय ने इस बिल को तैयार किया है, हालांकि यह बिल अप्रैल के महीने में पेश हुआ था लेकिन आज तक उन को नहीं मालूम कि इस में ऐतिहासिक गलतियां हैं या नहीं, और जिस उद्देश्य से यह बिल पेश किया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति होती है या नहीं।

दूसरी चीज़ यह है कि इस डिपार्टमेंट की ओर से जिन स्मारकों को संरक्षण में लिया गया है उनकी अच्छी तरह से रक्षा नहीं की जाती। इस के सबूत में मुझे एक चीज़ कहनी है। पहली चीज़ यह है कि एक प्रश्न के जवाब में इसी साल १६ सितम्बर को मौलाना आजाद साहब ने कहा था कि रोहतास किले में हरिश्चन्द्र और रोहतासन मन्दिरों की मूर्तियां १९४८ में तोड़ दी गयी थीं हालांकि दोनों मन्दिर सरकारी संरक्षण में थे। उनके लिये उन्होंने कहा था कि वे मूर्तियां ऐतिहासिक महत्व की नहीं हैं और इसलिये उन की मरम्मत करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस विभाग में इतिहास पढ़ने के योग्य ज्ञान है या नहीं जो कि वह समझ सकें कि हमारे यहां हरिश्चन्द्र और रोहित का कोई ऐतिहासिक महत्व था या नहीं। फिर एक ही दो महीने के बाद २६ अक्तूबर को जब बहुत प्रेस किया गया वहां के लोगों की ओर से तब फिर उन्हों ने बयान दिया। पहले उन्हों ने यह कहा था :

> "मूर्तियां १९४८ में खंडित कर दी गई थीं। ये मूर्तियां बहुत प्राचीन नहीं थीं और न इन में कोई कलात्मक गुण थे।"

लेकिन २६ अक्तूबर को उन्हों ने यह कहा :

> ".....कथित मन्दिरों की रक्षा की जाती है तथा वे अच्छी हालत में हैं। रोहतासन स्थित "शिव लिंगम्" का अरघा टूटा हुआ है तथा चालू वर्ष में उसकी

मरम्मत करने का विचार है परन्तु हरिश्चन्द्र मन्दिर की टूटी हुई भगवत मूर्त्ति की मरम्मत का कोई प्रश्न नहीं उठता है।"

इस से मैं समझता हूं कि इस तरह की कंट्रेडिक्टरी बातें कम से कम शिक्षा विभाग की ओर से नहीं कही जानी चाहियें। शिक्षा का ठेकेदार होने के नाते इस विभाग को ऐतिहासिक चीज़ों को समझना चाहिये। इसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दोनों मन्दिरों की मूर्त्तियों को तुड़वाने की जवाबदेही इस गवर्नमेन्ट की है क्योंकि १९४८ में यही गवर्नमेन्ट थी और इसी गवर्नमेन्ट के संरक्षण में दोनों मन्दिर थे और उन्हों ने खुद ही माना था १६ सितम्बर को कि उन दोनों मन्दिरों की मूर्त्तियां तोड़ दीं गई हैं। उन दोनों की उन को मरम्मत करानी चाहिये और भली भांति रखना चाहिये।

इस विभाग की दूसरी गल्ती आरा हाउस के बारे में है। इस बिल के शुरू में ही पहले नम्बर पर आरा हाउस को रखा गया है। यह लोग हिस्ट्री आफ दि फ्रीडम मूवमेन्ट लिख रहे हैं लेकिन उन को पता नहीं है कि सन् १८५७ में जब स्वतन्त्रता संग्राम छिड़ा था उस समय उस में किन किन लोगों ने भाग लिया था और उनका मददगार कौन था। इस विभाग के लोगों को इतिहास पढ़ लेना चाहिये। आरा हाउस वह स्थान है जहां उन अंगरेजों की कब्र हैं जो कि उस लड़ाई में मारे गये थे और उस आरा हाउस को इस गवर्नमेन्ट ने नेशनल मानुमेन्ट बना कर पहला स्थान दिया है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इन अंग्रेजों को मारा, उसकी कोठी और दूसरी जो चीज़ें हैं, उस का हाता, उस का मन्दिर जो उस ज़माने में तोड़ दिया गया था, उनका कोई पता नहीं कि क्या हुआ।

५ म० प०

सब से अधिक आश्चय मुझे इस बात का होता है कि अप्रैल में जो अमेंडमेन्ट दिया गया आज नवम्बर हो गया लेकिन इस डिपार्टमेंट को यह पता नहीं है कि उस का क्या हुआ। न इन लोगों ने कोई इन्क्वायरी कराई और अगर इन्क्वायरी कराई भी हो तो उसका कोई नतीज़ा नहीं मालूम होता। जो इस सरकार का रवैया है उसे देख कर मैं कहता हूं कि यह सरकार अपने उद्देश्य को अच्छी तरह से समझ ले और जिस उद्देश्य को लेकर चलती है उसे भली भांति पूरा करे। अभी आज जो चीज़ हमको सरकुलेट की गयी है उस में एक जुमा मास्क को राष्ट्रीय स्मारकों में शामिल कर लिया गया है। उस के बारे में लिखा है :

"ऊपर फारसी का लेख लगा दिया गया था तथा नमाज़ पढ़ने वाले बड़े कमरे के सामने की दीवार के बीचों बीच में लिखा हुआ है कि यह सम्राट अकबर के शासन काल में मकसूस द्वारा बनवाई गई थी तथा यह अकबर के युग की एक सुन्दर तथा मजबूत कृति है।"

श्री गाडगिल : उचित है तो रखें।

डा० राम सुभग सिंह : ज़रूर रखें उस को। पर मकसूस से तो हरिश्चन्द्र ज्यादा ऐतिहासिक है। इन को चाहिये कि सोच समझ कर, ज़रा दिमाग लगा कर इतिहास पढ़ें, जब इन चीज़ों की तैयारी करें तो लोग सोयें नहीं। जो महत्व की चीज़ें हों उनको रखें। जैसा कि गाडगिल साहब ने कहा, सब चीज़ों को संरक्षण में नहीं लिया जा सकता। यह ठीक है, लेकिन जो ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें हैं उन को अवश्य लीजिये। अगर हरिश्चन्द्र और रोहित ऐतिहासिक महत्व के नहीं थे

[डा० राम सुभग सिंह]

तो उन को हटा दीजिये । लेकिन यह मक़सूस साहब कौन हैं, इन्हों ने क्या किया था । मेरी भी कुछ इतिहास की जानकारी है । मालवीय साहब बतलायें कि यह मक़सूस साहब कौन थे और इन्हों ने क्या किया था । इन्हें कुंवर सिंह की जानकारी थी या नहीं ? कुंवर सिंह ने बनारस में जाकर लड़ाई लड़ी थी, आजमगढ़ में लड़ी थी, रीवा में लड़ी थी, और सारे बिहार में लड़ी थी । जिस तरह से इस तरफ झांसी की रानी और तांतिया टोपी का नाम प्रसिद्ध है उसी तरह हमारे यहां उनके नाम की पूजा होती है । लेकिन इस सरकार को उस इतिहास का पता नहीं है । पता नहीं कि किस दिमाग से यह लोग स्वतन्त्रता संग्राम की किताब को लिखेंगे जिसको कि यह लिखने जा रहे हैं । इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि आरा हाउस को, जिस को कि यह नेशनल इंपारटेंस का मानूमेंट बनाने जा रहे हैं उसको तो बनावें या जहन्नुम में जाने दें, लेकिन जिनकी बदौलत वे कब्रें बनीं, आरा हाउस बना, यानी जिन्होंने सन् १८५७ के स्वतन्त्रता संग्राम को शुरू किया, जिसके फलस्वरूप आज हम स्वतंत्र हैं और आज एक एक विभाग में दो दो और चार चार मंत्री हो गये हैं, ऐसे लोगों के महत्व को माने और सोच समझ कर के काम करें । अभी बटेश्वर हिल टाप के बारे में कहा गया । जगदीशपुर में जो कुंवर सिंह का अहाता है और उसका जो मन्दिर तुड़वा दिया गया था उसको रेस्टोर करें । जैसा वह था वैसा ही रेस्टोर करें, नया न बनावें । कम से कम उस स्थान को दे दें और जिन गद्दार लोगों को उनकी प्रापर्टी दे दी गयी है उसको वापस दिलवाया जाय । मगर कहा जाता है कि उनके नाम में कोई प्रापर्टी ही नहीं थी । प्रापर्टी कहां से हो । सन् ५७ में लड़ाई हुई । उन्होंने अंग्रेजों को मारा, प्राविंस के बहुत से स्थानों पर और बाहर भी दखल किया, बहुत से दुश्मनों को मारा और अन्त में स्वयं भी मरे । उसके बाद उनकी सारी प्रापर्टी जब्त हो गयी । उनके घर में अंग्रेज लोग रहते थे । सरकारी रिपोर्ट आती है कि उनके नाम से कोई चीज़ नहीं है । यह कैसी अक्ल की बात है कि जो आदमी इतना बड़ा जबरदस्त विद्रोह या यों कहें कि स्वातन्त्र्य संग्राम खड़ा करे उस आदमी की प्रापर्टी उसके नाम में हो और उसका घर उसके नाम में हो । आप रिपोर्ट की ऊल जलूल बातें न लिया करें और ईमानदारी से काम करें ।

तीसरी चीज़ है बटेश्वर हिल टाप की ।

श्री के० डी० मालवीय : सभापति जी ; मैं आपकी इजाज़त से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग न किया जाय जो कि बिल्कुल अनपार्लियामेंटरी हों । अगर थोड़े बहुत अनपार्लियामेंटरी हों तब तो इस्तैमाल किये जा सकते हैं ।

सभापति महोदय : मैं हिन्दी अच्छी तरह नहीं समझता ।

डा० राम सुभग सिंह : अगर आप बहुत विद्वान हैं तो बतलाइये कि कौन शब्द अनपार्लियामेंटरी है । मैं मिनिस्टर साहब की इसी में जांच करता हूं । इसी तरह से यह बिल भी तैयार किया गया है । जो अनपार्लियामेंटरी शब्द है उसको आप पाइंट आउट करें । मैं उसको हटाने के लिए तैयार हूं ।

श्री के० डी० मालवीय : ऊल जलूल, बेईमान ।

डा० राम सुभग सिंह : यह अनपार्लियामेंटरी नहीं हैं । मैं ने "बेईमान" का नहीं "ईमानदारी" का प्रयोग किया है । ज़रा फिर से स्टडी करें ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य जो कुछ कहना चाहते ह, कहें ।

डा० राम सुभग सिंह :रोहतास किले के हरिश्चन्द्र के मन्दिर की और रोहतास के मन्दिर की मूर्त्तियां मरम्मत करावें जो कि उनके ज़माने में तोड़े गये हैं। कुंवर सिंह की कोठी, अहाते और मन्दिर को नेशनल इंपारटेंस का मानूमेंट डिक्लेअर करें। बटेश्वर हिल टाप की आप रक्षा करें जहां पर कि बंगाल कम्पनी पाटरी बना रही है और उस को नेशनल मानूमेंट डिक्लेअर करें। नालन्दा वगैरह को तो छोड़ ही दिया गया है।

दूसरी चीज़ यह है कि इस डिपार्टमेंट को हर चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं जैसा कि आरा हाउस पर दिया गया है। कुशीनगर बुद्ध धर्म का इतने महत्व का स्थान है कि वहां पर चीन जापान तक से यात्री आते हैं। लेकिन वहां पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। ऐसे स्थानों पर लिखकर लगवा देना चाहिए कि यह स्थान क्यों महत्व रखते हैं ताकि जो कोई आवे उसको जानकारी हो सके।

इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय जी हमारी मांग को मंजूर करें।

सभापति महोदय : जहां तक इस विधेयक के सिद्धान्त का प्रश्न है उस के सम्बन्ध में मतैक्य है अब प्रश्न केवल यही रह जाता है कि किन स्मारकों की रक्षा की जाय। मेरा विचार है सदस्य-गण कम समय लें और केवल उन्हीं स्मारकों के सम्बंध में कहें जिनकी वे रक्षा कराना चाहते हैं तो अच्छा हो। इस से वाद-विवाद में समय भी कम लगेगा तथा उन का उद्देश्य भी पूरा हो जायेगा।

श्री डी० सी० शर्मा : इस सदन में कहा गया है कि यह विधेयक तो एक चलतू विधेयक है और यह भी कहा गया है कि सदन का समय इस प्रकार के विधेयकों पर नष्ट नहीं करना चाहिये तथा उस का उपयोग ऐसे कार्यों के लिये करना चाहिये जिन की अत्यधिक आवश्यकता है तथा जो हमारे दैनिक जीवन के लिये अधिक मूल्यवान हैं। मुझे खद है कि मैं इन दोनों ही बातों से असहमत हूं।

सिस्टर निवेदिता ने एक बार कहा था कि इस देश का इतिहास अभी तक नायकों को लेकर ही लिखा गया है। मेरा विचार है कि ऐसे अवसर पर हमें अपने देश के इतिहास के रंग मंच की नायिकाओं को नहीं भूल जाना चाहिये। तो सिस्टर निवेदिता का कहना था कि यदि इस प्राचीन देश के स्मारकों को लेकर इस देश का इतिहास लिखा जाय तो इस देश के इतिहास लिखने का एक बहुत ही सुन्दर ढंग निकल आयेगा। जब मैं इस विधेयक पर विचार करता हूं तो मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हम स्मारकों के द्वारा इस देश का इतिहास लिखने के लिये ही धीरे धीरे सामग्री एकत्रित कर रहे हैं।

मैं समाचार पत्रों में पढ़ता हूं कि हमारे कुटीर उद्योगों की योजना बनाने के लिये कुछ व्यक्ति आ रहे हैं। मुझे प्रसन्नता होती है क्योंकि कुटीर उद्योगों का उत्थान बहुत बड़े सार्वजनिक महत्व का विषय है। परन्तु मेरा विचार है कि पुरातत्व विज्ञान के सम्बन्ध में, इन प्राचीन स्थानों तथा स्मारकों के सम्बन्ध में तथा इन अवशेषों के सम्बन्ध में भी एक योजना होनी चाहिये। पुरातत्व विज्ञान के महत्व को पहचाने बिना कोई देश उन्नति नहीं कर सकता है। जब मैं प्राचीन स्मारकों को देखता हूं तो मुझे केवल उन दिनों ही की याद नहीं आती है जब इन स्मारकों का निर्माण किया गया था वरन् उन विचारों की भी याद आती है, जो इनका निर्माण करते समय इन स्मारकों को खड़ा करने वालों के मस्तिष्क में थे। प्राचीन स्मारक केवल अतीत की स्मृति का ही द्योतक नहीं होता है वरन् वह निर्माताओं के महान स्वप्न का भी परिचायक है, जिस को हम इन स्मारकों को देख कर ही भविष्य में पहुंच सकते हैं।

[श्री डी० सी० शर्मा]

अतः पुरातत्व विभाग का कार्य केवल बीती हुई तथा विस्मृत बातों की टूटी हुई तथा नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तथा ऐसे स्थानों की केवल याद कराना भर नहीं है जिन में कुछ टूट फूट तथा मरम्मत करने की आवश्यकता हो; वरन् उस का कार्य यह भी है कि हमें उन के वैभव की कल्पना करने में सहायता दे जिसे हम भविष्य में पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिये मेरा कहना है कि इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि हमें पुरातत्व विज्ञान के महत्व को समझने में सहायता करे। मेरा सुझाव यह है कि शिक्षा मंत्रालय को चाहिये कि वह यह कार्य हमारे प्रजातंत्रात्मक जीवन के प्रत्येक स्तर पर करे—पंचायतों में, नागरिक जीवन में, राज्यों के पैमाने पर तथा राष्ट्रीय पैमाने पर। यदि ऐसा न किया गया तो मुझे भय है कि हम अपनी विरासत का एक अत्यन्त अमूल्य भाग खो देंगे।

मैं इस मंत्रालय से पूछना चाहता हूं कि जहां तक पुरातत्व विज्ञान का सम्बन्ध है, उन्हों ने अभी तक इस सम्बन्ध में जनता को शिक्षा देने के कौन से उपाय किये हैं।

बाबू रामनारायण सिंह (हज़ारीबाग़ पश्चिम) : कुछ नहीं।

श्री डी० सी० शर्मा : हमारे देश में पुरातत्व सम्बन्धी थोड़ा बहुत जो कार्य हुआ है, वह किसी न किसी व्यक्ति द्वारा संयोगवश ही हुआ है, और इस के पीछे कोई निश्चित योजना दिखाई नहीं पड़ती। अनुसन्धान कार्य नहीं हुआ, और न ही कोई पत्रिका आदि छपवाई गई है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को अनुसन्धान के लिये छात्रवृत्तियां नहीं दी गईं, और न ही किसी प्रवीण ऐतिहासज्ञ की सेवाएं प्राप्त की गई हैं। इस विषय को कोई विशेष मान्यता नहीं दी गई, इसलिये इस पर हमें विचार करना चाहिये, ताकि जनता अपने अतीत गौरव को जान सके।

आजाद साहिब ने अपने प्रान्त के इतिहास के सम्बन्ध में कई पुस्तकें निकाल कर अपने प्रान्त की सेवा की है, और इसी प्रकार अन्य लोगों ने भी अपने अपने राज्यों के इतिहास की ओर ध्यान दिया है। मैं भी पंजाब के सम्बन्ध में कहूंगा कि इस का इतिहास शेष सब प्रान्तों से पुराना है, और हजारों वर्ष पुराना इसका इतिहास है।

डा० राम सुभग सिंह : आसाम भी तो?

श्री डी० सी० शर्मा : निस्सन्देह आसाम भी है। लाहौर में एक बहुत बड़ा और अच्छा अद्भुतालय था, जो पंजाब तथा भारत के इतिहास पर अच्छा प्रकाश डालता था। परन्तु विभाजन के पश्चात वह पाकिस्तान में रह गया। अब सुना है कि चण्डीगढ़ में अद्भुतालय बनाया जाएगा। इसके बिना कोई भी राज्य ऐसा होता है, जैसा सिगनल या प्लेटफार्म के बिना रेल का स्टेशन।

हमारे राज्य म अब कोई अद्भुतालय नहीं है। यह होटलों की तरह नहीं बन जाते। इन के निर्माण में वर्षों का प्रयत्न अनिवार्य है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से अच्छा न होते हुए भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभी वहां मैं ने सुजानपुर में एक ऐतिहासिक मन्दिर देखा, जिस में शिल्प कला, मूर्ति कला और चित्रकला के अति भव्य नमूने थे। मैं जहां कहीं भी जाता हूं, वहीं पर किले और पुराने मकान तथा अन्य पुरानी चीज़ें देखता हूं। परन्तु हम उन के लिए कुछ नहीं कर पाते। स्थानीय लोग वहां से ईंटें आदि उखाड़ कर अपने उपयोग में ले आयेंग, और कुछ समय पश्चात् वहां कुछ भी नहीं रहेगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सिखों, राजपूतों, गोरखों, मुगलों तथा आर्यों के शासन काल के चिह्न वर्तमान हैं'।

डा० पी० एस० देशमुख : वहां मरहठा शासन ने भी अपने चिह्न छोड़े हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : मरहठा शासन के चिह्न भी हैं । मेरा निवेदन यह है कि वहां अनेक स्थान ऐसे हैं, जहां बहुत पुराने समय के अवशेष हैं । वहां एक स्थान हरिपुर है, जो किसी समय छोटे स्तर का हरिद्वार समझा जाता था । कुरुक्षेत्र महाभारत की याद दिलाता है । हम ने इन स्थानों के लिये कुछ नहीं किया ।

इस उद्देश्य के लिये शिक्षा मंत्रालय को चाहिये कि वह भारत के समस्त विश्वविद्यालयों को अनुसन्धान कार्य के लिये सहायता दें, और उन से उन के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले एतिहासिक ज्ञात तथा अज्ञात स्थानों की गवेषणा करने के लियें कहा जाय । अतीत काल के स्थानों के अतिरिक्त ऐसे स्थान भी वर्तमान हैं, जहां हम ने स्वतंत्रता के लिये युद्ध किया है, और जहां ऐसे कारनामे भी किये गये हैं जिन का देश के भाग्य पर भारी प्रभाव पड़ा है । मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्य को दैनिक कार्य की तरह समझा जाता है, परन्तु इसे उत्साह के साथ करना चाहिए ।

बहुत सी वस्तुएं जो हमारे अतीत की याद दिलाती हैं, पाकिस्तान में रह गई हैं, इसी प्रकार उन की वस्तुएं यहां रह गई हैं । सरकार को उन के साथ यह करार करना चाहिए कि वे हमारे इतिहास से सम्बन्धित स्मारकों को सुरक्षित रखें, और हम उन के स्मारकों की रक्षा करें । यदि हमारे अतीत का दिग्दर्शन कराने वाले तथ्यों का उपबन्ध करने के लिये विधेयक प्रस्तुत नहीं होते, और केवल विवरण पत्र ही रखे जाते हैं तो मैं कह सकता हूं कि यह सदन के इतिहास में एक दुःखद घटना है । अतः मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार के विधेयक प्रति वर्ष सदन में प्रस्तुत होने चाहियें, ताकि हम किये गये कार्य का निरीक्षण कर सकें, और प्रगति की ओर बढ़ सकें ।

सभापति महोदय : ये मान्य सिद्धान्त हैं, और वर्तमान विधेयक कुछ स्मारकों को सम्मिलित करने के विषय में है । अतः माननीय सदस्य से व्यापक प्रकार की बातों को यथा-संभव टालने का प्रयत्न करने के लिये कहूंगा ।

श्री वी० बी० गांधी (बम्बई नगर—उत्तर) : मैं विशेष ऐतिहासिक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्मारकों के सम्बन्ध में नहीं, अपितु इन स्मारकों और अवशेषों के प्रश्न पर कुछ सामान्य बातें कहना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : यह विधेयक का विषय नहीं है, अतः मैं उन से कहूंगा कि यदि वे इसे टाल सकें तो उत्तम होगा ।

श्री वी० बी० गांधी : यह विधेयक स्मारकों की सूची में अधिक स्थानों को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में है । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कार्य को कहां तक करना और कहां तक न करना चाहिये ।

सभापति महोदय : उस सीमा तक ठीक है ।

श्री वी० बी० गांधी : अब तक दिये गये सब भाषण श्री गाडगिल के भाषण को छोड़ कर रक्षित स्मारकों की सूची में वृद्धि करने के पक्ष में थे । यह सराहनीय इच्छा है । हम अपने पूर्वजों की पूजा करने के लिये प्रसिद्ध हैं । हमने प्रारम्भ में पर्वतों, नदियों, मन्दिरों और मस्जिदों की पूजा की । इस देश में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं, जिन की रक्षा की जानी चाहिए । संसार में और कोई देश नहीं जहां इतनी संस्कृतियां, इतनी जातियां और धर्म पनपे हों । इस कारण हमारे देश में रक्षा योग्य बहुत वस्तुएं वर्तमान हैं । परन्तु हमें भूत के साथ वर्तमान और भविष्य की ओर भी दृष्टि-पात करना चाहिये । हमारे ऐतिहासिक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्मारकों और अवशेषों की

[श्री वी० बी० गांधी]

हमारे घर से तुलना करनी चाहिये। घर में चाहे कितने भी बहुमूल्य पदार्थ हों, परन्तु हम अपनी आवश्यकतानुसार घर की व्यवस्था करते हैं, न कि पदार्थों के अनुसार घर में अपनी आवश्यकताओं को ढालते हैं। यही स्थिति स्मारकों की है; उन की रक्षा भी हमें अपनी वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप करनी चाहिये। यदि हम स्मारकों की सूची बनाते जायं, तो यह कभी समाप्त नहीं होगी। हमें कुछ कार्य राज्यों को सौंप देना चाहिये। इसके अतिरिक्त यदि जनता इन स्मारकों और अवशेषों की रक्षा के लिये इतनी इच्छुक है, तो उसे इनकी रक्षा के लिये धन एकत्रित करके इन का सुयोग्य प्रबन्ध करना चाहिये, तभी उन की वास्तविक इच्छा का परीक्षण हो सकता है।

सभापति महोदय : इनके रक्षण का सिद्धान्त १९०४ के अधिनियम में दिया गया है। यहां प्रश्न केवल यही है कि किन स्मारकों को सम्मिलित किया जाये।

श्री वी० बी० गांधी : कर दाता के त्याग और केन्द्रीय सरकार का रुपया केवल विशेष चुने हुए स्मारकों पर ही होना चाहिये। कुछ आधार और स्तर निश्चित किये जाने चाहियें, तथा स्मारकों का वर्गीकरण समय और प्रकार के अनुसार किया जाना चाहिये। इन में से पुरातत्व प्रकार के मन्दिरों और मस्जिदों का रक्षण केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये। परन्तु ये स्मारक एक राज्य में न हो कर, समस्त भारत में बिखरे हुए होने चाहियें। ये स्मारक साधारण न हो कर अपने समय का प्रतिनिधान करने वाले हों। इसके अतिरिक्त शेष स्मारकों का रक्षण राज्यों पर छोड़ देना चाहिये, तथा अवशिष्ट स्मारकों का संरक्षण धनी और इस प्रकार का शौक रखने वाली जनता पर छोड़ देना चाहिये।

इस विषय में पर्यटकों का भी विचार किया जाता है। पुराने ढंग के पर्यटक भी हैं जो पुराने किलों आदि को देखने आते हैं, परन्तु नवीन ढंग के पर्यटकों की संख्या अधिक है, जो नदी घाटी परियोजनाओं और कालेजों, विश्वविद्यालयों आदि को देखने आते हैं।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि आप अपने विचार प्रकट कर चुके हैं।

श्री वी० बी० गांधी : मैं श्री गाडगिल के प्रस्ताव से सहमत हूं कि इस प्रकार के विधेयक प्रस्तुत कर संसद् का समय नष्ट नहीं किया जाना चाहिये। सरकार को सूची में वृद्धि करने का अधिकार होना चाहिये। मेरा सुझाव यह है कि विद्वानों, इतिहासज्ञों, राज्यों के प्रतिनिधियों और अजायबघरों के संचालकों तथा वित्त मंत्रालय के एक प्रतिनिधि को लेकर एक आयोग बनाया जाय, जो इस मामले की जांच करने के पश्चात् उचित कार्यवाही करने के लिये प्राधिकृत हो।

श्री आर० एन० एस० देव (कालाहांडी-बोलनगिर) : इस्पात यन्त्र पर उन की टिप्पणी को छोड़ कर मैं श्री हीरेन मुकर्जी से सहमत हूं। माननीय उपमंत्री ने इस विधेयक को दैनिक कार्यवाही का अंग बनाया। यही मनोवृत्ति इस बात के लिये उत्तरदायी है कि इस प्रश्न का कोई ठीक हल नहीं हो सका। शिक्षा मंत्रालय विलीन हुए राज्यों को पूर्णतया भूल गया है। अन्यथा किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति न होती। भारतीय रियासतें जनवरी १९४८ से कुछ भाग क राज्यों में विलीन हुई थीं, परन्तु यह विधेयक राज्य परिषद् में पिछले अप्रैल में प्रस्तुत किया गया, तथा रियासतों को बिल्कुल ही छोड़ दिया गया। संशोधनों के परिणाम स्वरूप केवल उड़ीसा की रियासतों को इस म सम्मिलित किया गया है।

शिक्षा मंत्रालय की १९४९–५० की रिपोर्ट में पहिली बार कहा गया था :

"राज्यों के विलीन होने के कारण विभाग में बहुत परिवर्तन हो गया है। राष्ट्रीय महत्व के पुरातत्व सम्बन्धी स्मारकों का नियंत्रण केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, और इन का परिरक्षण केन्द्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाएगा।"

परन्तु मैं पूछता हूं कि वास्तव में किया क्या गया है ? सरदार पटेल ने कहा था कि रियासतों के विलीन होने से पूर्व खेल-क्रीड़ा को नरेशों का समर्थन प्राप्त था, परन्तु अब केन्द्रीय सरकार को खेलों में अवनति नहीं होने देनी चाहिये। यही सिद्धान्त कला सम्बन्धी तथा सांस्कृतिक कार्यों पर लागू होता है। मुझे प्रसन्नता है कि केन्द्रीय सरकार ने अपने उत्तरदायित्व को अनुभव किया है। परन्तु उन राज्यों के पुरातत्व विभागों के सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है। उड़ीसा की रियासतों में कई पुरातत्व विभाग थे : मयूरभंज में अत्यन्त भव्य पुरातत्व विभाग था, जो खिचिंग मन्दिर का, जो इस विधेयक में सम्मिलि कर लिया गया है, तथा अन्य मन्दिरों का रक्षण करता था। इसी प्रकार पटना रियासत में तथा कालाहांडी रियासत में भी पुरातत्व विभाग थे, परन्तु इन विभागों को कायम रखने तथा स्मारकों के रक्षण के लिऐ कुछ नहीं किया गया है। इन रियासतों के पास इतने कम साधन थे तो भी वे इन स्मारकों का रक्षण करती थीं।

विलीन होने से पहले उड़ीसा की रियासतों ने कलिंग ऐतिहासिक अनुसन्धान समाज स्थापित किया था, जिसे अनुदान मिलता था, तथा जो एक उच्च कोटी की पत्रिकाएं प्रकाशित करता था। परन्तु विलय के पश्चात ये सभी अनुदान बन्द कर दिये गये हैं, तथा इस का पुस्तकालय तथा पत्रादि एक क्लर्क के नियंत्रण में हैं, जिसे अभी तक वेतन भी नहीं दिया गया। उड़ीसा सरकार को इसे अपने हाथ में लेना चाहिये, पर अभीऐसा नहीं किया गया।

[**श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुईं]

इस लिये मैं ने अपने संशोधन में कहा है कि राजाओं द्वारा घोषित किये गये रक्षित स्मारकों को भी इस में सम्मिलित करना चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। इसलिये अब इन का रक्षण किया जाना चाहिये, क्योंकि इन में से कई स्मारक राष्ट्रीय महत्व के हैं, और रक्षण के बिना वे नष्ट हो रहे हैं। यदि हम भारत के विभिन्न प्रदेशों का इतिहास निर्माण करना चाहते हैं तो इन स्मारकों का रक्षण अति आवश्यक है। भूतकाल की इंजीनियरी, वस्तुकला, मूर्तिकला आदि का अध्ययन करने के लिये भी इन का रक्षण अनिवार्य है। भुवनेश्वर और कोणार्क के अद्भुत स्मारक हैं जो केसरी वंश से सम्बन्धित हैं, जिनका रक्षण उस समय के इतिहास तथा समाज की स्थिति की जानकारी के लिये परमावश्यक है। वीरा घाट का चौसठ योगिनी मन्दिर तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है ही, हरिपुर में एक और नमूना भी मिला है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य के दो मिनट और शेष हैं।

श्री आर० एन० एस० देव : मेरे निर्वाचन क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिये मैं अधिक समय की याचना करता हूं।

वीरा घाट के चौसठ योगिनी मन्दिर के अतिरिक्त भुनवनेश्वर के पास दूसरा नमूना भी मिला है, जिसे इस सूची में शामिल किया गया है। भूतपूर्व पटना रियासत में रानीपुर झड़ियाल में एक और मन्दिर था जिस का रक्षण पटना रियासत करती थी। उसे भी

[श्री आर० एन० एस० देव]

सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिये। यदि कोशल गुप्तों की कला, मूर्तिकला तथा इंजीनीयरी आदि का अध्ययन करना हो, तो विभिन्न कालों की उन की इमारतों का तुलनात्मक अध्ययन अनिवार्य है।

जब्बलपुर वीरा घाट मन्दिर सब से पुराना है। उस के बाद रानीपुर झड़ियाल का तथा हरिपुर का नम्बर आता है। हरीपुर में मिलने वाली मूर्त्तियों से ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह बहुत पुराना मन्दिर है, क्योंकि इन की कला रानीपुर के मन्दिर की कला से उत्तम है।

[**श्री पाटस्कर** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

इसी प्रकार मध्य प्रदेश में ही नहीं वरन् भूतपूर्व उड़ीसा आदि में भी कुछ ऐसे मन्दिर हैं जिन का स्थापत्य तथा कलात्मक दृष्टि से परिरक्षण आवश्यक है। इसी प्रकार वैद्यनाथ का मन्दिर भी है जिसका तुलनात्मक दृष्टि से परिरक्षण होना चाहिये।

मंत्रालय ने रानीपुर झड़ियाल का ईंटों का मन्दिर भी उसी सूची में सम्मिलित करने के लिये सहमति दे दी है। मैं ने सभी चीज़ों को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया है। यही मेरा उद्देश्य था।

१९५१ के मूल अधिनियम में जो ३६८ स्मारक सम्मिलित किये गये थे वे भाग ख राज्यों के ही थे हमारे राज्यों में से कोई भी नहीं था। वास्तव में परिरक्षित स्मारकों की संख्या तो ३६८ से भी अधिक थी क्योंकि एक ही मद में २० मन्दिर थे। ७६ स्थान ऐसे थे जिन की पुरातत्व सम्बन्धी महत्ता घोषित की गई थी। मैं चाहूंगा कि इन स्थानों में अन्य जो स्थान छूट गये हैं उन को भी सम्मिलित कर लिया जाय क्योंकि इस में अधिक व्यय भी नहीं होता है। कभी कभी लोग गढ़े हुए धन की इच्छा से भी इन स्थानों को नष्ट कर डालते हैं। अतः इन स्थानों काप रिरक्षण होना अल्पावश्यक है ताकि लोग सरकार के भय के कारण इन को नष्ट न कर सकें।

मैं चाहूंगा कि इस पर विभाग द्वारा अधिक व्यय किया जाय तथा कार्य करने के ढंग में उन्नति की जाय। इन स्मारकों के वर्गीकरण का जो मापदण्ड रखा जाय वह उल्टा-सीधा न हो कर एक स्तर का होना चाहिये। एक क्षेत्र के लिये एक स्तर और दूसरे के लिये दूसरा स्तर न हो।

सभापति महोदय : यह विधेयक के क्षेत्र के बाहर की बात है।

श्री आर० एन० एस० देव : यह इस के क्षेत्र की ही बात है।

सभापति महोदय : यह विधेयक प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक अधिनियम की तालिका में स्थानों को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में है।

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर) : किन्तु किन्हीं स्थानों की राष्ट्रीय महत्ता पर विचार किया जा सकता है।

श्री आर० एन० एस० देव : विधेयक का यही उद्देश्य है—राष्ट्रीय-महत्ता की घोषणा करना।

सभापति महोदय : कुछ स्मारकों की राष्ट्रीय महत्ता के विषय में १९०४ के अधिनियम के अनुसार घोषणा की जा चुकी है। इन स्मारकों की एक सूची भी है जो अब तालिका में सम्मिलित कर ली गई है। इस विधेयक द्वारा यह प्रस्तावित किया गया है कि उस में कुछ ऐसी वस्तुओं की वृद्धि होनी चाहिये जो राष्ट्रीय महत्व रखती हों तथा जिन का अभिरक्षण किया जा सके।

श्री एच० एन० मुकर्जी : १९०४ का अधिनियम एक भिन्न प्रस्ताव है । वह स्वयं पूर्ण है । यह संविधान के एक अनुच्छेद के अधीन है जिस के अनुसार इन स्थानों तथा स्मारकों को अनुसूची में रखना आवश्यक है । और इसी कारण यह विधेयक रखा गया है ।

श्री आर० एन० एस० देव : मुझे केवल यह कहना है कि इस विधेयक में संशोधन का उद्देश्य कुछ स्मारकों का वर्गीकरण करना है ।

सभापति महोदय : मैं पहले ही यह निर्णय दे चुका हूं कि यह इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं है ।

श्री आर० एन० एस० देव : तब तो यह बताना या इस की आलोचना करना बड़ा कठिन है कि कौन से स्मारक राष्ट्रीय महत्व के हैं और कौन से नहीं, क्योंकि यही एक आधार है जिस पर यह विधेयक रखा गया है । आपका निर्णय शिरोधार्य करने के साथ साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न सिद्धान्त लागू नहीं होने चाहियें । वास्तव में कर्मचारियों तथा समय की कमी के कारण सरकार सभी राज्यों में इन स्मारकों का वर्गीकरण नहीं कर सकी, अतः १९५१ में जब यह अधिनियम पारित हुआ तो बहुत बड़ी संख्या में स्मारक इस के अन्तर्गत लाये गये जिन का कि विभिन्न राज्यों ने सुझाव दिया । इसलिये अब सरकार के लिये आवश्यक हो गया है कि वह इस सूची में से कुछ मदों को निकाल दे । मंत्रालय ने ८ या ९ मद पुराने अधिनियम में से निकाल देने तथा कुछ नये जोड़ देने के विषय में सुझाव दिया है । हमारे संविधान में यह योजना है कि केवल वे स्मारक जिन को संसद् राष्ट्रीय महत्व का घोषित करे केन्द्र के क्षेत्र में आते हैं तथा शेष राज्य सरकारों के क्षेत्र में । हां, स्थानों के सम्बन्ध में निश्चय ही केन्द्र तथा राज्य सरकारों का समवर्ती क्षेत्राधिकार है । केन्द्रीय सरकार साधनों की कमी के कारण प्राचीन स्मारकों के परिरक्षण के लिये यथा सम्भव अपने दायित्वों से बचने के लिये उन्हें राज्य सरकारों पर टालने का प्रयत्न करती है । अतः इस सूची पर पुनर्विचार करने तथा उस के वर्गीकरण में कलात्मक, पुरातत्व सम्बन्धी तथा ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों के परिरक्षण में एक ही स्तर लागू होना चाहिये । मैं माननीय उपमंत्री से यह आश्वासन चाहूंगा कि भविष्य में इस सूची पर पुनर्विचार करते समय उपेक्षित क्षेत्रों को उचित स्थान दिया जायेगा ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): मैं चाहता था कि अच्छा यह होता कि विभिन्न स्मारकों अथवा प्राचीन ऐतिहासिक स्थानों को सम्मिलित करने के पूर्व उन की कुछ विशद-व्याख्या कर दी गई होती । जब यह विधेयक बनाया गया है तो उनकी महत्ता की कुछ व्याख्या होनी आवश्यक है ।

हम अन्य लगभग सभी दिशाओं में कुछ न कुछ आगे बढ़े हैं केवल पुरातत्व को छोड़ कर । हम अपने देश के प्राचीन गौरव एवं महानता के विषय बहुत ओजस्विनी बातें करते हैं किन्तु अपनी प्राचीन सम्पत्ति एवं संस्कृति तथा उन संस्थाओं के परिरक्षण के लिये यथेष्ठ चिन्ता नहीं करते । इस का प्रमुख कारण है हमारे ऐसे शासकों का होना जिन का सांस्कृतिक हित केवल पंचवर्षीय योजना तथा निर्वाचन घोषणा-पत्र तक ही सीमित रहता है । इस के साथ ही हमारे शासक ऐसे हैं जिन को संस्कृति का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है । इसी कारण यह महत्वपूर्ण विषय पूर्णतया उपेक्षित रहा है ।

आय-व्ययक को देखने से ज्ञात होता है कि यह राशि बिना किसी विशेष कारण के ४४ लाख से घटा कर ३८ लाख कर दी गई है जिस में से भाग ख राज्यों के लिये केवल

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

५ लाख आवंटित की गई है तथा शेष अन्य क्षेत्रों के लिये। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार इतने महत्वपूर्ण मामले के प्रति इतने भिखमंगेपन का व्यवहार क्यों करती है। यह धन भी न तो पुरातत्व विभाग के विकास के ही काम में आता है और न सहायता ही में।

एक प्रसिद्ध इतिहासकार का कथन है कि हमारे प्राचीन इतिहास के ज्ञान में बहुत बड़ी खाई है—बहुत सा रिक्त स्थान भरने के लिये है। उदाहरण के लिये रामायण तथा महाभारत दोनों कालों के बीच बहुत बड़ा अन्तर है। इन दोनों कालों में कोई क्रमबद्धता नहीं है। बुद्धकाल के पहले भी काफ़ी अन्तर है। अतः जब तक इन मामलों पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर उनकी जांच-पड़ताल तथा अन्वेषण आदि नहीं करेंगे, तब तक एक सम्बद्ध इतिहास का निर्माण करना कठिन होगा। जब तक हम अतीत वैभव की पूर्णता को नहीं समझ पायेंगे तब तक प्राचीन भारत का सम्पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते।

हमारी भारतीय सभ्यता, संसार की अन्य सभी सभ्यताओं से श्रेष्ठ रही है, किन्तु दुर्भाग्यवश उस सभ्यता को समझने के लिये यथोचित महत्व नहीं दिया जा रहा है।

खेद का विषय है कि पुरातत्व विभाग बड़ी धीमी गति से कार्य कर रहा है। इस के कर्मचारी बड़े ही सुस्त हैं इसी कारण इस की उन्नति बहुत मन्द गति से हो रही है। इस विभाग पर अभी तक हम लोगों का विशेष ध्यान नहीं था और न हमारी पहुंच ही किन्तु इस की महत्ता सरकार को अब समझनी चाहिये तथा धन की उचित व्यवस्था करनी चाहिये। इस में अन्वेषण विभाग का होना परमावश्यक है तथा इतिहास के विद्यार्थियों के लिये पुरातत्व विषय अनिवार्य बना दिया जाना चाहिये। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भारत के बहुत से स्मारकों की दशा बड़ी उपेक्षित है। श्रवण बेलगोला के स्मारक के अतिरिक्त अन्य स्थानों के स्मारकों की दशा भी अत्यन्त शोचनीय है।

भारत तथा पाकिस्तान की सभ्यता एवं रीति-रिवाज एक ही रहे हैं। हड़प्पा तथा मोहेंजोदड़ों पुरातत्व विभाग के प्रमुख अंग हैं जो पाकिस्तान में हैं। अतः भारत एवं पाकिस्तान दोनों देशों की सरकारों को इन की रक्षा समान रूप से करनी चाहिये।

आवश्यक स्मारकों तथा स्थानों को विधेयक में सम्मिलित करते समय इस का ध्यान भी रखना चाहिये कि उन का परिरक्षण भली प्रकार हो सके। राज्य सरकार से केन्द्रीय सरकार को यदि अधिकार-क्षेत्र दिया जाता है तो उस की इतिश्री नहीं हो जानी चाहिये। यदि केन्द्र किन्हीं स्मारकों तथा मूर्त्तियों को राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से ले लेता है, तो उन के उचित परिरक्षण की व्यवस्था भी उसे करनी ही चाहिये। हमारा अपना प्रकाशन होना चाहिये तथा उसके लिये हमारे पास उन्नत अन्वेषण विभाग तथा समितियां होनी चाहियें किन्तु दुर्भाग्यवश हम देखते हैं कि जो कुछ थोड़ा बहुत हमारा प्रकाशन होता था वह भी अब बन्द हो गया है।

मेरे कुछ विरोधी दल के मित्रों ने कहा है कि वाइसरायों तथा प्रधान सेनापतियों की मूर्तियों आदि को हटा दिया जाना चाहिये। मैं भी चाहता हूं कि वे हटा दी जायें। ऐसी मूर्त्तियों के परिरक्षण को कोई आवश्यकता नहीं है और वे तत्काल ही हटा दी जानी चाहियें। उनका हटाना इसलिये और भी आवश्यक है कि वे हम को अपनी प्राचीन दासता तथा राजनीतिक कष्टों का स्मरण कराती हैं।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : भारत के शिक्षा मंत्री एक वयोवृद्ध और प्राच्य विद्या के प्रकांड पंडित होने की दृष्टि से भारत में बहुत विख्यात हैं और मैं आशा करता था कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन का भाषण होगा, क्योंकि यह जो राष्ट्रीय स्मारक हैं इनकी घोषणा करने का विषय संसद् के आधीन विधान ने इसलिए रखा है कि हम यह मानते थे कि यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और किसी सरकारी अधिकारी को किसी विज्ञप्ति द्वारा इस की घोषणा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ऐसा हम समझते थे । लेकिन कितने दुर्देव का विषय है कि हमारे मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं और हमारे उपमंत्री जी ने भी अपने प्रारम्भिक भाषण में इस विषय पर कोई खास जानकारी नहीं दी है । सम्भव है वह हमारे भाषणों के पश्चात अपना विद्वत्तापूर्ण भाषण करेंगे । मैं यह उन की नुक्ता चीनी करने के लिये नहीं कह रहा हूं बल्कि इसलिये कहता हूं कि विधान में यह कहा है कि जो घोषणा हो वह इस संसद् के द्वारा होनी चाहिए । जब यह यहां पर विधेयक ले कर आते हैं तो हम को पता नहीं चलता है कि यह क्या है । कहा जाता है कि सास बहू का मंदिर ग्वालियर में है । हम से कहा जाता है कि मदर इन ला और डाटर इन ला का मन्दिर है । उन को यह पता नहीं कि यह सहस्रबाहु का मन्दिर है । हम नहीं समझ सकते कि सास बहू का मन्दिर राष्ट्रीय स्मारक बनाने योग्य हो सकता है ।

एक माननीय सदस्य : अगर सास बहू का मन्दिर राष्ट्रीय स्मारक बना दिया जाय तो क्या हानि है ?

श्री वी० जी० देशपांडे : यह बना दिया जाय लेकिन संसद् को यह तो मालूम हो जाय कि हम किस का राष्ट्रीय स्मारक बना रहे हैं । वहां सास बहू का कोई मन्दिर नहीं है वह तो सहस्रबाहु का मन्दिर है । कांस्टी-

515 PSD

ट्यूशन में जो बात रखी है उस के अनुसार आप बिल ले कर आते हैं पर हम को पता नहीं लगता । फिर कहते हैं आप को कुछ और नाम देना हो तो दीजिये, हम मानेंगे या नहीं मानेंगे । मैं तो समझता हूं कि ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए कि इस प्रकार के बहुत कम स्मारक एक वर्ष में संसद् के सामने आने चाहिए । आप को चाहिए था कि आप एक समिति नियुक्त करते जो कि सारे भारत में निरीक्षण करती कि कौन कौन से राष्ट्रीय स्मारक हैं । उन को बनाने के पश्चात अगर कभी कोई संशोधन होता तो कर दिया जाता । और साल में, दो साल में या तीन साल में जब कोई पता लगता या कोई पांडित्यपूर्ण संशोधन आ जाता । लेकिन ऐसा नहीं किया गया । जहां कोई चीज़ मिल गई तो उस को ले आये, फिर दूसरी चीज़ मिल गयी तो उस को ले आये । अगर किसी ने कहा कि एक तीसरी चीज़ और भी है तो उस को ले आये कि हां हां यह भी होनी चाहिए । इस प्रकार से यह विषय नहीं चलना चाहिए । मैं समझता हूं कि हमें जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्मारकों को घोषित करना चाहिए उस तरह से हम नहीं कर रहे हैं । बात बुरी है और मैं इस को कहना नहीं चाहता था । हिन्दुस्तान में एक ब्रिटिश वाइसराय लार्ड कर्ज़न आया जिस को गोखले जी औरंगज़ेब का अवतार कहते थे । औरंगज़ेब तो मूर्त्ति भंजक था परन्तु यह तो मूर्त्ति रक्षक निकला और इस ने हमारे स्मारकों का संरक्षण किया । परन्तु हमारी गवर्नमेंट के आने के बाद और हमारे इतने बड़े विद्वान शिक्षा मंत्री होने के पश्चात इस विषय पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । बड़े बड़े मन्दिर आज हम देखते हैं । मैं परसों संभल में गया था । वहां एक बहुत बड़ा हरिहर का मन्दिर है । उस की मस्जिद बनी हुई है । वहां बोर्ड लगा है कि एनशेंट मानूमेंट एक्ट के अनुसार वह प्रिजर्व की गयी

[श्री वी० जी० देशपांडे]

है। कोई छुएगा तो उस पर कार्रवाई की जायगी। लेकिन नीचे पंक्ति में था कि यह विष्णु का प्राचीन मन्दिर है। यह बोर्ड किसी ने वहां से निकाल डाला है। न वहां कोई बोर्ड लगा है। धारा नगरी में भोज शाला है। वहां प्राचीन शिला लेख मिलते हैं जो कि आज भी विद्यमान हैं। दिन प्रति दिन उस पर आक्रमण हो रहे हैं। मुसलमान लोग वहां निमाज पढ़ने आते हैं। आगे जा कर उस की मस्जिद बन जायगी। लेकिन हमारा ध्यान उधर नहीं है। हम तो सिक्यूलरिज्म और धर्म निरपेक्षितता की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि जहां मुसलमान का सवाल आता है वहां यदि कोई प्राचीन स्मारक भी हो तो हम घबरा जाते हैं। कहा जाता है यह जार्ज की मूर्ति है, वहां रीडिंग की मूर्ति है, वहां चैम्सफोर्ड की मूर्ति है। इन से हमें बड़ा दुःख होता है। कोई मित्र कहते हैं कि इन का तो ऐतिहासिक महत्व हो चुका है। यह तो रहनी चाहिएं। यह सवाल बड़ा मुश्किल है।

अभी मैं अयोध्या में गया था। वहां प्रभु राम चन्द्र की जन्म भूमि आज भी है। एक विदेशी आक्रमक बाबर यहां आया और उस ने उस की मस्जिद बनायी। क्या यह स्मारक होने योग्य नहीं है? लेकिन हम यह कहते हैं तो आप घबरा जाते हैं। अभी हमारा हृदय कहता है कि लार्ड करज़न को तो जाना चाहिए लेकिन बाबर को नहीं जाना चाहिए। राम जन्म भूमि का नाम लेते ही हमारे हृदय में जो स्फूर्ति आती है उस का कितना बड़ा महत्व है। राम जन्म भूमि के बारे में बाबर के और दूसरे मुसलमान लेखकों के लेख मिलते हैं कि इस मन्दिर को तोड़ कर मस्जिद बनायी गयी। लेकिन हमारे आरकियालाजीकल विभाग की इतनी हिम्मत नहीं है कि मस्जिद को हटा कर फिर से राम चन्द्र जी का मन्दिर बनावे। बनारस में विश्वेश्वर का मन्दिर आज भी मस्जिद के रूप में मिलता है। आज भी वहां आरकियालाजीकल रिमेन्स वर्तमान हैं और देखा जा सकता है कि उस मन्दिर की चोटी पर मस्जिद खड़ी है। किस प्रकार आरा हाउस की आप रक्षा करने जा रहे हैं जहां कि कुछ अंग्रेजों की कब्रें हैं, लेकिन हिन्दुस्तान की रक्षा करने वाले विश्वेश्वर के मन्दिर पर आज भी मस्जिद बनी हुई है। इस की रक्षा करने की हिम्मत हमारे आरकियालाजीकल विभाग में नहीं है। इस प्रकार की बातें हम आज भारत वर्ष में देख रहे हैं जब हम प्राचीन वैभव को रक्षा करने का विचार करते हैं। हम प्राचीन स्मारकों से इतिहास का निर्माण करना चाहते हैं। गाडगिल साहब ने सोमनाथ का जिक्र किया। मैं सोमनाथ गया था। वहां उस मन्दिर के अवशेष हैं और कहा जाता है कि सोमनाथ विल राइज़ अगेन। लेकिन मैं नहीं जानता कि उस का पुर्ननिर्माण कब होगा। मैं उस के विषय में बहुत सुनता था इसलिए मैं वहां देखने गया था। यह पता नहीं कि वह विश्वकर्मा कब आवेंगे और उस को बनावेंगे। आज वहां की जो दशा है उस से तो अहिल्याबाई का मन्दिर अच्छा है। वहां एक सुन्दर चीज़ समुद्र है जिस को नष्ट नहीं किया जा सकता था। जो वहां मन्दिर बना है वह जैसा किसी देहात का हनुमान मन्दिर होता है उसी तरह का है।

श्री गाडगिल: मैं माननीय सदस्य को बता देता हूं कि चबूतरा तो पुराने के समान ही है और एक हाल और बन रहा है।

श्री वी० जी० देशपांडे: लेकिन कोई चीज़ बनी नहीं है। मैं ने बड़ी बड़ी बातें सुनी थीं।

अध्यक्ष महोदय: सदन शनिवार के डेढ़ बजे तक के लिये स्थगित होता है।

इस के पश्चात् सदन को बैठक शनिवार २१ नवम्बर, १९५३ के डेढ़ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

GIPD—HS—515 PSD—22-2-53—285